चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 18

सोमवार, 21 अगस्त, 2006
30 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 4 Feb 2008

(खंड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 18, सोमवार, 21 अगस्त, 2006/30 श्रावण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360	3–61
अतारांकित प्रश्न संख्या 2653 से 2786	61–234
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	235
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	236–240
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	241–242
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	241–242

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 21 अगस्त, 2006/30 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सदन के एक वर्तमान सदस्य श्री कोंडापल्ली पैंडीथल्ली नायडु के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री कोंडापल्ली पैडीथल्ली नायडु आंध्र प्रदेश के बौब्बिली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में 2004 से लोक सभा के सदस्य थे। इसके पूर्व भी श्री नायडु उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 1996 से 1999 तक ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

एक कुशल सांसद के रूप में श्री नायडु 1996 से 1999 तक रेल संबंधी समिति और 1998 से 1999 तक कृषि मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। अपने निधन के समय वह खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य थे।

व्यवसाय से कृषक श्री नायडु ने देश के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने अपने राज्य के अनेक स्थायी निकायों में विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक काम किया। वह 1987 से 1992 तक सहकारिता समिति और मंडल प्रजा परिषद के प्रेजीडेंट तथा 1985 से 1986 तक गन्ना समिति के अध्यक्ष रहे। वह 1987 से 1992 तक ग्राम पंचायत गंत्यदा के उपसभापति और विजयनगरम जिला प्रजा परिषद के उपाध्यक्ष तथा 1995 से 1996 तक विजयनगरम जिला प्रजा परिषद के अध्यक्ष रहे।

श्री नायडु 1998 में तुर्की जाने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के भी सदस्य थे।

श्री नायडु का निधन 19 अगस्त, 2006 को बौब्बिली, आंध्र प्रदेश में 76 वर्ष की आयु में हुआ।

माननीय सदस्यों, मुझे सभा को प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां के निधन की भी सूचना देनी है।

उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने भारत एवं विदेश की जनता की कई पीढ़ियों को अपने सुरीले शहनाई वादन से सम्मोहित कर रखा था। वाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के शहनाई वादक अपने चाचा स्वर्गीय अलीबक्श 'विलायतू' के कुशल संरक्षण में उन्हें आरंभिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

उस्ताद बिस्मिल्ला खां, जिन्होंने अकेले ही शहनाई को एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में स्थापित किया, को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन से भी डाक्टरेट की मानद उपाधियां प्राप्त हुईं।

उस्ताद बिस्मिल्ला खां अपने दृष्टिकोण से सम्पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष और एक महान मानवतावादी थे। संगीत के लिए उनका प्रेम जाति, संप्रदाय और धर्म के संकीर्ण बंधनों से ऊपर था और उनके संगीत वादन कार्यक्रमों ने संगीत को आध्यात्मिकता के स्तर तक पहुंचाया।

यद्यपि उनके निधन से उत्पन्न शून्य को कभी नहीं भरा जा सकेगा, फिर भी उनके संगीत की सार्वभौम लोकप्रियता संगीत प्रेमियों की पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।

उस्ताद बिस्मिल्ला खां का निधन आज वाराणसी में 90 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के बाद हुआ।

हम श्री कोंडापल्ली पैडीथल्ली नायडु और उस्ताद बिस्मिल्ला खां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भूजल स्तर में गिरावट

***341. श्री सुनील खां:**
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में भूजल की उपलब्धता का आवधिक आकलन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किये गये अद्यतन आंकलन में यह देखने में आया है कि लगभग सभी राज्यों में वर्ष-दर-वर्ष भूजल स्तर गिरता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए तीन आकलनों के राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या भूजल स्तर को अपेक्षित स्तर तक ऊपर उठाने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा राज्यों को कुछ उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों के परामर्श से क्या रणनीति तैयार की गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां। देश में भूजल की उपलब्धता का आकलन 1995 और 2004 में किया गया है।

(ख) 2004 में किए गए नवीनतम आकलन से यह पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों तथा गोवा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को छोड़कर विभिन्न राज्यों में कुछेक स्थानों पर भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है।

(ग) उपर्युक्त आकलनों की राज्य-वार तुलना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण भूजल स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए उपाय करना मुख्यतः संबंधित राज्यों का दायित्व है। तथापि केन्द्रीय सरकार/सीजीडब्ल्यूबी ने भी इस संबंध में कई सुधारात्मक किये हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ ये शामिल हैं:

(1) 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना' नामक एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें देश के भीतर कुल मिलाकर 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र अभिज्ञात किया है जिसे भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की जरूरत है। यह दस्तावेज समुचित कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिचालित कर दिया गया है।

(2) सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के तकनीकों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक नियम पुस्तिका/मार्गदर्शिका परिचालित कर दी है ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण योजनाएं तैयार कर सकें।

(3) सीजीडब्ल्यूबी जन जागरुकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देता है तथा विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(4) सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वर्ष 2006-07 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के 13 अभिज्ञात क्षेत्रों में कुल मिलाकर 12 करोड़ रुपये की लागत से 'वर्षा जल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण' विषय पर एक प्रदर्शनात्मक स्कीम शुरू की गई है।

(5) जल संसाधन मंत्रालय ने "भूजल के विकास और प्रबंध को नियमित और नियंत्रित करने" से संबंधित एक माडल विधेयक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिचालित किया है। इस माडल विधेयक में 'भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन' विषय पर एक स्वतंत्र अध्याय है।

(6) केन्द्रीय सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय में जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 'भूजल कृत्रि पुनर्भरण सलाहकार परिषद' का गठन किया है जिसके सदस्यों में वर्षा जल संचयन से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों/लोक उपक्रमों और साथ ही एनजीओ के प्रतिनधि तथा विख्यात विषय विशेषज्ञ शामिल हैं।

(7) केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निदेश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अतिदोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को

अपनाने/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भवन निर्माण को अपनाए/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भवन निर्माण उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल किया जाना सुनिश्चित किये जाने की दिशा में सभी उपाय करें।

(8) सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन के लिए देश में 20 अत्यंत गंभीर/अतिदोहित क्षेत्र अधिसूचित किये हैं। सीजीडब्ल्यूए सभी अतिदोहित/गंभीर/अर्ध-गंभीर क्षेत्रों में नए उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा भी भूजल के विकास का विनियमन कर रहा है।

विवरण

1995 और 2004 में किए गए भूजल आकलन में अतिदोहित और गंभीर आकलन यूनिटों के बीच तुलना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आकलन यूनिटों का वर्गीकरण			
		1995 के आकलन के अनुसार		2004 के आकलन के अनुसार	
		अतिदोहित	डार्क	अतिदोहित	गंभीर
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	6	24	219	77
2.	बिहार	0	1	0	0
3.	दिल्ली	0	0	7	0
4.	गुजरात	12	14	31	12
5.	हरियाणा	45	6	55	11
6.	कर्नाटक	6	12	65	3
7.	केरल	0	1	5	15
8.	मध्य प्रदेश	0	3	24	5
9.	महाराष्ट्र	0	34	7	1
10.	पंजाब	62	8	103	5
11.	राजस्थान	45	11	140	50
12.	तमिलनाडु	54	43	142	33
13.	उत्तर प्रदेश	19	22	37	13
14.	उत्तरांचल	0	0	2	0
.5.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1
	कुल	249	179	837	226

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दमन व दीव	0		1	0
2.	पांडिचेरी	0		1	0
	कुल	0		2	0
	कुल जोड़	249	179	839	226

अतिदोहित – जहां भूजल विकास की स्थिति 100% से ऊपर है और जहां मानसून से पहले अथवा मानसून के बाद अथवा दोनों अवधियों में जल स्तर के दीर्घकालीन प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है।

गंभीर – जहां भूजल विकास 90% से ऊपर और 100% तक है और जहां मानसून से पूर्व और मानसून के बाद दोनों अवधियों में जल स्तर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है।

डार्क – जहां भूजल विकास की स्थिति 85% और 100% के बीच है।

जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य

***342. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किये गये सभी उपायों के बावजूद भी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों को आम आदमी की पहुंच के भीतर नहीं लाया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो औषधियों की आवश्यकता सूची के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों का उपचार करने, उन्हें रोकने तथा उनके फैलाव को नियंत्रित करने वाली आवश्यक बुनियादी दवाओं एवं औषधियों (फार्मूलेशन) के नाम क्या हैं; और

(ग) संबंधित बुनियादी दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित और आम आदमी की पहुंच के भीतर रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) समय-समय पर घोषित नीति के मुख्य उद्देश्यों में एक-उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली आवश्यक एवं जीवनरक्षक तथा रोगनिरोधी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं और उनके मूल्य डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित/संशोधित किये जाते हैं। इन औषधों को सितंबर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया है। इन मानदंडों में मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत किसी औषध को रखे जाने के लिए अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा और प्रयोग की सीमा की पहचान करने के लिए किसी औषध के टर्नओवर और एकाधिकारवादी स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

डीपीसीओ 95 जीवन रक्षक औषधों एवं अन्य औषधों में कोई भेद नहीं करता है। किन दवाओं को जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए, यह ज्ञात करने के लिए कोई विशिष्ट मानक या दिशानिर्देश नहीं हैं। सामान्यतया, हर दवा को जीवन की रक्षा करने एवं आयु बढ़ाने में लाभकारी माना जाता है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किये जाते हैं। एनपीपीए, दवाओं के मूल्य को ओरजी-आईएमएस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की मासिक खुदरा आडिट रिपोर्टों के अनुसार मानीटर करता है। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

उपर्युक्त नीति, बड़ी संख्या में औषधों के मूल्यों को नियंत्रित रखने में सहायक रही है। ऐसा ओआरजी-आईएमएस के मार्च 2006 के मासिक डेटा से पता चलता है जिसके अनुसार 97.64%

पैकों के मूल्य स्थिर रहे हैं, 0.60% पैकों के मूल्यों में कमी आयी है और सिर्फ 1.76% पैकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

दवाओं की कीमतों में वृद्धि के आम कारण हैं:

(क) बल्क औषधों के मूल्य में वृद्धि

(ख) उत्पादन/आयात की लागत में वृद्धि

(ग) परिवहन लागत, मालभाड़ा दरों में वृद्धि

(घ) ईंधन, बिजली, डीजल आदि जैसी उपयोगिताओं की लागत में वृद्धि

(ङ) आयातित दवाओं के लिए लागत, बीमा, मालभाड़ा मूल्य में वृद्धि तथा रुपए का मूल्यह्रास

(च) करों और शुल्कों में परिवर्तन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची-2003, उन दवाओं को आवश्यक औषधों के रूप में परिभाषित करती है जो जनसंख्या की स्वास्थ्य देखरेख आवश्यकताओं की प्राथमिकता को संतुष्ट करती हैं। सूचीबद्ध आवश्यक औषधों का उद्देश्य-इन दवाओं को कार्यशील स्वास्थ्य प्रणालियों में आश्वस्त गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में, समुचित खुराक के रूप में हर समय उपलब्ध रखना है। इस सूची में 27 नैदानिक श्रेणियों एवं 354 औषधें शामिल हैं। यह सूची सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.cdsoc.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय औषध नीति 2006 के प्रारूप में आवश्यक औषधों के मूल्यों को नियंत्रित रखने तथा दवाओं की पहुंच आम लोगों तक बनाने के अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

***343. श्री एल. राजगोपाल:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था और इसके आरंभ से अब तक वर्ष-वार एवं राज्य-वार कितने कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों को अभी तक क्या-क्या नवोन्मेषी तरीके, तकनीक, अद्यतन बाजार सूचना, फार्म प्रबंधन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी प्रदान की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) सरकार ने दसवीं योजना के अंत तक देश के 578 ग्रामीण जिलों (भारत 2002 के अनुसार) में प्रत्येक में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति दी है।

(ख) दसवीं योजना के प्रारंभ से 264 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है, इससे कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़कर 537 हो गई है। वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा शुरू की गई नवोन्मेषी विधियां/तकनीकें नीचे दी गई हैं:

* खेत परीक्षणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का स्थान-विशिष्ट मूल्यांकन एवं परिष्करण
* किसानों के खेतों पर अग्रपंक्ति के प्रदर्शन के जरिये प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता स्थापित करना
* सलाहकारी सेवाओं, नैदानिकों दौरों, प्रदर्शनियों, खेत दिवसों, किसान गोष्ठियों, किसान मेलों आदि जैसे अनेक कार्यकलापों के माध्यम से विषय-वस्तु विशेषज्ञों और किसानों के पारस्परिक संबंधों को सरल बनाना।

दसवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों ने विभिन्न विस्तार कार्यकलापों में 59.7 लाख किसानों की भागीदारी के अलावा फसल उत्पादन, फसल संरक्षण, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन, मात्स्यिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा उन्नत औजारों और उपकरणों से संबंधित उन्नत प्रौद्योगिकियों पर 26.7 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया।

जहां तक बाजार की जानकारी का संबंध है, मंडी प्रोफाइल, मूल्यों और आमदों, ग्रेडों और मानकों, जिंस प्रोफाइल्स आदि पर किसानों को जानकारी मुहैया कराने के लिए एक कृषि विपणन सूचना प्रणाली नेटवर्क (एगमार्कनेट) का सृजन किया गया है।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

राज्य	स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या					योग
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल से जुलाई, 2006)	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश		2	3			5
अरुणाचल प्रदेश		1	2	3	2	8
असम	1	1	8	5	1	16
बिहार	1	4	5	7	3	20
छत्तीसगढ़			5	1		6
गोवा			1			1
गुजरात			7	5		12
हरियाणा			3			3
हिमाचल प्रदेश			3			3
जम्मू-कश्मीर	4		1	4		9
झारखंड	1		11	1		13
कर्नाटक		2	11	2		15
केरल		2	3			5
मध्य प्रदेश	2	6	8	7	2	25
महाराष्ट्र		1	5	1		7
मणिपुर	1	1		5		7
मेघालय	1	2	1			4
मिजोरम				5		5
नागालैंड	2			4	1	7
उड़ीसा	1	1	8	7	1	18
पंजाब			6	1	1	8
राजस्थान			2			2

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम			1	2		3
तमिलनाडु		2	8	1		11
त्रिपुरा				2		2
उत्तर प्रदेश	1	2	19	7	1	30
उत्तरांचल		5	5			10
प. बंगाल		3	2	4		9
कुल	15	35	128	74	12	264

नारियल का उत्पादन

***344. श्री पी.सी. थामस:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल के उत्पादन में वृद्धि के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नारियल विकास बोर्ड अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से नारियल की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने नारयिल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं:

(1) तीन नई किस्में नामत: लक्कादिव आर्डिनरी, फिलिपीन्स आर्डिनरी और चौघाट आरेंज ड्वार्फ और तीन अधिक उपज देने वाले नारियल के संकर अर्थात् चंद्रसंकर, चंद्रलक्ष और केरासंकर को उनकी उन्नत उत्पादन क्षमता को देखते हुए निर्मुक्त किया गया है।

(2) लागत प्रभावी सिंचाई और उर्वरण (फर्टीगेशन) हेतु ग्रीष्म महीनों के दौरान नारियल पामों के प्रबंधन हेतु उपयुक्त ड्रिप सिंचाई तकनीक विकसित की गई है।

(3) मल्चिंग, कवर क्रोप्स और हरी खाद फसलों को उगाकर नमी संरक्षण पद्धतियां विकसित की गई जो नारयिल उत्पादन में सुधार लाएंगी।

(4) नारियल पामों के संतुलित पोषण हेतु नारियल पाम अवशिष्ट की वर्मीकम्पोस्टिंग हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की गई है।

(5) नारियल बागानों से आय बढ़ाने के लिए अनुकूल अंत: फसलों के साथ मानकीकृत नारियल आधारित फसलन प्रणाली और चारा फसलों के साथ मिश्रित कृषि।

(6) हरी खाद की अंत: फसलों को उगाने के साथ कार्बनिक (आर्गेनिक) खाद और अकार्बनिक (इनआर्गेनिक) उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से नारयिल में जड़ मुरझान रोग नियंत्रण हेतु प्रबंधन के लिए समेकित दृष्टिकोण का विकास किया।

(7) नारियल के तना स्रवण (ब्लीडिंग) अंकुरिका मुरझान (बड राट) रोग के नियंत्रण के लिए बेहतर प्रबंधन पद्धतियां और नरयिल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इरियोफाइड कुटकी (माइट) का विकास किया गया। इसके साथ ही संवर्धनात्मक पद्धतियों और जैव-परजीवियों के उपयोग के साथ-साथ संतुलित कृमिनाशी अनुप्रयोग के उपयोग के जरिए संक्रमित बागानों के कुशल प्रबंधन के साथ काले सिर वाली सुंडी पर नियंत्रण पाने के लिए समेकित कृमि प्रबंधन (आईपीएम) पद्धति की सिफारिश की गई।

नारियल बागानों का उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए नारियल बागानों हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ समेकित जल प्रबंधन, समेकित पोषण तत्व प्रबंधन और समेकित कृमि प्रबंधन का विकास किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) नारियल विकास बोर्ड नारियल के अधीन क्षेत्र विस्तार, रोग ग्रसित पामों के प्रबंधन, पौध रोपण सामग्रियों के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता देकर उत्पादकता सुधार, जैविक खाद एककों की स्थापना, प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इसके अलावा ''नारियल प्रौद्योगिकी मिशन'' की स्कीम के अधीन बोर्ड परियोजना आधार पर कृमियों और रोगों के प्रबंधन के जरिए नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। नारियल विकास बोर्ड ने नारियल विकास कार्यक्रमों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के विगत चार वर्षों के दौरान 110.40 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और वर्ष 2006-07 के दौरान 40.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम का पुनर्गठन

***345. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) की स्थापना लागत इसके कुल व्यय का बड़ा भाग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम की स्थापना संबधी लागतों में कटौती के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय भाण्डागार निगम की पुनर्संरचना/पुनर्गठन के लिए कोई अध्ययन किया है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) केन्द्रीय भंडारण निगम के कुल खर्च की तुलना में स्थापना लागत के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्थापना लागत	कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्थापना लागत
2002-03	176.41	423.46	41.66%
2003-04	182.28	428.98	42.49%
2004-05	188.40	462.45	40.74%
2005-06 (अनंतिम)	195.53	514.55	38.00%

उच्च स्थापना लागत मुख्यत: केन्द्रीय भण्डारण निगम के सेवा संगठन होने के कारण है जिसमें स्थापना लागत खर्च का मुख्य घटक है।

(ग) केन्द्रीय भण्डारण निगम में स्थापना लागत कम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:

(1) निगम ने वर्ष 1994, 1998, 2002 और 2005-06 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू की थी। इन स्कीमों के अधीन लगभग 2470 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प दिया था।

(2) केन्द्रीय भण्डारण निगम में क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन का कार्य शुरू किया गया है और निर्माण सैलों की संख्या 17 से घटाकर 06 कर दी गई है।

(3) 1998 से निगम ने कोई सीधी भर्ती नहीं की है।

(4) निगम ने वाच एंड वार्ड, हाउस कीपिंग आदि जैसी अपनी कुछ गतिविधियों को आउटसोर्स किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन्यजीव अपराध

***346. श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री हितेन बर्मन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक जंगली जानवरों के पकड़े गए शरीर के अंगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने जंगली जानवरों के मरने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इनकी मौत के क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कितने मूल्य के जंगली जानवरों के शरीर के अंगों का अवैध कारोबार किया गया;

(घ) स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है/उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार डी.एन.ए. परीक्षणों की मदद से बढ़ रहे वन्यजीव अपराधों को रोकने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) वन्य जीवों की सुरक्षा और प्रबंधन राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय सरकार दो महत्वपूर्ण प्रजातियों नामशः बाघ और हाथी के लिए स्कीम क्रियान्वित कर रही है। बाघ और हाथी के संबंध में वर्ष 2006 के दौरान सूचित राज्यवार मौतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	सूचित मृत्यु की संख्या	
	बाघ	हाथी
उत्तरांचल	3 (प्राकृतिक)	2 (प्राकृतिक)
मध्य प्रदेश	4 (2 प्राकृतिक, 1 अवैध शिकार, 1 अज्ञात)	–
महाराष्ट्र	2 (1 अवैध शिकार, 1 प्राकृतिक)	4 (बिजली से मृत्यु)
उत्तर प्रदेश	1 (रेल दुर्घटना)	–
कर्नाटक	1 (अज्ञात)	2 (1 दुर्घटना, 1 अज्ञात)
अरुणाचल प्रदेश	–	2 (1 प्राकृतिक, 1 बिजली से मृत्यु)
असम	–	4 (3 प्राकृतिक, 1 अज्ञात)
पश्चिम बंगाल	–	3 (रेल दुर्घटना)

वर्ष 2005 के संबंध में, मंत्रालय के पास प्रमुख प्रजातियों के संबंध में उपलब्ध सूचना विवरण I में दी गई है।

(ग) चूंकि जंगली जानवरों के शरीर के अंगों का व्यापार अवैध और गुप्त रूप से होता है, अतः इस व्यापार का अनुमानित मूल्य निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

(घ) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा को बढ़ाया गया है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए इन्हें वैधानिक सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

(3) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(4) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात और व्यापार केन्द्रों में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(5) राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास', बाघ परियोजना और 'हाथी परियोजना' के तहत अवसंरचना विकास, शिकाररोधी दस्तों के गठन, वायरलैस सेटों, वाहनों, आग्नेय अस्त्रों आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(6) वन्यजीवों के सीमा पार व्यापार की रोकथाम के लिए नेपाल और चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते हैं।

(ङ) और (च) भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में डीएनए परीक्षण की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ने पर वन्यजीव अपराधों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान सूचित जब्तियों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	हाथी	बाघ	तेंदुआ	भालू	गैंडा	स्टार कछुआ
आंध्र प्रदेश	1		6	1		3
सिक्किम					3	
दिल्ली	5	5	6	2		
कर्नाटक	1					
केरल	2	6	4	2		
उत्तरांचल	1					
उत्तर प्रदेश		1	5			
मध्य प्रदेश		1	2	6		
बिहार		1	1			
पश्चिम बंगाल	6					
मेघालय	1					
झारखंड	2					
उड़ीसा	8		10			
छत्तीसगढ़	1	4				
हिमाचल प्रदेश			2	1		
पंजाब			10			
मणिपुर					1	
	28**	18*	46***	12****	4*****	3#

* बाघ से संबंधित जब्तियों के 18 मामले जिनमें 12 खालें, 60 पंजे, 1 खोपड़ी और 14 दंत शामिल हैं।

** हाथी से संबंधित जब्तियों के 28 मामले जिनमें 233.34 कि.ग्रा. शुद्ध हाथी दांत शामिल हैं।

*** तेंदुओं से संबंधित जब्तियों के 46 मामले जिनमें 133 खालें, 231 पंजे, 17 किलो मांस आदि शामिल हैं।

**** भालू से संबंधित जब्तियों के 12 मामले जिनमें 13 भालू और कुछ अंग जैसे बाइल, सूखा मांस आदि शामिल हैं।

***** गैंडा से संबंधित जब्तियों के 4 मामले जिसमें 8 खुर/सींग शामिल हैं।

स्टार कछुओं से संबंधित जब्तियों के तीन मामले जिनमें 206 जिंदा कछुए शामिल है।

वर्ष 2005 के दौरान जंगली जानवरों की मृत्यु की राज्यवार संख्या

राज्य	हाथी	बाघ	तेंदुआ
असम		2	1
आंध्र प्रदेश			17
कर्नाटक	2		
केरल	39		3
उत्तरांचल	10	3	13
पश्चिम बंगाल	17		9
छत्तीसगढ़	1		3
झारखंड	10		1
उड़ीसा	69		1
मध्य प्रदेश		2	11
महाराष्ट्र		4	
राजस्थान		1	1
तमिलनाडु			
उत्तर प्रदेश		1	
हिमाचल प्रदेश			2
	148	13	62

*मृत्यु के कारणों में शामिल हैं: अवैध शिकार, प्राकृतिक मृत्यु और दुर्घटना विद्युत दुर्घटना आदि के कारण अप्राकृतिक मृत्यु।

कारणवार विवरण

हाथी	बाघ	तेंदुआ
प्राकृतिक-128	प्राकृतिक-3	प्राकृतिक-0
अप्राकृतिक-5	संघर्ष में-1	अप्राकृतिक-10
अवैध शिकार-17	रेल दुर्घटना-1	अवैध शिकार-22
	सूचना प्रतीक्षित-8	

[अनुवाद]

जैव विविधता प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण

***347. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परम्परागत ज्ञान संबंधी पेटेन्ट आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के बारे में राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने जैव-विविधता बोर्ड का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सभी राज्यों द्वारा इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पारम्परिक ज्ञान पर पेटेंट आवेदन के संबंध में राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सोलह राज्यों ने जुलाई, 2006 तक, राज्य जैव विविधता बोर्डों की स्थापना को अधिसूचित कर दिया है। ये राज्य कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम, उत्तरांचल, गुजरात और आंध्र प्रदेश है।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण द्वारा शेष राज्यों से राज्य जैव-विविधता बोर्डों को शीघ्र गठित करने का अनुरोध किया गया है।

रोगग्रस्त सुपारी का पौधारोपण

***348. श्री अब्दुल्लाकुट्टी:**
श्री पी. करुणाकरन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल तथा देश के कुछ अन्य राज्यों में सुपारी पौधारोपण पीत पर्ण (येलो लीफ) रोग के कारण प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त रोग को दूर करने के लिए किसानों एवं अन्य संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने रोग प्रभावित पाम्स को हटाने, बेहतर प्रबंधन परम्पराओं को बढ़ावा देने तथा वैकल्पिक फसलों की खेती करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र व तमिलनाडु के भागों में सुपारी पौधरोपण पीत पर्ण (येलो लीफ) रोग से प्रभावित हुआ है।

(ख) से (च) केरल सरकार से जनवरी, 2005 में पीत पर्ण रोग (येलो लीफ डिसीज) प्रभावित सुपारी पामों के प्रबंधन हेतु 2.19 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस रोग के नियंत्रण प्रबंधन के लिए कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों के कृषि अनुपूरण/सम्पूरण में वृहत प्रबंधन स्कीम के तहत केरल सरकार को मार्च, 2005 में 91.10 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

सैंट्रल प्लांटेशन क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीसीआरआई), कासरगोड़ और दक्षिण कनारा जिले में इसके क्षेत्रीय केन्द्र इस रोग के नियंत्रण प्रबंधन संबंधी अनुसंधान आयोजित कर रहे हैं और इन्होंने किसानों के लिए कई फसल प्रबंध पद्धतियों की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत पिछड़े राज्यों को सहायता

***349. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या पर्वतीय राज्यों को ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड भिन्न हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश और कर्नाटक को पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) मौजूदा एआईबीपी दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पहाड़ी राज्यों के लिए कोई अलग मानदंड नहीं है। तथापि एआईबीपी के अधीन सीएलए उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तरांचल के पहाड़ी राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों और परियोजनाओं से लाभान्वित उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर तथा कोरापुट जिलों को विशेष श्रेणी राज्य/क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

विशेष श्रेणी राज्यों/क्षेत्र को 3:1 (केन्द्र: राज्य) के अनुपात में जबकि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 2:1 (केन्द्र: राज्य) के अनुपात में सीएलए प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता 90:10 (अनुदान: ऋण) के अनुपात में प्रदान की जाती है जबकि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को 30:70 (अनुदान : ऋण) के अनुपात में प्रदान की जाती है। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में सूखा प्रवण और जनजातीय क्षेत्र में परियोजनाएं (जिन्हें योजना आयोग के परामर्श से अभिज्ञात किया जाएगा) भी विशेष श्रेणी राज्यों की भांति वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए 1.4.2005 से प्रभावी संशोधित दिशानिर्देश वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

वित्तपोषण के लिए पात्रता के मानदंड

1. केवल अनुमोदित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अर्थात जिन परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निवेश मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, जो निर्माण की अग्रिम अवस्था में हैं और अगले चार (4) वित्तीय वर्षों के भीतर पूरी की जा सकती है और जिन्हें किसी अन्य प्रकार की सहायता (नाबार्ड, विदेशी सहायता आदि) नहीं मिल रही है, को इस कार्यक्रम में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है। कार्यक्रम के अधीन ऐसी परियोजनाओं, जिन्हें अन्य सहायता नहीं मिल रही है, के घटक भी शामिल किये जा सकते हैं। संसाधनों के अत्यधिक बिखराव से

बचने के लिए राज्य सरकारों को केवल कुछेक आशाजनक परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

2. कार्यक्रम के अधीन एक परियोजना पूरा करने पर ही दूसरी परियोजना को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि फास्ट ट्रैक परियोजनाएं और पांचवीं योजना से पहले की तथा पांचवीं योजना की परियोजनाएं इस कार्यक्रम के अधीन उक्त शर्त के बिना शामिल की जा सकती है।

3. उड़ीसा के केबीके जिलों के मामले में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल की जा सकती हैं जो निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में हैं।

4. कार्यक्रम में शामिल किये जाने के लिए परियोजनाओं की निम्न श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी:

(1) जनजातीय/सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं।

(2) अंतर्राज्यीय परियोजनाएं (सभी पक्षकार राज्य अलग-अलग रूप से सहायता के लिए पात्र होंगे)।

(3) अतिरिक्त निवेश की प्रत्येक इकाई के लिए विशाल सिंचित क्षेत्र वाली परियोजनाएं।

5. बड़ी परियोजनाओं के मामले में सहायता उनकी चरणबद्ध पूर्ति के आधार पर दी जाएगी जिससे कि अतिरिक्त लाभ जल्दी प्राप्त होना शुरू हो जाए। जिन परियोजनाओं पर 50% से अधिक अनुमानित लागत खर्च की जा चुकी है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

6. विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाएं निम्न शर्तों के अध्यधीन शामिल की जा सकती है:

(क) उनकी अनुमति ऐसे राज्यों में दी जा सकती है जिनके पास एआईबीपी के अधीन रखे जाने के लिए कोई वृहद अथवा मध्यम परियोजना नहीं है और इस प्रकार वे एआईबीपी का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

(ख) उनकी अनुमति निम्नानुसार दी जा सकती है:

(1) ऐसे राज्यों में जिन्होंने जल क्षेत्र में सुधार अर्थात जल दरों में वृद्धि मंजूर कर ली है जिससे कि अगले 5 वर्षों में पूरी ओ तथा एम लागत वहन की जा सके। (अभी तक केवल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तथा झारखंड ने आवश्यक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं)।

अथवा

(2) ऐसे राज्यों में जिन्होंने सहभागिता सिंचाई प्रबंध कानून अधिनियमित कर लिया है।

अथवा

(3) ईआरएम परियोजनाओं के लिए जहां न केवल लुप्त क्षमता की पुनर्स्थापना बल्कि नई क्षमता की परिकल्पना भी की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए की निधियां केवल (ईआरएम) परियोजनाओं पर खर्च न हो जाए एआईबीपी के अधीन सकल वार्षिक आवंटन का अधिक से अधिक 10% ईआरएम के लिए होगा और इस प्रकार 90% वृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिए होगा।

7. राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक स्वतंत्र परियोजना के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी जिसमें बकाया लागत, बकाया क्षमता, व्यय का वर्ष-वार आवंटन तथा बकाया क्षमता और लक्षित पूर्ति तारीख सहित चार वित्तीय वर्षों के भीतर परियोजना पूरा करने के प्रति सहमति दर्शायी जाएग।

सतही लघु सिंचाई योजनाएं

वित्तपोषण के लिए पात्रता के मानदंड

(1) पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर और उत्तरांचल) और उड़ीसा के सूखा प्रवण केबीके जिलों की ऐसी सतही लघु सिंचाई (एमआई) योजनाएं (नई और निर्माणाधीन दोनों प्रकार की) जिन्हें राज्य टीएसी/राज्य योजना विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, इस कार्यक्रम के अधीन पात्र होंगी। तथापि, राज्य सरकार को केवल ऐसे प्रस्ताव पेश करने चाहिए जहां अलग-अलग योजनआएं कम से कम 20 हैक्टेयर की और योजनाओं का समूह (5 किलोमीटर घेरे के भीतर) कम से कम 50 हैक्टेयर की कुल अंतिम सिंचाई क्षमता को लाभ पहुंचाता हो। प्रस्तावित एमआई योजनाओं का लाभ लागत अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए और इन योजनाओं की प्रति हैक्टेयर विकास लागत 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 100 हैक्टेयर से अधिक की क्षमता वाली केवल ऐसी लघु सिंचाई योजनाओं को एआईबीपी के अधीन शामिल किया जाएगा जो पूरी तरह दलितों और आदिवासियों को लाभान्वित करती हो और ऐसा करते समय जनजातीय क्षेत्रों और सूखा प्रवण क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी।

राज्य सरकार समय-सूची के अनुसार दो वित्तीय वर्षों के भीतर उनके पूरा किये जाने, लागत में लाभग्राहियों के 10% अंशदान और निर्माणोत्तर रखरखाव के लिए जल प्रयोक्ता संघ (डब्ल्यूए) की स्थापना का वायदा करेगी। शुरू की जाने वाली योजनाओं के बारे में योजना आयोग के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा।

(3) जिन अन्य शर्तों को पूरा किया जाना है वे इस प्रकार हैं:

(1) राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक स्वतंत्र योजना/योजनाओं के समूह के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी जिसमें बकाया लागत, बकाया क्षमता, व्यय का वर्ष-वार आबंटन तथा पूर्ति तारीख के लक्ष्य सहित दो वित्तीय वर्षों के भीतर योजना पूरा करने के प्रति सहमति दर्शायी जाएगी।

(2) जो परियोजनाएं विदेशी/नाबार्ड जैसी घरेलू एजेंसियों से पहले ही सहायता प्राप्त कर रही हैं वे कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) के लिए पात्र नहीं होंगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता

***350. श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भेषज और उर्वरक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त क्षेत्रों में लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इनके द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ग) घाटे वाली सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने और इन क्षेत्रों में रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान फार्मास्युटिकल सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को प्रदत्त सहायता क ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	वित्तीय सहायता (करोड़ रु.)							
		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	2.00	6.94	2.77	4.50	3.00	27.30	-	44.00*
2.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	5.00	-	4.64	-	4.12	5.61	3.50	-
3.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)		2,9203	-	-	-	7.00	-	-
4.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड (बीआईएल)	-	43.7575	-	-	-	10.00	-	-
5.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एसएसएल)	-	23,8504	-	2.50	-	-	-	-

*सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के प्रावधानों के अनुसार वीआरएस पर व्यय और अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए जारी किया गया।

गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान उर्वरक सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	निम्नांकित वर्षों के दौरान दी गई सहायता (करोड़ रु.)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लि. (एमएफएल)	योजना: 14.00 गैर-योजना: 7.44 अन्य: (1) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ऋण पर ब्याज की माफी (2) 1.4.2003 से भारत सरकार ऋण पर ब्याज को 15.1% से घटाकर 7% करना	योजना: 11.93 गैर-योजना: शून्य अन्य: शून्य	योजना: 9.49 गैर-योजना: शून्य अन्य: शून्य	योजना: शून्य गैर-योजना: शून्य अन्य: शून्य
2.	फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी)	योजना: 17.26 गैर-योजना: शून्य अन्य: (1) 31.3.2003 तक पिछले भुगतान न किये जाने पर दंड ब्याज और भारत सरकार ऋण पर ब्याज (87.80 करोड़ रुपये) की माफी; (2) 31.3.2004 तक भारत सरकार के मूल ऋण के पुनर्भुगतान पर स्थगन। (3) ऋणों पर ब्याज दर को मौजूदा 13.5% से 16% तक से घटाकर 7% करना (4) 31..2003 से 31.3.2004 तक भारत सरकार के	योजना: 10.14 गैर-योजना: शून्य अन्य: शून्य	योजना: 40.00 गैर-योजना: शून्य अन्य: (1) दंड ब्याज के साथ 31.3.2005 तक बकायेब्याज (85.77 करोड़ रु.) की माफी (2) भारत सरकार के 584.60 करोड़ रु. के ऋण में से 50% को इक्विटी पूंजी में परिणत करना (292.30 करोड़ रु.) (3) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए प्रदत्त 60 करोड़ रु. गैर-योजना ऋण को बट्टेखाते डालना (4) भारत सरकार के	योजना: शून्य अन्य: शून्य

1	2	3	4	5	6
		बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान का आस्थगन, आस्थगित ब्याज को 31.3.2004 को ऋण में परिवर्तित किया गया।		शेष 232.30 करोड़ रु. के बकाये ऋण को बट्टेखाते डालना।	
3.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	योजना: 131.30 गैर-योजना: 35.73 अन्य: शून्य	योजना: शून्य गैर-योजना: 10.00 अन्य: 4.45 (इक्विटी सहायता)	योजना: 35.34 गैर-योजना: 41.15 अन्य: इक्विटी: 2.15	शून्य
4.	प्रोजैक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड	योजना: 0.25 गैर-योजना: 136.15 अन्य: इक्विटी: 25.00 गैर-नकद: 135.18	शून्य	शून्य	शून्य
5.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लि. (एफएजीएमआईएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	पायराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि. (पीपीसीएल)	योजना: शून्य गैर-योजना: 20.48 अन्य: शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआईएल)	गैर-योजना: 4.49	शून्य	गैर-योजना: 16.00	शून्य
8.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. (आरसीएफएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	नेशनल फर्टीलाइजर्स लि. (एनएफएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	हिंदुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि. (एचएफसीएल)	गैर-योजना: 4.85	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) औषध सेक्टर में राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आरडीपीएल), जयपुर और कर्नाटक एंटिबायोटिक्स फार्मास्युटिकल्स लि. (केएपीएल) के नाम से दो कंपनियां, क्रमशः आईडीपीएल और एचएएल की संयुक्त उपक्रम कंपनियां, लाभार्जन कर रही है। उक्त अवधि के दौरान इन पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	इन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ (करोड़ रु. में)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (पहली तिमाही)
1.	आडीपीएल	1.18*	0.67*	2.55* (गैर-लेखा-परीक्षित)	0.40 (अनन्तिम)
2.	केएपीएल	4.36*	5.32*	5.57*	1.30 (अनन्तिम)

*कर से पूर्व लाभ

इसके अलावा बीसीपीएल नाम एक सीपीएसयू ने वर्ष 2003-04 में 7.95 करोड़ रु. का लाभार्जन किया। वर्ष 2005-06 के दौरान इसने 0.10 करोड़ रु. लाभ (अनंतिम) का अनुमान लगाया है।

फर्टीलाइजर सेक्टर में लाभ कमाने वाली पीएसयूज का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	निम्न वर्षों के दौरान अर्जित लाभ (करोड़ रु.)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 की पहली तिमाही
1.	फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी)	-	-	235.65	-
2.	ब्रहमपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	-	22.54	-	-
3.	प्रोजेक्टस एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड	8.69	10.06	10.64	2.57
4.	एफसीआई अरावली जिम्पसम एंड मिनरल्स इंडिया लि. (एफएजीएमआईएल)	2.832*	6.56*	9.85*	4.03
5.	राष्ट्रीय कमेमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. (आरसीएफ एल)	257.13*	212.59*	215.67*	7.46
6.	नेशनल फर्टीलाइजर्स लि. (एनएफएल)	119.10*	214.54*	179.29*	24.66

*कर से पहले लाभ
-हानि

(ग) रूग्ण फार्मा सार्वजनिक क्षेत्रीय केन्द्रीय उद्यमों (सीपीएसईज) को पुनर्जीवित करने के उपाय शुरू किए गए हैं। दिनांक 9.3.2006 को सरकार ने एचएएल की पुनरूद्धार योजना का अनुमोदन किया है। बीसीपीएल की पुनरूद्धार योजना बीआरपीएसई के पास इसकी सिफारिशों के लिए भेजी गई है। आईडीपीएल की पुनरूद्धार योजना के मसौदे पर विचार किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही बीआरपीएसई के समक्ष रखा जाएगा।

रूग्ण फार्मा सीपीएसईज का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए, सरकार ने विभागों, सीपीइसईज, केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकायों इत्यादि द्वारा एनपीपीए से अनुमोदित/प्रमाणित दरों में 35% छूट पर फार्मा सीपीएसईज और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित 102 औषधों को क्रय प्राथमिकता देने का निर्णय किया है इस संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं (7.8.2006 को)।

उर्वरक इकाइयों का कंपनी-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है-

1. मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल): कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन या किसी अन्य लाभार्जक उर्वरक पीएसयू के साथ संयुक्त उपक्रम के गठन की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
2. फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी): सरकार ने 30.3.2006 को कंपनी के संबंध में वित्तीय पुनर्संरचना के एक प्रस्ताव को कार्यान्वित किया है। इसके अलावा, इस कंपनी के किसी लाभार्जक पीएसयू में विलय या ऐसे किसी पीएसयू की इसे सहायक कंपनी बनाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
3. एचएफसीएल, एफसीआईएल, पीपीसीएल: इन कंपनियों के पुनरूद्धार पर सरकार विचार कर रही है।
4. आरसीएफ, एनएफएल, पीडीआईएल एंड एफएजीएमआईएल: इन पर लागू नहीं होता क्योंकि ये लाभार्जक कंपनियां हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण सहकारी ऋण

***351. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली की जांच करने के लिए गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार द्वारा अब तक कार्रवाई की गई है; और

(घ) शेष सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी हां। इस कार्यबल ने अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस कार्यबल ने एक पुनरूद्धार पैकेज (रिवाइवल पैकेज) के लिये सिफारिश की है जिसमें विधिक और संस्थागत सुधारों के साथ-साथ वित्तीय सहायता दिये जाने की बात शामिल है। अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचनाओं, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, वृहद् आदिवासी बहुउद्देश्यीय समितियां और कृषक सेवा समितियां सम्मिलित हैं, को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में तुलनपत्र (बैलेंसशीट) को पूरा करने, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता की अवधारणा को समर्थन देने, एक समान लेखा-प्रणाली को विकसित करने, कम्प्यूटरीकरण और प्रशिक्षण को कवर किया जायेगा। 13596 करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय पैकेज में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें और सहकारी ऋण संरचनायें अपनी-अपनी भागीदारी निभायेंगी। भारत सरकार ने इस कार्य बल की सिफारिशों को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ग) कार्यबल की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 5 जनवरी, 2006 को राज्य सरकारों को इस पुनरूद्धार पैकेज से अवगत करा दिया गया था।

(2) सात राज्यों यथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम ने सिद्धांत रूप में पुनरूद्धार पैकेज को स्वीकार कर लिया है।

(3) नाबार्ड को सभी राज्यों में इस पुनरूद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के लिये क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिये नाबार्ड के मुख्यालय में एक सहकारी पुनरूद्धार एवं सुधार विभाग की स्थापना की गई है।

(4) पुनरूद्धार पैकेज के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन देने और उस पर निगरानी रखने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक राष्ट्र स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अन्य सदस्य हैं–भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, भारत सरकार के दो सचिव और नाबार्ड के अध्यक्ष, क्रियान्वयनकारी राज्यों के प्रतिनिधि और दो को-आपरेटर्स। राष्ट्र स्तरीय क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति (एनआईएमसी) की पहली बैठक 30 मई, 2006 को हुई थी। महाराष्ट्र में एक राज्य स्तरीय कियान्वयम समिति का गठन किया गया है।

(5) एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया था और सभी राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने 18 अप्रैल 2006 को समझौता ज्ञापन का एक फार्मेट भेज दिया है ताकि इसका भारत सरकार, राज्य सरकारें और नाबार्ड के बीच पैकेज के क्रियान्वयन के लिये निष्पादन किया जा सके।

(6) नाबार्ड ने फार्मेट और कार्य सम्बन्धी मैन्युअल तैयार कर लिया है जिससे कि सहायता राशि का विशेष रूप से लेखा-परीक्षा करने में सुविधा हो। इस फार्मेट और मैन्युअल्स को सभी राज्यों के पास भेज दिया गया है।

(7) राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में पीएसीएस/ डीसीसीबी में विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए प्रशिक्षकों को तैयार करने हेतु मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम पूरा हो गया है।

(8) सीसीएस के चयनित निदेशकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए नाबार्ड द्वारा ट्रेनिंग माड्यूल्स तैयार किया जा रहा है।

(9) एसटीसीसीएस के लिए नाबार्ड में एक कॉमन लेखा प्रणाली तैयार की जा रही है। जिससे लेखा विधि की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो सकेगी।

(घ) इसके क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा, यह अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करेगा। इस पुनरूद्धार पैकेज को स्वीकार करने के लिए निर्णय लेने हेतु राज्यों को दो वर्ष का समय दिया गया है उसके बाद पुनरूद्धार पैकेज के क्रियान्वयन का समय तीन वर्ष का होगा।

महिला डेयरी सहकारी नेतृत्व कार्यक्रम

***352. श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) देश में महिला डेयरी सहकारी नेतृत्व कार्यक्रम (वूमन डेयरी कोआपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम) क्रियान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु राज्यों को राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अगस्त, 1997 से दिसम्बर, 2002 तक महिला डेयरी सहकारी नेतृत्व कार्यक्रम (डब्ल्यू डी सी एल पी) क्रियान्वित किया था।

(ख) इस कार्यक्रम ने उन क्रियाकलापों के लिए 14 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में 50 सहकारी दुग्ध संघों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की थी जिन्होंने महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के अवसर प्रदान किए।

(ग) उक्त कार्यक्रम को 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया गया था, ये हैं:– आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(घ) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञ ग्रुप

***353. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित राष्ट्रीय वानिकी 'डाटाबेस' प्रबंधन प्रणाली (एनएफडीएमएस) योजना, मार्गदर्शन और क्रियान्वयन में सहायता के लिए एक विशेषज्ञ/सलाहकार/कार्यकारी ग्रुप का गठन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वन सांख्यिकी का प्रभाव प्रचार-प्रसार और उपयोग जारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ग्रुप द्वारा अब तक क्या सुझाव दिए गए हैं अथवा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने एनएफडीएमएस के विकास हेतु कोई ब्ल्यूप्रिंट तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार ने समेकित, राष्ट्रीय वानिकी डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (एन एफ डी एम एस) के कार्यान्वयन के नियोजन मार्गदर्शन और समर्थन हेतु एक विशेषज्ञ/सलाहकार/कार्यकारी दल का गठन किया है ताकि वन सांख्यिकी का प्रभावी प्रचार-प्रसार और उपयोग संबंधी कार्य जारी रखना सुनिश्चित किया जा सके। विशेषज्ञ दल की पहली बैठक हो गई है और राष्ट्रीय वानिकी डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (एन एफ डी एम एस) के विकास हेतु ब्ल्यूप्रिंट तैयार करने के लिए सूचना अपेक्षा विश्लेषण, कार्यात्मक अपेक्षा अध्ययन, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए विस्तृत विचारार्थ विषय प्रस्तावित किए हैं।

प्रसार भारती अधिनियम का निरसन

***354. श्री उदय सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम लागू होने के बाद से दूरदर्शन के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वायत्त निगम को वापस सरकारी नियंत्रण में लाने के लिए उक्त अधिनियम को निरस्त करने हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कर्मचारी परिसंघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। परिसंघ के प्रतिनिधियों को राय है कि प्रसार भारती अधिनियम, 1990, जिसे नवम्बर, 1997 में लागू किया गया था, को रद्द किया जाए और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के संबंध में यथा पूर्व स्थिति बहाल की जाए। उनका मत था कि यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रसार भारती के कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं प्रसार भारती में उनकी समवत प्रतिनियुक्ति पर निगम के कर्मचारी बनने के कारण चरणबद्ध तरीके वे वापस ले ली गई थी। प्रसार भारती अधिनियम को रद्द करने का मुद्दा, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्तुत मदों में से एक है और इस मामले पर मंत्री-समूह द्वारा अंतिम राय कायम करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जा सकता है।

इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं

***355. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा लौह और इस्पात क्षेत्र में अब तक कितनी अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) अब तक कितनी अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हुई हैं;

(ग) क्या इन अनुसंधान परियोजनाओं से कोई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इस्पात संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में कितना सुधार हुआ है;

(ङ) क्या इस्पात विकास निधि को बढाने की कोई मांग है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) लौह तथा इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं की स्वीकृति देने और उन पर निगरानी के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित की गई अधिकार प्राप्त समिति ने 44 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

(ख) अभी तक 21 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

(ग) और (घ) पूरी हुई परियोजनाओं से लौह और इस्पात उत्पादन प्रक्रियाओं, कच्चे मालों के उन्नयन, उत्पाद विकास उत्पादकता में वृद्धि, इस्पात उत्पादन के दौरान रिफ्रैक्ट्री की खपत में कमी, इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस/इंडक्शन फर्नेस रूट में ऊर्जा खपत में कमी, अपशिष्ट सामग्रियों का उपयोग आदि के क्षेत्र में लाभ मिल रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक उद्योग में कोयला गैसीयकरण प्रौद्योगिकी

***356. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफ्रीका और चीन जैसे देश उर्वरक उद्योग में कोयला गैसीयकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय में उर्वरक उद्योग में कोयला गैसीयकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए मंत्रालय ने किसी समन्वय समूह का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) कोयला गैसीयकरण से निकाली गई सिंथेसिस गैस का प्रयोग विद्युत उत्पादन उर्वरकों का उत्पादन, मेथानोल, हाइड्रोजन आदि में किया जा सकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित संयंत्रों द्वारा चीन में शैल कोयला गैसीयकरण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है।

क्र.सं.	संयंत्र स्थल	संयंत्र का ब्यौरा (कोयला फीडस्टाक का टीपीडी)	अंतिम उत्पाद
1.	युएयांग सिनोपेक	2000	उर्वरक
2.	लियुझोठ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	1200	उर्वरक
3.	हुबेई शुआनघुयान केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	900	उर्वरक
4.	सिनोपेक हुबेई केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी	2000	उर्वरक
5.	सिनोपेक एनक्विंग कंपनी	2000	उर्वरक
6.	युन्नान तियानन केमिकल कंपनी लि.	2700	उर्वरक
7.	युन्नान झानहुआ कंपनी लिमिटेड	2700	उर्वरक
8.	दहुआ ग्रुप लिमिटेड	11100	मेथानोल
9.	योंगचेंग कोल एंड पावर ग्रुप	2100	मेथानोल
10.	चाइना शेनसुआ कोल लिक्वेफैक्शन कार्पोरेशन	2×2200	हाइड्रोजन
11.	हेना झोनगुयान दाहुआ ग्रुप	2100	मेथानोल
12.	हेनान यिमा काईजियांग ग्रुप	1100	मेथानोल

(ख) और (ग) भारत में उर्वरक क्षेत्र में कोयला गैसीयकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए उर्वरक विभाग में एक समन्वय समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस समन्वय समूह में कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उर्वरक विभाग, गैल (इंडिया) लिमिटेड, प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) और फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया (एफएआई) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा, उर्वरक विभाग में समन्वय समूह की सहायता के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें उर्वरक विभाग, गैल (इंडिया) लिमिटेड, पीडीआईएल और एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फेगमिल) के प्रतिनिधि शामिल हैं। कोर ग्रुप को अन्य बातों के साथ-साथ कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही नई मूल्य निर्धारण और आपूर्ति नीति को ध्यान में रखते हुए कोयला के मूल्य और उपलब्धता का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है तथा यह कोयला के मूल्यों के संबंध में अनुमान लगाएगा।

(घ) से (च) समन्वय समूह द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

वन क्षेत्र

***357. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना (एनएफएपी) 1999 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र के सुधार और विस्तार के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 20 वर्ष की अवधि हेतु धनराशि की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ग) वित्तीय और वास्तविक दोनों प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। देश के वानिकी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से संबंधित मामलों पर राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप ध्यान देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना (एनएफएपी) बनाई है यह अगले 20 वर्षों के लिए एक व्यापक रणनीति वाली दीर्घावधिक योजना है-राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का उद्देश्य सतत वन विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत हिस्से को वन/वृक्षावरण के अंतर्गत लाना तथा वन कटाव को रोकना है।

(ख) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के निम्नलिखित पांच प्रमुख घटक हैं:

1. मौजूदा वन संसाधनों की सुरक्षा करना: इसके अंतर्गत तीन प्रमुख उप-कार्यक्रम रखे गए हैं, (1) वन सुरक्षा, (2) मृदा और जल संरक्षण तथा (3) परिरक्षित क्षेत्रों और जैव-विविधता का संरक्षण।

2. वन उत्पादकता में सुधार करना: इसके अंतर्गत चार प्रमुख उप-कार्यक्रम रखे गए हैं: (1) अवक्रमित वनों का पुनःस्थापन (2) अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (3) गैर-काष्ठ आधारित वनोत्पादों का विकास तथा (4) सामुदायिक प्रतिभागिता सहित निजी स्तर की पहलों में सहायता करना।

3. समग्र मांग को कम करना: इसके अंतर्गत (1) ईंधन काष्ठ व चारा (2) इमारती लकड़ी, तथा (3) गैर-काष्ठ आधारित वनोत्पादों आदि के बेहतर उपयोग संबंधी तीन प्रमुख उप-कार्यक्रम रखे गए हैं।

4. नीति व संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करना: इसके अंतर्गत तीन प्रमुख उप-कार्यक्रम है: (1) केन्द्रीय वानिकी प्रशासन (2) केन्द्रीय वानिकी संस्थाएं, तथा (3) राज्य वानकी प्रशासन और संस्थाएं।

5. वन क्षेत्र का विस्तार करना: इसके अंतर्गत दो प्रमुख उप-कार्यक्रम रखे गए हैं: (1) वन और गैर वन भूमियों पर वृक्षारोपण, और (2)वृक्षारोपण व उनकी सुरक्षा संबंधी कार्यों में लोगों की सहभागिता। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और ऐसा अनुमान है कि देश के एक तिहाई क्षेत्र को वन/वृक्षावरण के अंतर्गत लाने तथा सतत वन विकास कार्यों के लिए आगामी 20 वर्षों में 133903 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। घटक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I के रूप में संलग्न है।

(ग) योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को कार्यान्वित करने के क्रम में राज्यों और केन्द्र सरकार की वार्षिक योजनाओं में वानिकी क्षेत्र से संबंधित आबंटनों में वृद्धि करे, ताकि सतत वन विकास के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। केन्द्र सरकार ने पिछले छः वर्षों के दौरान वन और वन्यजीव क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 1705.9 करोड़ रुपये का निवेश किया है ब्यौरा संलग्न विवरण II पर है।

विवरण I

राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना (एनएफएपी) के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में 20 वर्षों के लिए किये गये निवेश अनुमान (करोड़ रुपये)

कार्यक्रम	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल
मौजूदा संसाधनों को सुरक्षित रखना	17005.86	4431.36	21437.22
वन उत्पादकता में सुधार करना	39147.99	2143.76	41291.75
कुल मांग में कमी करना	1549.24	1224.61	2773.85
नीति और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना	24968.48	2259.57	27228.05
वन क्षेत्र में विस्तार करना	40560.55	611.36	41171.91
कुल	123232.12	10670.66	133902.8

विवरण II

गत छः वर्षों के दौरान वन और वन्यजीव की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निवेश

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का नाम	वित्त वर्ष						कुल
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	
समेकित वन सुरक्षा स्कीम	21.94	45.62	45.82	24.09	54.07	32.61	224.15
प्रमुख वनीकरण स्कीमें	99.13	94.83	151.26	207.98	233.00	248.58	1034.78
हाथी परियोजना	6.37	8.32	9.39	12.85	13.34	11.52	61.79
बाघ परियोजना	19.18	19.48	28.80	30.66	27.64	29.95	155.72
राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य	24.80	23.54	36.94	43.19	47.80	53.19	229.46
कुल	171.42	191.79	272.21	318.78	375.85	375.85	1705.9

खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही

***358. डा. के. धनराजू:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्नों को अतिरिक्त स्टाक वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों में आवाजाही के साथ उन क्षेत्रों में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता, खरीद, स्टाक, आबंटन और आफ्टेक की स्थिति पर भी मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में भंडारण किये गये खाद्यान्नों का उन राज्यों में भेजे गये खाद्यान्नों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्नों के अंतर राज्य संचलन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल द्वारा खाद्यान्नों का अंतर-राज्य संचलन निम्नानुसार हुआ है:

(लाख टन में)

वर्ष	सरकारी खाते पर	प्राइवेट खाते पर*
2003-04	252.06	48.32
2004-05	294.62	69.82
2005-06	265.92	57.43

*अंतःराज्य संचलन सहित

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का सड़क द्वारा किया गया अंतर राज्य संचलन निम्नानुसार है:

वर्ष	सरकारी खाते पर
2003-04	22.59
2004-05	25.41
2005-06	22.15

इस मंत्रालय में प्राइवेट खाते पर खाद्यान्नों के सड़क द्वारा किये गये अंतर-राज्य संचलन के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के स्टाक और उक्त राज्यों को भेजे गए खाद्यान्नों की स्थिति निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य का नाम	स्टाक स्थिति (1.7.2006 की स्थिति के अनुसार)			खाद्यान्नों का संचलन (जून 2006)		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	19.96	0.21	20.17	0.08	0.00	0.08
असम/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2.44	0.26	2.70	1.96	0.56	2.52
बिहार	1.49	1.53	3.02	0.00	0.30	0.30
छत्तीसगढ़	8.61	0.29	8.90	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.22	1.17	1.39	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1.50	0.75	2.25	0.12	0.12	0.24
हरियाणा	1.73	15.08	16.81	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	0.02	0.08	0.10	0.19	0.14	0.33
जम्मू-कश्मीर	0.36	0.21	0.57	0.32	0.28	0.60
झारखंड	0.54	0.34	0.88	0.61	0.20	0.81
कर्नाटक	2.24	0.40	2.64	1.81	0.00	1.81
केरल	2.29	0.22	2.51	0.78	0.00	0.78
मध्य प्रदेश	1.18	0.81	1.99	0.47	0.44	0.91
महाराष्ट्र	3.90	1.43	5.33	0.69	0.20	0.89
उड़ीसा	4.23	0.23	4.46	0.00	0.20	0.20
पंजाब	34.94	51.42	86.36	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.22	1.85	2.07	0.18	1.42	1.60
तमिलनाडु	9.29	0.53	9.82	1.47	0.00	1.47
उत्तर प्रदेश	11.60	2.00	13.60	0.00	1.00	1.00
उत्तरांचल	1.06	0.24	1.30	0.00	0.18	0.18
पश्चिम बंगाल	2.46	1.61	4.07	0.00	1.52	1.52
पारगमन में स्टाक	1.15	1.41	2.56	0.00	0.00	0.00
जोड़	111.43	82.07	193.50	8.68	6.56	15.24

उर्वरकों पर राजसहायता संबंधी समिति

***359. श्री सुबोध मोहिते:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों पर राजसहायता कम करने के लिए गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक लागू किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से उर्वरक आदानों पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर में कटौती करके राजसहायता में कमी करने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) उर्वरक विभाग ने उर्वरकों पर राजसहायता कम करने के लिए समिति गठित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है।

(घ) से (च) उर्वरक विभाग ने उर्वरक आदानों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) का मामला राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति जिसका गठन बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर तथा उर्वरकों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस, नेफ्था, फर्नेस आयल/एलएसएचएस की बिक्री कर दर को युक्तिसंगत बनाने संबंधी सभी निर्णय लेने के लिए किया गया है, के समक्ष उठाया है।

[हिन्दी]

उर्वरक कंपनियों की राजसहायता

***360. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों को दी गयी राजसहायताओं के बीच कितना अंतर था;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियां राजसहायता प्राप्त करने के लिए उर्वरक उत्पादन के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही हैं जबकि वास्तविक उत्पादन उनके दावों से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान यूरिया इकाइयों को क्षेत्रवार दी गई राजसहायता की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्षेत्रवार यूरिया इकाइयों के प्रेषण तथा यूरिया इकाइयों के उत्पादन को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-II तथा विवरण-III पर हैं।

(ख) विभाग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान क्षेत्रवार/इकाईवार भुगतान की गई राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	इकाई	भुगतान की गई राजसहायता		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
(क) सार्वजनिक क्षेत्र				
1.	आरसीएफ-थाल	669.42	671.09	852.01
2.	आरसीएफ-ट्राम्बे	1.57	0.00	1.91
3.	एमएफएल-चेन्नई	409.76	496.74	676.39
4.	एनएफएल-भटिंडा	502.01	434.37	353.64
5.	एनएफएल-पानीपत	465.88	404.68	309.35
6.	एनएफएल-विजयपुर-I	164.49	146.45	123.93
7.	एनएफएल-विजयपुर-II	284.1	320.83	350.06
8.	एनएफएल-नांगल	544.85	452.51	420.85
9.	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	14.40	28.64	20.70
10.	एफएसीटी	-10.46	-6.63	-1.05
11.	एफसीआई (रामागुण्डम)	8.39	0.00	0.00
12.	एफसीआई (सिंदरी)	40.46	0.00	0.00
13.	एफसीआई (तलचर)	6.90	0.00	0.00

1	2	3	4	5
14.	एनएलसी-नेवेली	50.61	-0.15	0.00
15.	जीएसएफसी-वडोदरा (राज्य सरकार)	70.01	217.68	57.69
16.	जीएनवीएफसी-भरूच (राज्य सरकार)	224.85	265.46	293.98
	कुल	3447.28	3431.67	3459.46
(ख) सहकारी क्षेत्र				
1.	कृभको-हजीरा	322.21	179.59	245.94
2.	इफको-फूलपुर-I	460.95	526.58	536.03
3.	इफको-फूलपुर-II	577.55	865.60	913.65
4.	इफको-कलोल	286.94	319.76	151.92
5.	इफको-आवला-I	147.35	158.17	95.03
6.	इफको-आवला-II	143.89	245.56	125.55
	कुल	1938.89	2313.26	2068.12
(ग) निजी क्षेत्र				
1.	एनएफसीएल-काकीनाडा-I	146.51	184.25	144.44
2.	एनएफसीएल-काकीनाडा-II	207.81	298.05	479.39
3.	सीएफसीएल-गडेपान-I	230.62	386.49	329.26
4.	सीएफसीएल-गडेपान-II	617.47	821.19	828.45
5.	टीसीएल-बबराला	176.21	382.66	329.67
6.	जैडआईएल-गोवा	381.41	484.61	623.09
7.	एसएफसी-कोटा	299.37	310.48	436.36
8.	इंडोगल्फ-जगदीशपुर	106.28	215.97	278.39
9.	स्पिक-तूतीकोरिन	520.03	668.13	896.08
10.	ओसीएफएल-शाहजहांपुर	222.91	361.76	87.24
11.	एमसीएफएल-मंगलौर	226.21	384.63	461.32
12.	डीआईएल-कानपुर	0.00	0.00	38.90
	कुल	3134.83	4498.22	4932.59
	सकल कुल	8521.00	10243.15	10460.17

विवरण II

वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान क्षेत्रवार/इकाईवार किए गए प्रेषण

(मात्रा मी. टन में)

क्र.सं.	इकाई	पुनः मूल्यांकित क्षमता	प्रेषण		
			2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
(क) सार्वजनिक					
1.	आरसीएफ-थाल	706800.000	1688072.950	1788208.600	1687301.850
2.	आरसीएफ-ट्राम्बे	0.000	11689.750	0.000	0.000
3.	एमएफएल-चेन्नई	486750.000	369314.250	479991.100	375056.300
4.	एनएफएल-भटिंडा	511500.000	511500.00	566267.700	518000.000
5.	एनएफएल-पानीपत	511500.000	511502.500	556710.250	503500.000
6.	एनएफएल-विजयपुर-I	864600.000	869150.000	941834.000	891218.100
7.	एनएफएल-विजयपुर-II	864600.000	864599.200	940485.100	925950.700
8.	एनएफएल-नांगल	478500.000	478500.000	518937.600	479994.650
9.	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	315000.000	192226.000	195707.250	203226.000
10.	एफएसीटी	0.000	0.000	0.000	0.000
11.	एफसीआई (रामागुण्डम)	0.000	0.000	0.000	0.000
12.	एफसीआई (सिंदरी)	0.000	0.000	0.000	0.000
13.	एफसीआई (तलचर)	0.000	0.000	0.000	0.000
14.	एनएलसी-नेवेली	0.000	0.000	0.000	0.000
15.	जीएसएफसी-वडोदरा (राज्य सरकार)	370590.000	300482.104	302233.345	312269.324
16.	जीएनवीएफसी-भरूच (राज्य सरकार)	636900.000	636000.00	636000.000	636000.000
	कुल		6433036.754	6925824.945	6532516.924
(ख) सहकारी क्षेत्र					
1.	कृभको-हजीरा	1729200.000	1730847.800	1788092.600	1785553.700
2.	इफको-फूलपुर-I	551100.000	551138.900	565095.000	551137.300
3.	इफको-फूलपुर-II	864600.000	864600.000	864600.000	884673.550

1	2	3	4	5	6
4.	इफको-कलोल	544500.000	47765.5000	556504.150	544500.100
5.	इफको-आवला-I	864600.000	822658.350	863433.950	862986.750
6.	इफको-आवला-II	864600.000	851580.750	873833.100	874599.000
	कुल		5298461.300	5511558.800	5503450.400
(ग) निजी क्षेत्र					
1.	एनएफसीएल-काकीनाडा-I	597300.000	573210.950	657407.400	703649.000
2.	एनएफसीएल-काकीनाडा-II	597300.000	580890.650	735547.650	675571.000
3.	सीएफसीएल-गडेपान-I	864600.000	874223.950	960943.290	969971.398
4.	सीएफसीएल-गडेपान-II	864600.000	864599.850	894406.084	931275.580
5.	टीसीएल-बबराला	864600.000	847459.250	979996.250	959679.700
6.	जैडआईएल-गोवा	399300.000	389299.550	449300.000	399300.000
7.	एफएफसी-कोटा	379500.000	379000.000	379000.000	379000.000
8.	इंडोगल्फ-जगदीशपुर	864600.000	863085.450	987821.000	991073.650
9.	स्पिक-तूतीकोरिन	620400.000	620400.000	678815.250	620400.300
10.	ओसीएफएल/केएसएफएल-शाहजहांपुर	864600.000	877361.900	852702.750	905109.350
11.	एमसीएफएल-मंगलौर	379500.000	334957.350	335965.850	380000.000
12.	डीआईएल-कानपुर	722000.000	0.000	0.000	36787.750
	कुल		7194488.900	7901905.524	7951817.728
	सकल योग		18925986.954	20339289.269	19987785.052

विवरण III

वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान क्षेत्रवार/इकाईवार उत्पादन

(मात्रा मी. टन में)

क्र.सं.	इकाई	पुनः मूल्यांकित क्षमता	प्रेषण		
			2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
(क) सार्वजनिक					
1.	आरसीएफ-थाल	1706800.000	1687309.510	1790019.660	1684560.650
2.	आरसीएफ-ट्राम्बे	0.000	17372.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6
3.	एमएफएल-चेन्नई	486750.000	387681.000	473032.000	368500.000
4.	एनएफएल-भटिंडा	511500.000	511500.000	536501.000	518000.000
5.	एनएफएल-पानीपत	511500.000	511500.000	51500.000	503500.000
6.	एनएफएल-विजयपुर-I	864600.000	883699.000	926400.000	916103.000
7.	एनएफएल-विजयपुर-II	864600.000	864788.000	944500.00	926203.000
8.	एनएफएल-नांगल	478500.000	478500.000	493500.000	480000.000
9.	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	315000.000	240478.000	203060.000	206577.000
10.	एफएसीटी	0.000	0.000	0.000	0.000
11.	एफसीआई (रामागुण्डम)	0.000	0.000	0.000	0.000
12.	एफसीआई (सिंदरी)	0.000	0.000	0.000	0.000
13.	एफसीआई (तलचर)	0.000	0.000	0.000	0.000
14.	एनएलसी-नेवेली	0.000	0.000	0.000	0.000
15.	जीएसएफसी-वडोदरा (राज्य सरकार)	370390.000	300396.450	302693.150	314746.800
16.	जीएनवीएफसी-भरूच	636900.000	637142.000	634993.000	637436.000
	कुल		6520365.960	6836198.810	6555626.450
(ख) सहकारी क्षेत्र					
1.	कृभको-हजीरा	1729200.000	1773041.000	1805500.000	1806500.000
2.	इफको-फूलपुर-I	551100.00	540765.200	565056.100	551100.000
3.	इफको-फूलपुर-II	864600.000	850881.900	86021.500	884600.000
4.	इफको-कलोल	544500.000	479504.267	554507.258	544517.605
5.	इफको-आवला-I	864600.000	864748.625	864690.781	862970.118
6.	इफको-आवला-II	864600.000	864649.189	865275.362	874600.399
	कुल		5373590.181	5519051.001	5524298.122
(ग) निजी क्षेत्र					
1.	एनएफसीएल-काकीनाडा-I	597300.000	598220.000	657215.000	703649.000
2.	एनएफसीएल-काकीनाडा-II	597300.000	596430.000	735323.000	675571.000
3.	सीएफसीएल-गडेपान-I	864600.000	907731.000	961179.000	970077.000

1	2	3	4	5	6
4.	सीएफसीएल-गडेपान-II	864600.000	854616.000	894627.000	931443.000
5.	टीसीएल-बबराला	864600.000	864755.000	969307.000	960113.000
6.	जैडआईएल-गोवा	399300.000	399287.500	449398.420	400178.230
7.	एसएफसी-कोटा	379500.000	363948.000	379000.000	381300.000
8.	इंडोगल्फ-जगदीशपुर	864600.000	862003.249	985205.227	994483.974
9.	स्पिक-तूतीकोरिन	620400.000	621078.000	678810.000	620451.000
10.	ओसीएफसीएल/केएसएफएल-शाहजहांपुर	864600.000	857803.150	861081.550	898284.200
11.	एमसीएफएल-मंगलौर	379500.000	335030.000	335785.000	400000.000
12.	डीआईएल-कानपुर	722000.000	0.000	0.000	36854.000
	कुल		7260901.899	7906931.197	7972404.404
	सकल योग		19154858.040	20262181.008	20052328.976

दूरदर्शन द्वारा नई दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क का पक्ष लेना

2653. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन द्वारा नई दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क के प्रति पक्षपात दिखाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दूरदर्शन के अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामलों में वर्षवार जांच शुरू की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले निपटाए गए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यू दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क का पक्ष लेने के लिए दूरदर्शन के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1998 में एक नियमित मुकदमा दर्ज किया था।

(घ) और (ङ) अन्य मामलों में गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित संख्या में दूरदर्शन के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच प्रारंभ की थी:

वर्ष	मुकदमों की संख्या
दिनांक 1.8.2003 से 31.7.2004	4
दिनांक 1.8.2004 से 31.7.2005	3
दिनांक 1.8.2005 से 31.7.2006	2

गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त मुकदमों से एक मुकदमे का निपटान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु नई नीति

2654. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्तमान कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान को पुनः परिभाषित करने के लिए नई नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उच्च मूल्य की वस्तुओं के समेकित उत्पादन तथा विपणन हेतु कृषि में विविधता लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि शिक्षा को पुनः परिभाषित करने के प्रस्ताव में कौशल पर बल देना तथा उद्यमशीलता विकास अभिमुखी पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का विकास करना, हैण्ड्स-ऑन-ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण द्वारा फैकल्टी सक्षमता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, कक्षा के कमरे, प्रयोगशालाएं आदि सम्मिलित हैं, जिससे छात्र स्व-रोजगार शुरू करने के लिए आत्मविश्वासी बन सकें। उत्पादन से उपभोग तक की समूची मूल्य चेन की अनुसंधान आवश्यकताओं को उजागर करने के प्रयास जारी हैं, ताकि सभी पणधारी (स्टेकहोल्डर्स) लाभान्वित हो सकें।

(ग) और (घ) फसल विविधता एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। उच्च मूल्य और कम निवेश की आवश्यकता वाली फसलों जैसे तिलहनी, दलहनी, फलों, जैव-ईंधनों, औषधीय और संगधीय पौधों आदि से सम्बन्धित फसल प्रणाली की विविधता इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं। फसलों और फसल प्रणाली के अलावा कृषि प्रणाली संबंधी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें डेरी, मात्स्यिकी, पोल्ट्री, बागवानी आदि शामिल होते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन

2655. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन (आई पी टी वी) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई पी टी वी को शीघ्र शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ट्राई ने इस विषय पर परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड

2656. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के रामागुंडम स्थित भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड पर ए.पी. ट्रांसको के लगभग 35 करोड़ रुपए बकाया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) को 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुर्नगठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया था और भारत सरकार ने वर्ष 2002 में रामागुण्डम इकाई सहित सम्पूर्ण कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया था। बीआईएफआर ने इस कंपनी को बंद करने की सिफारिश की थी और अपना मत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (कंपनी क्षेत्राधिकार) को भेज दिया था जिसे कंपनी याचिका (सीपी) संख्या 183/2004 के रूप में पंजीकृत किया गया है और यह दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.8.2006 की कार्यवाहियों के तहत एफसीआईएल को असुरक्षित जमाकर्ता के देय भुगतान के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ए.पी. ट्रांस्को की देयताओं को भी निपटाया जाएगा।

[हिन्दी]

गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना

2657. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार को विश्व बैंक से कब तक ऋण प्राप्त हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का विस्तार

2658. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का वास्तविक उत्पादन, बिक्री तथा लाभ क्या हैं;

(ख) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए निवेश की राशि कितनी है; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) का वास्तविक उत्पादन, बिक्री तथा लाभ निम्नानुसार है–

वर्ष	विक्रेय इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन)	बिक्री (करोड़ रुपए)	निवल लाभ (करोड़ रुपए)
2003-04	3.169	6169.08	1547.19
2004-05	3.173	8181.34	2008.09
2005-06	3.237	8482.44	1252.37
2006.07	0.791	1774.22	284.06

(ख) से (घ) दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआरईएनएल), विशखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) की 8692 करोड़ रुपए (आधार जून, 2005 के मूल्य) की संशोधित अनुमानित लागत से इसकी द्रव इस्पात क्षमता को 3 मिलियन टन वार्षिक से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए विस्तार संबंधी योजना को अनुमोदित कर दिया है। विस्तार योजना की समग्र पूंजीगत लागत के लिए धन को व्यवस्था इसके आंतरिक संसाधनों तथा आंशिक रूप से वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण लेकर किये जाने का प्रस्ताव है। पूरी विस्तार योजना के अक्टूबर, 2009 तक पूरा होने की संभावना है।

प्रसार भारती को घाटा

2659. श्री के.सी. पल्लानी शामीः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती निगम को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने प्रसार भारती निगम को अर्थक्षम बनाने तथा इसके राजस्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) प्रसार भारती की भूमिका अन्य निजी प्रसारकों से भिन्न है और यह संगठन विशुद्धत: वाणिज्यिक आधार पर कार्य नहीं करता है। वाणिज्यिक राजस्व का अर्जन संगठन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है बल्कि यह इसके कार्यकलापों का आनुषंगिक मात्र है।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए उसकी व्यवहार्य पूंजीगत एवं वित्तीय संरचना के बारे में

सुझाव देने की बाबत सरकार द्वारा सचिव, सूचना एवं प्रसारण की अध्यक्षता में दिनांक 30/3/2005 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने उपलब्ध पुनर्संरचनात्मक विकल्पों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया है और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय, इसकी सिफारिशें प्रसार भारती के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित मंत्री-समूह के समक्ष हैं।

नकदी फसलें/परंपरागत फसलें

2660. श्री मोहन रावले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में किसानों ने बड़े पैमाने पर परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नकदी फसलों के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) परम्परागत फसलों (यथा चावल, गेहूं, अनाजों और दलहनों जैसे खाद्यान्नों) के साथ-साथ नकद फसलों (यथा तिलहनों, प्याज, आलू, कपास, पटसन और मेस्ता, गन्ना, नारियल, काजू, सुपारी और तम्बाकू) की कृषि के अंतर्गत 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के लिए क्षेत्र कवरेज नीचे सारणी में दिया गया है जिससे प्रदर्शित होता है कि नकदी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का अनुपात बढ़ रहा है-

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

2002-03	1138.6	398.7
2003-04	1234.5	414.4
2004-05	1200.8	462.1

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऊपरि कृष्णा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

2661. श्री सुब्रत बोस: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में ऊपरी कृष्णा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी हां।

(ख) अपर कृष्णा परियोजना को चरणों में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है। स्टेज-I चरण-II पर्यावरणीय मंजूरी के लिए इस मंत्रालय को नहीं भेजा गया था। चरण II, III और स्टेज II को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजा गया था और उन्हें क्रमश: 5.4.1989, 18.7.2000 और 4.10.2000 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी समेकित नीति

2662. श्री बालेश्वर यादव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान नीति पर टी.वी. प्रसारक, दूर-संचार एवं इंटरनेट कंपनियों के बीच समन्वय की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी कोई समेकित नीति लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) मीडिया नामत: टी वी प्रसारण, दूरसंचार और इंटरनेट कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित नीति फिलहाल विनिर्दिष्ट रूप से अंतर-निर्भर नहीं है। इसलिए उनके बीच समन्वयन के अभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) इस समय, मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर किसी एकीकृत नीति को तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पंजाब में राजमार्ग हेतु वानिकी मंजूरी

2663. श्री जोवाकिम बखला: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने बलाचौर-होशियारपुर-दसुआ राजमार्ग के उन्नयन हेतु वृक्षों को हटाने/इनकी कटाई से संबंधित प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी हेतु भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह अनुरोध कब से लंबित है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जी नहीं। पर्यावरणीय मंजूरी के लिए ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बालाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसुआ राजमार्ग के लिए 72.67 हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर उपभोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें विभिन्न प्रजातियों के लगभग 17,243 वृक्षों को काटना एवं 8,135 वृक्षों की टहनियों की काटना शामिल है। उपर्युक्त परियोजना के लिए 56.1732 हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर उपभोग के लिए अंतिम अनुमोदन 28.11.2005 को प्रदान किया गया है।

गुवाहाटी से राष्ट्रीय खेलों का प्रसारण

2664. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवणी और दूरदर्शन गुवाहाटी में होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों का प्रसारण करने की तैयार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र हेतु संस्वीकृत एवं जारी की गई धनराशि कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने स्वयं के संसाधनों से इन खेलों को कवर करेंगे।

फसल सुरक्षा हेतु परियोजना

2665. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को फसल सुरक्षा से संबंधित कितनी परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं/प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल सुरक्षा से सम्बन्धित कुल 290 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ख) कुल 39 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और वे परिचालन में हैं तथा 251 परियोजनाएं रद्द की गयी।

चलचित्रों का चयन

2666. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय चैलनों पर प्रसारित किए जा रहे 'बायोस्कोप' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित किए जाने हेतु चलचित्रों का चयन करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को दर्शकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतर अत्यंत ही निम्न एवं मध्यम दर्जे के चलचित्रों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार चलचित्रों के चयन हेतु विशेषज्ञों की समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बायोस्कोप श्रेणी के अंतर्गत फिल्मों का चयन विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों में से लघु सूचीयन समिति द्वारा किया जाता है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि बीते जमाने अधिमानत: वर्ष 1979 के पूर्व की मनोरंजक और लोकप्रिय फिल्मों को दूरदर्शन नेटवर्क पर सोमवार/मंगलवार/बुधवार को रात्रि 11.00 बजे धारावाहिकों के रूप में दिखाया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रसार भारत ने सूचित किया है कि तीन बाह्य विशेषज्ञों (जो प्रख्यात पत्रकार, फिल्म समालोचक आदि है) और तीन पदेन सदस्यों नामत: उप महानिदेशक (विपणन), निदेशक (फिल्म) और निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, मुंबई वाली एक लघु

सूचीयन समिति पहले से ही मौजूद है जो प्रसारण हेतु फिल्मों का चयन करती है।

नेशनल प्रोजेक्ट फार कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग (एनपीसीबीबी) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां

2667. श्री सुबोध मोहिते:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल प्रोजेक्ट फार कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग (एनपीसीबीबी) के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	गतिविधि घटक	2003-04	2004-05	2005-06
1.	मोबाइल प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को बदलना/स्थापित करना	5457	6751	7221
2.	वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण/कृत्रिम गर्भाधान सांड़ों की खरीद	5	15	13
3.	वीर्य बैंको का सुदृढ़ीकरण/स्थापना	31	47	56
4.	प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना	17	23	27

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की पेंशन निधि

2668. डा. के.एस. मनोज: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की पेंशन निधि में संचित धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि, 1995 के अंतर्गत पेंशन निधि का मूल्यांकन करने और अंतरिक राहत देने तथा पेंशन में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) 31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि में 70,041.21 करोड़ रुपए जमा हैं।

(ख) और (ग) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा-32 के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि का नियमित आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है।

पहले चार मूल्यांकनों से अधिशेष निधि का पता चलता है। अत: तदनुसार चार अंतरिम राहत, 4%, 5.5%, 4% तथा 4% की दर से क्रमश: 16.11.96, 01.04.98, 1.4.99 तथा 1.4.2000 से जारी की गई। तथापि, बाद के चार मूल्यांकनों में पेशन निधि में अधिशेष नहीं दर्शाया गया है। अत: वर्तमान में किसी प्रकार की राहत जारी किए जाने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

नहरों एवं तालाबों की मरम्मत हेतु पंजाब को सहायता

2669. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नहरों एवं तालाबों की मरम्मत कराने हेतु पंजाब को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) भारत सरकार ने 2004-2005 के दौरान कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों को भेजा जाना अपेक्षित होता है। तथापि, पंजाब को इस स्कीम के तहत कार्यक्रम की शुरूआत से कोई निधि जारी नहीं की गई है।

त्वरित सिंचाई लाभ/कार्यक्रम के तहत, पिछले तीन वर्ष के दौरान पंजाब सरकार को जारी किया गया अनुदान इस प्रकार है:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम और वित्तीय सहायता का कार्यक्रम	जारी किया गया अनुदान
1.	तलवारा से नीचे एच.पी. की सिंचाई (सामान्य एआईबीपी)	6.0966 करोड़ रुपये
2.	यूबीडीसी की रिमाडलिंग (एआईबीपी का फास्ट ट्रैक कार्यक्रम)	6.0000 करोड़ रुपये
3.	कांडी नहर चरण-II (आरडी 59.50 कि.मी. से 130 कि.मी.) का विस्तार (एआईबीपी का फास्ट ट्रैक कार्यक्रम)	14.22 करोड़ रुपये
	कुल	26.3166 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

भूटान में सतिचू झील का निरीक्षण

2670. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा करने वाली भूटान स्थित सतिचू झील का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु विशेषज्ञ समूह को भूटान भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस झील में अत्यधिक पानी भर जाने से असम एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ से भीषण तबाही होती है;

(ग) यदि हां, तो इससे कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) संयुक्त निरीक्षण के निष्कर्ष और इसकी टिप्पणियां तथा सुझाव क्या हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी हां, एक विशेषज्ञ दल ने जून, 2004 में भूटान में भूस्खलन बांध और झील का दौरा किया।

(ख) और (ग) 10 जुलाई, 2004 को भूस्खलन बांध में दरार पड़ गई जिसके कारण मोंगार और ल्हुईनाइज के बीच सड़क के कुछ हिस्से सहित धान के खेतों को नुकसान पहुंचा। असम में कुरिचू जल विद्युत परियोजना और बाढ़ चेतावनी केन्द्रों दोनों ही स्थानों पर पूर्व चेतावनी प्रणाली के विद्यमान होने के कारण सूचना समय से प्राप्त हुई और इसके परिणामस्वरूप दरार के कारण किसी प्रकार की जन हानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

(घ) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में भूस्खलन बांध और झील की स्थिति का उल्लेख किया गया। इस दल ने इस बांध की सुरक्षा के लिए तथा इसकी असफलता से बचने के वास्ते कुछ सुधारात्मक उपाय सुझाए। तथापि, कुरिचू परियोजना के परियोजना प्राधिकारियों ने स्थल की दुर्गम्यता, मूलभुत सुविधाओं के अभाव और आसन्ने मानसून को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कोई उपाय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। विशेषज्ञ दल, जिसने बांध में दरार आने के पहले दौरा किया था, की टिप्पणियां झील के फटने के पश्चात परिवर्तित परिदृश्य में बहुत अधिक सहायक सिद्ध न होंगी।

निजी चैनलों के लिए विज्ञापन दर

2671. श्री जे. एम. आरून रशीद:
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 हेतु विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा निजी सेटेलाइट चैनलों के पैनल में शामिल होने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक चैनल के लिए विज्ञापन दर निर्धारित करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 2003 में निजी उपग्रह चैनलों के जरिए विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) को प्राधिकृत किया था। तदनुसार, टी वी चैनलों के संबंध में गत छह माह के टी ए एम आंकड़ों के औसत तथा न्यूनतम चैनल हिस्सेदारी-अखिल भारतीय/राज्य एवं शैली के आधार पर पैनल बनाने संबंधी समिति के जरिए डी.ए.वी.पी. द्वारा निजी उपग्रह चैनलों को पैनलबद्ध किया जाता है। इसी प्रकार से इन उपग्रह चैनलों के लिए दरों के संबंध में निर्णय डी.ए.वी.पी., आकाशवाणी, दूरदर्शन और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रतिनिधियों वाली एक समिति द्वारा लिया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ

2672. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ द्वारा पूर्वोत्तर-क्षेत्र (एनआईआर) हेतु बागवानी संबंधी एक 'मिनी मिशन' क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित की गई राशि, परियोजनाओं को स्वीकृत करने की तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मिशन को धीमी गति से क्रियान्वित करने और उसके कम प्रभावी होने के क्या कारण है; और

(घ) इसे और प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) उत्तर पूर्वी राज्य में समेकित बागवानी के विकास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-II, III और IV का क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियों में लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ भी आता है, जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली एक सहकारी समिति है। इस मिशन की स्वीकृति की तारीख अर्थात फरवरी 2001 से आवंटित और निर्मुक्त किये गये धन का राज्यवार ब्यौरे नीचे दिया गया है-

नौवीं योजना

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन	निर्मुक्ति
2001-02	67.25	67.25

दसवीं योजना (परिव्यय-585 करोड़ रु.)

वर्ष	आवंटन	निमुक्ति
2002-03	120.00	91.00
2003-04	120.00	92.39
2004-05	144.50	129.52
2005-06	130.00	132.69
2006-07	150.00	59.83 (आज तक)
योग (10वीं योजना)		505.43 (आज तक)

(ग) और (घ) इस स्कीम को मिशन कोड के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य बागवानी विकास के साथ-साथ रोपण सामग्री के उत्पादन, प्रौद्योगिकी विकास, परिशोधन और प्रदर्शन, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, बागवानी उत्पादों के फसलोपरांत प्रबन्धन, विपणन, प्रसंस्करण, और मूल्य संवर्द्धन से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करना है।

उत्तरपूर्वी राज्यों में इस मिशन के क्रियान्वयन से, विभिन्न बागवानी फसलों के अंतर्गत 1,17,872 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया जा सका है जिससे मिशन पूर्व की अवधि (2000-01) के क्षेत्र की अपेक्षा 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नर्सरियों, टिशू कल्चर ईकाईयों, सामुदायिक वाटर टैंको, टयूब वेलों, ड्रिप सिंचाई, ग्रीन, हाउस, मशरूम ईकाईयां, वर्मीकम्पोस्ट और अन्य ईकाईयों जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन से गुणवत्ताप्रद, पौध रोपण सामग्री का पर्याप्त उत्पादन हुआ है और इस क्षेत्र में बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादनकता में सुधार आया है।

इस मिशन के अंतर्गत बागवानी फसलों के अंतर्गत लाये गये अतिरिक्त क्षेत्र और सृजित की गई बुनियादी सुविधाओं को क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

उत्तरपूर्वी राज्यों में 2001-02 से 2005-06 के दौरान लघु मिशन-*II* के अंतर्गत बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र

उत्तरपूर्वी राज्य	फल	सब्जी	फूल	मसाले एवं रोपण फसले	औषधीय एवं सुगन्धित पौधे	योग
अरुणाचल प्रदेश	9987	2460	410	5650	2857	21364
असम	5515	1391	281	3998	200	11385
मणिपुर	6456	2186	348	2638	225	11853
मेघालय	4672	2042	99	2830	313	9956
मिजोरम	10994	3427	1272	2781	449	18923
नागालैण्ड	7891	2550	507	4127	2037	16663
सिक्किम	3730	4225	994	7533	20	16502
त्रिपुरा	5728	2698	128	2645	27	11226
योग	54973	20979	4039	32202	5679	117872

विवरण II

उत्तर पूर्वी राज्यों में बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत सृजित की गई बुनियादी सुविधायें

		उ.पूर्व
I.	**गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री का उत्पादन**	
	1. नर्सरियों की स्थापना (सं.)	355
II.	**जल संसाधनों का निर्माण**	
	1. सामुदायिक तालाब (सं.)	3637
	2. ट्यूब वेल (सं.)	2128
	3. ड्रिप सिंचाई (है.)	3284
	4. मलचिंग (है.)	1493
III.	**उन्नत प्रबंधन विधियों के लिए सुविधायें**	
	क. संरक्षित खेती	
	1. ग्रीन हाउसेस (500 वर्ग मी.) (सं.)	1611
	2. ग्रीन हाउसेस (100 वर्ग मी.) (सं.)	7453
	3. माडल पुष्प कृषि केन्द्र (सं.)	11

ख.	आईपीएम/आईएनएम	
	1. आईपीएम (है.)	2766
	2. रोग पूर्वानुमान इकाईयां (सं.)	19
	3. जीव वैज्ञानिक प्रयोगशालायें (सं.)	2
	4. पर्ण विश्लेषण इकाईयां (सं.)	10
	5. पादप स्वाथ्य केन्द्र (सं.)	11
ग.	जैविक कृषि	
	1. जैविक कृषि (है.)	5559
	2. अर्थवार्म इकाईयां (सं.)	4056
घ.	प्रशिक्षण अवसंरचनायें	
	1. माली प्रशिक्षण केन्द्र (सं.)	51
	2. पर्यवेक्षण प्रशिक्षण केन्द्र (सं.)	21
ङ.	विपणन अवसंरचनायें	
	1. थोक बाजार	29
	2. ग्रामीण प्राथमिक बाजार	243
	3. अपनी मंडी	43
	4. राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालायें	16
च.	प्रसंस्करण अवसंरचना	
	1. प्रसंस्करण इकाईयां	9

धनराशि का उपयोग

2673. प्रो. एम. रामदास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के 418.2 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि में से पहले तीन वर्षों के दौरान केवल 141.93 करोड़ रुपए खर्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंत्रालय के लिए निर्धारित की गई पूरी राशि को खर्च करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जहां तक रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का संबंध है, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 418.2 करोड़ रुपए की बजट सहयता में से दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 141.93 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) बजट सहायता में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की योजनाओं के लिए दसवीं योजना का संशोधित परिव्यय 418.42 करोड़ रुपए है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त तथा शैक्षिक संस्थानों द्वारा सृजित आईईबीआर 194 करोड़ रुपए है। बजट सहायता में 174.79 करोड़ रुपए अर्थात् केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) के लिए 80 करोड़ रुपए (15 मिलियन डॉलर) का ओपेक ऋण और असम गैस परियोजना के लिए 56.37 करोड़ रुपए तथा सीआईपीईटी की नई स्कीमों अर्थात् 3 नए केन्द्रों की स्थापना के लिए

38.42 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। विभिन्न क्रियाविधि, प्रचालन और व्यवहार्य मुद्दों के कारण इन स्कीमों को योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था। ओपेक ऋण जून, 2005 में ही अनुमोदित किया गया था तथा निधियां सितम्बर, 2005 के बाद ही उपलब्ध हो पाई थीं। सीआईपीईटी के तीन नए केन्द्रों की स्थापना का अनुमोदन जनवरी, 2006 में हुआ था। पीआईबी द्वारा असम गैस परियोजना अनुमोदित की गई है तथा सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल नोट लंबित था। इस प्रकार 41.8 प्रतिशत के परिव्यय वाली योजनाएं कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध नहीं था। अनुमोदित स्कीमों के लिए योजना अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान 141.93 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया है जो योजना के पहले तीन वर्षों के लिए 60 प्रतिशत के अनुपातिक लक्ष्य की तुलना में अनुमोदित स्कीमों के लिए 243.63 करोड़ रुपए के परिव्यय का 58.3 प्रतिशत बैठता है।

(ग) (1) ओपेक ऋण अनुमोदित हो गया है और सीआईपीईटी ने इसके उपयोग के लिए गतिविधियां प्रारम्भ कर दी है।

(2) तीन नए सीआईपीईटी केन्द्रों की स्थापना के लिए निधियों का उपयोग 2005-2006 के बाद से शुरू किया गया।

(3) असम गैस क्रैकर परियोजना अग्रिम चरण में है और संबंधित पार्टियों के बीच इसके लिए निर्धारित निधियों के उपयोग की पद्धति पर बातचीत चल रही है।

गुजरात में मूंगफली के तेल की उत्पादन इकाइयां स्थापित करना

2674. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा मूंगफली के तेल की दो उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं। एन डी डी बी का गुजरात में मूंगफली के तेल की दो उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों की औसत वृद्धि

2675. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों की पैदावार/वृद्धि की राज्य-वार औसत कीमत कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में विशेषकर तमिलनाडु में खाद्यान्नों की वृद्धि दर और औसत पैदावार को बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के आंकड़ों के आधार पर खाद्यान्न के पैदावार का औसत मूल्य और उत्पादन की वृद्धि दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विशेष फसल आधारित कृषि पद्धति के अंतर्गत तमिलनाडु समेत देशभर में अनाज और दलहनों के उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अक्टूबर 2000 से कृषि सम्बन्धी वृहद् प्रबन्धन के अंतर्गत चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के मामलें में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदानों, किसानों/विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा साथ ही साथ बीज छिड़काव और जल बचत उपकरणों यथा स्प्रिंकलर्स और ड्रिप सिंचाई उपकरणों आदि जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति के लिये सहायता दी जाती है। तिलहनों और दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये 1.4.2004 से समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का योजना (आइसोपाम) को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रजनक बीजों, आधारी बीजों, और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन के लिए और गुणवत्ताप्रद बीज उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम प्रमाणीकृत बीजों के वितरण, मिनीकिटों, बुनियादी सुविधाओं के विकास और समेकित कीट प्रबन्धन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, किसानों में प्रौद्योगिकी का अंतरण करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से तिलहनों और दलहनों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी पर अग्रणी प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

विवरण

खाद्यान्न

राज्य	औसत उपज (कि./है.)	उत्पादन की औसत वृद्धि दर %
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2013	-2.3
अरुणाचल प्रदेश	1197	1.5
असम	1443	3.3
बिहार	1550	-9.6
छत्तीसगढ़	919	32.8
गोवा	2443	1.6
गुजरात	1305	32.5
हरियाणा	3090	-0.2
हिमाचल प्रदेश	1673	13.5
जम्मू एवं कश्मीर	1524	8.1
झारखंड	1218	7.2
कर्नाटक	1192	3.5
केरल	2110	-2.5
मध्य प्रदेश	1090	12.4
महाराष्ट्र	834	1.2
मणिपुर	2328	3.8
मेघालय	1672	1.1
मिजोरम	1908	0.4
नागालैण्ड	1499	5.8
उड़ीसा	1146	23.9
पंजाब	3974	0.4
राजस्थान	1050	24.9
सिक्किम	1355	0.2
तमिलनाडु	1971	-3.4
त्रिपुरा	2194	2.1
उत्तर प्रदेश	2086	-2.2
उत्तरांचल	1665	0.7
पश्चिम बंगाल	2388	4.2
अ. एवं नि. दीपसमूह	1446	5.2
दा. एवं ना. हवेली	2742	-0.6
दिल्ली	1571	4.3
दमन एवं दीव	2305	0.5
पांडिचेरी	1657	1.3

नोट: खाद्यान्नों में शामिल हैं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दलहन औसत पैदावार और उत्पादन की औसत वृद्धि दर वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के आंकड़ों पर आधारित है।

पेंशन जारी करना

2676. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, मयूर भवन, नई दिल्ली ने दिसम्बर, 2004 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले भारतीय खाद्य निगम, सहारनपुर के कर्मचारियों को पेंशन जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन कर्मचारियों को पेंशन कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) यद्यपि भारतीय खाद्य निगम ने सहारनपुर के कर्मचारियों से संबंधित 21 मामलों की सूची क्षेत्रीय कार्यालय, मयूर भवन, नई दिल्ली में प्रस्तुत की थी, उनमें से एक कर्मचारी का दावा फार्म जिस पर पी.एफ. खाता संख्या: डी एल/2271/20258 उल्लिखित था, अन्य फार्मों के साथ संलग्न नहीं पाया गया। शेष 20 मामलों में से 10 का निपटान हो गया है और पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) जारी कर दिये गये हैं।

शेष मामले हर प्रकार से पूर्ण नहीं पाये गये हैं।

[हिन्दी]

पनधारा विकास योजना

2677. श्री वी. के. ठुम्मर:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पनधारा विकास योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों को धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को जिन क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है वहां के जल-स्तर में कोई सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों के जल-स्तर में सुधार हुआ है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) आवाह क्षेत्रों के सुधार के लिए मृदा तथा जल संरक्षण तथा झूम खेती क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। शुरूआत से लेकर 2005-06 तक एनडब्ल्यूडीपीआरए के अधीन 2671.56 करोड़ रुपए का खर्च करके कुल मिलाकर 8.56 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है। आवाह क्षेत्रों के सुधार के लिए मृदा और जल संरक्षण के अधीन शुरूआत से लेकर 2005-06 तक 1908.43 करोड़ रुपए के खर्च से 6.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है। झूम खेती क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना के अधीन शुरूआत से लेकर 2005-06 तक 255.58 करोड़ रुपए का खर्च करके 3.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है।

भू-संसाधन विभाग, हरियाली मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन तीन मांग-आधारित कार्यक्रम अर्थात एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। उक्त योजनाओं के अधीन पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों को प्रदान की गई राशि निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

योजनाएं	2004-05 और 2005-06 के दौरान प्रदान की गई निधियां
एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)	27881.254
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	28334.79
मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	13147.19

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आईडब्ल्यूडीपी, डीडीपी तथा डीपीएपी के अधीन परियोजनाओं के संबंध में किए गए प्रभाव मूल्यांकन (आईए) अध्ययनों और मध्यावधिक मूल्यांकन रिपोर्टों ने मूल्यांकित परियोजना क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार की रिपोर्ट दी है। देश के 16 राज्यों में 230 जिलों में शामिल आईडब्ल्यूडीपी के अधीन 146 परियोजनाओं, डीडीपी के अधीन 1190 परियोजनाओं और डीपीएपी के अधीन 4805 परियोजनाओं के लिए नमूने के आधार पर किए गए एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से यह पता चला है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में परियोजना क्षेत्रों में जल स्तर में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में रोजगार

2678. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विचार निजी क्षेत्र में विशेष श्रेणी के अंतर्गत रोजगार हेतु 'कोटा' प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी)

के अनुसरण में, निजी क्षेत्र में आरक्षण तथा यह देखने के लिए कि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा किस प्रकार बेहतर रूप में की जा सकती है, उद्योग से वार्ता आरंभ करने सहित सकारात्मक कार्रवाई मुद्दे की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जी ओ एम) का गठन किया गया। मंत्रियों के समूह ने चार प्रमुख उद्योग संघों के विचारों को सुनिश्चित किया तथा मामले में तीन विधि-विशेषज्ञों की राय भी ली।

[हिन्दी]

लवंडर की खेती

2679. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा लवंडर के इत्र की खेती के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार से मैसर्स फाजियम एग्रो फार्म, आशम, सुम्बल-बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर द्वारा लवंडर की खेती और लवंडर तेल एवं लवंडर जल निकालने पर एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किया है। परियोजना में 2.50 है. (50 कैनाल) क्षेत्र में लवंडर की खेती और 87.39 लाख रु. की कुल लागत पर 25 टन/वर्ष की क्षमता वाले लवंडर पुष्पों की एक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पर विचार किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत विचारार्थ परियोजना की जांच कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर को 35.00 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है ताकि बागवानी संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके जिसमें लवंडर तथा दूसरे औषधीय एवं सुगन्धित पौद्यों की 70 है. में खेती शामिल है। जिसमें से 8.83 करोड़ रु. की धनराशि जम्मू एवं कश्मीर सरकार को पहले ही निर्मुक्त कर दी गई है ताकि उपरोक्त कार्यक्रमों को चालू किया जा सके।

प्रगति ग्रेप गार्डन

2680. श्री डी.वी. पाटिल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को लातूर जिले के चाकूर में प्रगति ग्रेप गार्डन और प्रगति एग्रो पार्क स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार मराठवाड़ा के लिए भी ऐसा पैकेज देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को "उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबन्धन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" स्कीम के अंतर्गत चाकूर, लातूर जिले में 25.8.2005 को मैसर्ज प्रगति एग्रो पार्क से और 2.2.2006 को मैसर्ज प्रगति ग्रेप गार्डन से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार 50.00 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली समेकित परियोजनाओं के लिए आशय पत्र (एलओआई) की स्वीकृति से पूर्व क्षेत्रीय निरीक्षण अधिदेशात्मक है। 2006 में मैसर्ज प्रगति ग्रेप गार्डन के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना के कटाई पश्चात प्रबन्धन (पीएचएम) क्रियाकलाप के अंतर्गत पैकिंग/ग्रेडिंग के घटक को छोड़कर इसका पर्याप्त भाग अक्टूबर, 2005 तक पूरा हो गया था। कंपनी को परामर्श दिया गया था कि केवल पीएचएम घटक के लिए नए सिर से आवदेन करें क्योंकि एनएचबी पहले से पूरे हो चुके क्रियाकलापों के लिए एलओआई की स्वीकृति नहीं देता। मैसर्ज प्रगति गेप गार्डन को इस संबंध में नया प्रस्ताव अभी प्रस्तुत करना है। मैसर्ज प्रगति एग्रो पार्क की परियोजना के संबंध में एनएचबी ने पहले से ही एलओआई जारी कर दिया है और परियोजना के संबंध में पात्र सब्सिडी निर्मुक्त कर दी जाएगी।

(ग) से (ङ) जी, हां। बोर्ड मराठवाड़ा क्षेत्र सहित महाराष्ट्र राज्य में स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। वाणिज्यिक बागवानी स्कीम के अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी प्रति परियोजना कुल परियोजना लागत की 20% की दर से अधिकतम 25 लाख रुपए की सीमा

तक और पूर्वोत्तर/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 30.00 लाख रुपए प्रति परियोजना उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

नेशनल काउन्सिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग को अनुदान

2681. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के अंत में नेशनल काउन्सिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग (एन.सी.सी.टी.) को प्रति वर्ष अनुदान प्रदान करने वाली योजना को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कार्मिक निधि में दिए गए सार्वजनिक धन की सुरक्षा और इसकी जवाबदेही तथा एनसीसीटी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से नौवीं योजना में कार्यान्वित की गई सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम को आगे जारी रखने की स्वीकृति देते समय आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्देश दिया कि नौवीं योजना के बाद इस स्कीम का मूल्यांकन करने के उपरान्त इस स्कीम को ब्लाक अनुदान की संकल्पना के अनुसार होना चाहिए। तदनुसार, इस मंत्रालय के कहने पर आईआईएम, अहमदाबाद ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन आयोजित किया। अध्ययन दल ने दसवीं योजना के दौरान ब्लाक अनुदान की संकल्पना अपनाने और एनसीसीटी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले देश के सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सततता के लिए एक संग्रह निधि सृजित करने की सिफारिश की। तदनुसार, ब्लाक अनुदान की संकल्पना और एक संग्रह निधि बनाए जाने की संकल्पना के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्कीम पुनः संरचित की गई। एनसीसीटी के लिए अनुदान केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना तक स्वीकृत हैं। तथापि, ग्यारहवीं योजना के दौरान इस स्कीम को जारी रखा जाना इस स्कीम के गहराई से मूल्यांकन किए जाने पर निर्भर करेगा।

(ग) संग्रह निधि के लिए लगाई गई सार्वजनिक धनराशि की सुरक्षा और उत्तरदायित्वता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि निधि का प्रबंधन एक ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें केन्द्र सरकार के नामिति शामिल हों, इस निधि के नाम से एक पृथक बैंक खाता रखा जाएगा, समिति के निर्णयों के अनुसार निधि का निवेश किया जाएगा, केन्द्रीय पंजीकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा निधियों की लेखा परीक्षा की जाएगी तथा निधि की मूलधन राशि को सुरक्षित रखा जाएगा। कर्मचारियों की सेवा शर्तों से उन्हें प्राप्त होने वाले हितों की रक्षा निधि के निवेश से सृजित होने वाली आय में से की जाएगी।

[हिन्दी]

दूध और घी का उत्पादन

2682. श्री शिशुपाल पटले:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के देर से आने के कारण दूध और देसी घी का उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में दूध और घी का कितना उत्पादन दर्ज किया गया था;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान दूध और घी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम रहने का अनुमान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दूध और दुग्ध उत्पादों का मूल्य नियंत्रित करने और देश में इन उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (च) देश में दुग्ध उत्पादन पर वर्षा में देरी अथवा अपर्याप्त वर्षा के प्रभाव की जानकारी अंतिम रूप से वर्ष 2006-07 के लिए दुग्ध उत्पादन का आकलन पूरा होने के बाद ही मिलेगी। तथापि, भारत सरकार को देश में देरी से मानसून के कारण प्रभावित सकल दुग्ध उत्पादन के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। देश में घी का उत्पादन बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र में होता है, इसलिए घी के उत्पादन पर कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। देश में दुग्ध उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है-

वर्ष	मात्रा मीट्रिक टन में
2004-05	90.7
2005-06	94.6 (अनन्तिम अनुमान)
2006-07	97.8 (लक्ष्य)

वर्ष 2005-06 में भी दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है।

(छ) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदत्त सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान डेयरी उद्योग के संवर्धन के लिए प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

योजना	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (31.7.2006 तक)
I. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग				
1. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम	16.28	25.70	39.91	2.06
2. गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण	शून्य	24.64	30.39	4.97
3. सहकारिताओं को सहायता	2.71	9.82	5.46	शून्य
4. डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि	शून्य	शून्य	13.80	शून्य
II. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
1. प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना/खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना/आधुनिकीकरण	1.53	3.57	6.38	0.69

कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण शुल्क का भुगतान न किया जाना

2683. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ नामी-गिरामी कंपनियों ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अपने कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण संबंधी राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इनमें से कुछ कंपनियों को काली सूची में डाला गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक कंपनी पर 1 जनवरी, 2006 तक कितनी राशि बकाया है;

(घ) क्या काली सूची में दर्ज ये कंपनियां अपना नाम बदलकर प्रसार भारती के कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की प्रथा को रोकने और ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा सभी चूककर्ता एजेसियों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही प्रारंभ कर दी गयी है जिनका ब्यौरा क्रमशः विवरण I और विवरण II में दिया गया है।

(घ) बेनामी कंपनियों का ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

दूरदर्शन

दिनांक 9.8.2006 तक वर्ष 2005-2006 हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क पर चूककर्ता एजेंसियां

क. वे एजेंसियां जिनके खिलाफ विवेचन कार्यवाही प्रगति पर है

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4
1.	क्रिएटिव आई, पीरागढ़ी, दिल्ली	1298	1166
2.	श्री माधव, खार (प), मुम्बई	1156	932
3.	फेम कॉम, वर्ली, मुम्बई	1137	965
4.	मल्टी चैनल, खार (प), मुंबई	1102	855
5.	प्लस चैनल , अंधेरी (प), मुम्बई	1012	373
6.	न्यूमेरो यूनो, जुहू, मुम्बई	1010	861
7.	निम्बस कम्युनिकेशन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली	398	746
8.	प्राइम टाइम मीडिया, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	345	434
9.	मार्केट मूवर्स, ब्रीच कैंडी, मुम्बई	311	74
10.	दृष्टि इंडिया, अंधेरी (प), मुम्बई	294	271
11.	एडवांस टी वी नेटवर्क, नारायणा, दिल्ली	213	158
12.	कंसेप्ट एडवटाईजिंग, झंडेवालान, नई दिल्ली	186	78
13.	बी 4 यू मल्टीमीडिया, अंधेरी (प), मुम्बई	179	93
14.	ग्लोबल एंटरटेनर, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली	161	66

1	2	3	4
15.	प्रितीश नंदी कम्यु., लॉयन गेट के सामने, मुम्बई	154	201
16.	वर्ल्ड मीडिया, झंडेवालान, नई दिल्ली	132	142
17.	मीडिया एशिया, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली	122	62
18.	आलिया प्रॉडक्शंस, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली	60	131
19.	जी एन कॉम. ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	43	63
20.	जोसलीन कॉम., राजौरी गार्डन, नई दिल्ली	42	141
21.	सिनेमा विजन, जोगेश्वरी (प), मुम्बई	33	41
22.	एमेचर, लाजपत नगर, नई दिल्ली	23	11
23.	लहर पब्लिक सर्विस, तुला राम बाग, इलाहाबाद	27	16
24.	नीरजा फिल्मज, रोहतक रोड, नई दिल्ली	23	67
25.	गुरूजी एडवर्टाइजिंग, प्रीत विहार, दिल्ली	318	362
26.	यूनीवर्सल कम्युनिकेशन, जे एस एस मार्ग, मुम्बई	207	103
	कुल "क"	9988	8412

ख. एजेंसियां जिनके खिलाफ विवाचन खंड लागू किए गए

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4
1.	फिल्म क्राफ्ट, अंधेरी (प), मुम्बई	1266	347
2.	एम बीएम, पाली हिल, बांद्रा (प), मुम्बई	163	24
3.	एल आर इंट. लिंक रोड, मलाड (प), मुम्बई	155	17
4.	मैग्ना विजन, जंगपुरा-बी, नई दिल्ली	105	62
5.	प्रभा फिल्मज, वसंत कुंज, नई दिल्ली	80	14
6.	फर्स्ट ऑप्शन टेली फिल्मज अंधेरी (प), मुम्बई	72	76
7.	किने स्कोप, खार (प), मुम्बई	70	105
8.	यूरेनस, खार (प), मुम्बई	46	37
9.	ट्रासलिंक टेली, वसंत कुंज, नई दिल्ली	22	12

1	2	3	4
10.	कॉरम कॉम, साउथ एक्स., नई दिल्ली	18	28
11.	मैजिक बॉक्स, अंधेरी (प), मुम्बई	11	87
12.	माया एंट., कांडिविली (पू), मुम्बई	120	123
13.	ट्रेसर एडवर्टाइजिंग, मुम्बई	33	11
14.	स्टार गेजर, सुखदेव विहार, ओखला	22	6
15.	एशियन एड एज, ग्रीन पार्क एक्स., नई दिल्ली	19	7
16.	पारस मार्केटिंग, रणजीत नगर, नई दिल्ली	19	6
17.	एडविजन मल्टीमीडिया, नोएडा	17	41
18.	राधा पब्लिसिटी जुबली हिल्स, हैदराबाद	13	10
19.	टाइम शॉप एडवर्टाइजिंग, मुम्बई	11	3
20.	फ्यूचर कॉम., गोरेगांव, मुम्बई	11	20
21.	बिधान एडवर्टाइजिंग, एल्सब्रिज, अहमदाबाद	11	5
	योग "ख"	2286	1041

विवरण II

(क) उन चूककर्ता एजेंसियों की सूची जिनका विवेचन निर्णय प्रकाशित किया गया था और विवाचन निर्णय को शर्तों के अधीन कुर्की के निष्पादन हेतु संबंधित माननीय न्यायालयों में दाखिल किया गया था

क्र.सं.	चूककर्ता एजेंसी का नाम	वसूल की जाने वाली राशि
1	2	3
1.	मै. ब्लेज एडवर्टाइजिंग प्रा. लि. मुम्बई	475,696.00
2.	मै. श्री प्रभाकारा एडवर्टाइजर्स, हैदराबाद	1,744,807.00
3.	मै. शिल्पी एडवर्टाइजिंग लि., मुम्बई	839,747.00
4.	मै. मीडिया वैव्स, त्रिवेन्द्रम	1,576,114.00
5.	मै. गुरु नानक एडवर्टाइजिंग प्रा. लि. दिल्ली	690,122.00
6.	मै. मार्केट मूवर्स एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रा. लि., मुम्बई	123,113.00
7.	मै. रेडियो टाइम्स सर्विसेज, मुम्बई	60,165.00
8.	मैं एडविस, नई दिल्ली	383,981.00

1	2	3
9.	मै. रेडियो पब्लिसिटी सर्विसेज, लखनऊ	1,984,907.00
10.	मै. एमस एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, नई दिल्ली	326,405.00
11.	मै. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, विजयवाड़ा	1,200,214.00
12.	मैं. मास कम्युनिकेशंस एंड मार्कटिंग प्रा. लि. मुम्बई	351,660.00
13.	मै. अय्यर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रा. लि. मुम्बई	30,744.00
14.	मै. टी वी एंड रेडियो पब्लिसिटी सर्विस, मुम्बई	1,500,481.00
15.	मै. हैडस्टार्ट एडवर्टाइजर्स, नई दिल्ली	1,136,033.00
16.	मै. रोशन एडवर्टाइजर्स, नई दिल्ली	135,543.00
17.	मै. डान मोड एडवर्टाइजर्स, नई दिल्ली	248,507.00
18.	मै. एड हाउस एडवटाईजिंग एंड मार्केटिंग	571,917.00
19.	मै. आरोही एडवर्टाइजिंग एजेंसी, नई दिल्ली	298,808.00
20.	मै. सुचन्द्रा एड मीडिया, कालीकट	540,667.00
21.	मै. अड्यार एडवर्टाइजिंग, चेन्नई	733,251.00
22.	मै. रायर कम्युनिकेशन, चेन्नई	1,301,523.00
23.	मै. राघवेन्द्र एडवर्टाइजिंग, चेन्नई	1,892,731.00
24.	मै. श्री एडवर्टाइजिंग, चेन्नई	907,472.00
25.	मै. वी आर जी एजेंसीज, चेन्नई	1,340,339.00
26.	मै. मंत्रालया महान एड. चेन्नई	834,734.00
27.	मै. नॉइजी रिकार्डिंग, पटना	584,574.00
28.	मै. रेणुके एडवर्टाजिंग कं., नई दिल्ली	4,634,234.00
	योग	26,448,489.00

(ख) विवाचक की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चूककर्ता एजेंसियों की सूची

1.	मै. मा कम्युनिकेशन बोजेल (प्रा.) लि. बंगलौर	1,472,392.00
2.	मै. कॉरपोरेट वॉयस, बंगलौर	491,223.00
3.	मै. म्यूजिरेका कसैटस इंकॉपोरेशन,	2,873,800.00
4.	मै. ट्विन एडवर्टाइजिंग, सांगली	527,860.00
5.	मै. रेडियो टी वी कमर्शियल, मुम्बई	1,526,944.00

1	2	3
6.	मै. प्राफैड लि. चेन्नई	766,824.00
7.	मै. क्रिएटिव यूनिट, मुम्बई	186,808.00
	योग	7,845,851.00

(ग) पहले से ही विवाचन के अधीन

क्र.सं.	चूककर्ता एजेंसी का नाम	वसूल की जाने वाली राशि
1.	मै. मोड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, नई दिल्ली*	2,826,239.00

*चूंकि एजेंसी ने देय मूलधन की राशि को चुका दिया है इसलिए इसकी प्रत्यय सुविधा को दिनांक 31.3.2007 तक विशुद्धतः तदर्थ आधार पर पुनः बहाल कर दिया गया है।

कृषि सूचकांक

2684. श्री राकेश सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों के उत्पादन और उनकी आय का आकलन करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिन के आधार पर कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास का अनुमान लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेंसेक्स की तर्ज पर आधार वर्ष के रूप में कोई आदर्श उत्पादन वर्ष लेकर कृषि सूचकांक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) किसानों द्वारा उत्पादन और उनकी आय का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि, किसानों द्वारा अपने उत्पाद के लिए प्राप्त मूल्यों के सूचकांक के अनुपात का अन्तिम तथा मध्यवर्ती खपत एवं पूंजी निर्माण के लिए खरीद की गई जिन्सों हेतु उनके द्वारा भुगतान किए गये मूल्यों के सूचकांक के साथ आंक कर कृषि क्षेत्र तथा गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार संहिता के सूचकांक को वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। अनुपात में 100 से गुणा किया जाता है। सूचकांक का आधारी वर्ष त्रैवार्षिक होता है जो 1990-91 को समाप्त हुआ। वर्ष 1981-82 से 1992-93 की अवधि के सूचकांक को वर्ष 1995 में प्रकाशित कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्र के मध्य व्यापार संहिता संबंधी कृतक बल की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2003-04 तक के सूचकांक कृषि सांख्यिकी 'एक नजर 2005' में उपलब्ध है।

राजस्थान में चारागाहों का विकास

2685. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में चारागाहों के विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ स्वीकृत धनराशि में से कुछ धनराशि अभी जारी की जानी है; और

(ग) यदि हां, तो शेष राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) घास रिजर्व और किसानों के माध्यम से चारा बीज उत्पादन सहिता चारागाह के विकास के लिए 2005-06 के दौरान राजस्थान सरकार को 37.02 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान मंजूर और जारी किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में जल भराव

2686. श्री गिरिधारी यादवः
डा. धीरेंद्र अग्रवालः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जल भराव की समस्या को, विशेषकर उत्तर बिहार में इस समस्या को हल करने के लिए किसी केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) वर्ष 1998-2003 के बीच बिहार सरकार से चौर अवरोध के कारण हुए जल जमाव संबंधी कुल 587 लघु स्कीमें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 77 स्कीमें केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुमोदित की गई थी। ये मुख्यत: कोसी और गंडक कामन से संबंधित हैं। शेष स्कीमें बिहार सरकार को वापस भेज दी गई थी।

खाद्यान्नों के औद्योगिक प्रयोग

2687. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहनः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्ष में खाद्यान्नों के औद्योगिक प्रयोग में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसे कौन-कौन से कृषि उत्पाद हैं; और

(घ) कुल कृषि उत्पाद में ऐसे प्रत्येक कृषि उत्पादों की अलग-अलग प्रतिशतता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) जी हां, अधिक लाभप्रदता और आय के लिए खाद्यान्नों के विविधीकृत औद्योगिक प्रयोगों की जानकारी है जो भविष्य में खाद्यान्नों के औद्योगिक प्रयोग में वृद्धि कर सकते हैं।

एनीमल/पोलटरी फीड, न्यूरास्यूटिकल, बायोफ्यूल तथा बायोपोलीमर्स औद्योगिक प्रयोगों के लिए उत्पादों की मुख्य श्रेणियां हैं। तथापि, वर्तमान में ये औद्योगिक प्रयोग नगण्य हैं।

[अनुवाद]

पुलिस स्टेशन में खाद्यान्नों का सड़ना

2688. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोडः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 21 जुलाई, 2006 के 'द एशियन एज' में छपी खबर के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में बड़ी मात्रा में गेहूं सड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या संबंधित कर्मचारियों की इस तरह की लापरवाही के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) जी, नहीं। यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग की प्रवर्तन शाखा के निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा 13.7.06 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 139 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया था। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के ट्रांसपोर्टर, जो इन विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे काला बाजारी के लिए विपथन करने का प्रयास कर रहा था, के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7.10.55 के अधीन एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

जब्त की गयी वस्तुओं को सुपरदारी पर दिनांक 21.7.06 को गाजीपुर में दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम को सुपुर्द कर दिया गया है ताकि इन्हें मुकदमे का निपटान होने तक सुरक्षित कस्टडी में रखा जा सके।

इस जब्त किए गए सामान का निपटान करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6-ए के अधीन कलक्टर के समक्ष कार्यवाही चल रही है।

बिरसा प्राणी उद्यान में जानवरों की मौतें

2689. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक घातक बीमारी के कारण बिरसा प्राणी उद्यान में बड़ी संख्या में जानवारों की मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंट्रल जू ऑथोरिटी ने इस बीच जानवरों में उस घातक बीमारी का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) इस मंत्रालय का बिरसा प्राणी उद्यान में चार बाघ और एक तेन्दुए की मृत्यु के बारे में जानकारी है। ये मौते 9 जुलाई, 2006 और 20 जुलाई, 2006 की अवधि में हुई। इन सभी बड़े बिडालों की मृत्यु बेबसिओसिस, एक रक्त प्रोटोजोन बीमारी के कारण हुई जो टिक बाईट्स से फैलती है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बड़े बिडालों में इस बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए तथा दूसरे जानवरों में इस बीमारी का फैलना रोकने के लिए आवश्यक निवारक उपाय करने हेतु चिड़ियाघर प्राधिकारियों को परामर्श देने के लिए बिरसा प्राणी उद्यान में राउरकेला चिड़ियाघर का एक पशु-चिकित्सक तथा उड़ीसा पशुचिकित्सा कालेज, भुवनेश्वर और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली का एक-एक पशुचिकित्सक तैनात किया था।

विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार बिसरा राष्ट्रीय उद्यान, रांची ने पशुओं के बाड़ों की साफ-सफाई का सुधार, पशुओं को निरोधक टीके लगाना और अतिरेक शेरों और बाघों को विशखापत्तनम स्थित बचाव केन्द्र से स्थानांतरित करने जैसे आवश्यक निवारक उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

इफको और कृभको द्वारा संयंत्र का अधिग्रहण

2690. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटिल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषक भारती कॉपरेटिव लिमिटेड और इंडियन फॉर्मस फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड ने कुछ संयंत्रों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त संयंत्रों को किस तिथि को अधिग्रहित किया गया है;

(ग) क्या इन संयंत्रों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पिछली तिथि से दिखाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) कृभको ने अपनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी, कृभकों श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएसएलएफएल) और मैसर्स श्याम बेसिक इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (ओसीएफएल) के शाहजहांपुर स्थित संयंत्र का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण 8.12.2005 को समाविष्ट स्पेशल परपज व्हिकिल (एसपीवी) के माध्यम से 1900 करोड़ रुपए में किया गया है। इस संयंत्र का अधिग्रहण 18 जनवरी, 2006 को किया गया था।

इफको द्वारा अधिग्रहित पारादीप स्थित ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (ओसीएफएल) के डीएपी संयंत्र की उत्पादन क्षमता 1.92 मिलियन टन फॉस्फेटिक उर्वरक है। इफको ने ओसीएफएल से इस उपक्रम का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण 1 अक्टूबर, 2005 से अपने हाथ में लिया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित उत्पादों पर एम.आर.पी.

2691. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बेची जा रही आयातित उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान प्रावधान क्या हैं;

(ग) सरकार की इन प्रावधानों के अनुपालन न किए जाने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई किस तरह की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के नियम 33 के अनुसार भारत में आयात की जाने वाली सभी पैकशुदा वस्तुओं पर इन नियमों के नियम 2 के खण्ड (द) के तहत यथानिर्धारित खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा करनी होगी। इसके उल्लंघन की कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रवर्तन प्राधिकारियों को समय-समय पर नियमों के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने की सलाह दी जाती है।

(घ) दस राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 2005-06 के दौरान उल्लंघन के 1446 मामलों का पता चला। इन मामलों को जुर्माने के भुगतान पर निपटाया गया अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।

[अनुवाद]

गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण

2692. श्री अर्जुन सेठी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोलावरम परियोजना केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी संवीक्षाधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से यह शिकायत की है कि आंध्र प्रदेश सरकार पोलावरम में बांध और जलाशय का निर्माण पूर्व में दिए गए पंचाट का उल्लंघन करते हुए कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई और की जाने वाली सम्भावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रस्तावित पोलावरम (इन्दिरा सागर), परियोजना उड़ीसा राज्य में क्षति की आशंकाओं का कारण बन रही है। बेसिन राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) और उड़ीसा के बीच दिनांक 2 अप्रैल, 1980 के अंतर्राज्यीय समझौते में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम परियोजना के निर्माण की व्यवस्था है। अद्यतन परियोजना रिपोर्ट (अगस्त, 2005) के अनुसार उड़ीसा के भूभाग में राज्य में 12 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के जलमग्न हो जाने की संभावना है। अन्तर्राज्यीय समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ उड़ीसा में सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण और रखरखाव अथवा पोलावरम परियोजना की लागत से बैक वाटर इफेक्ट सहित सभी प्रकार के प्रभावों के कारण एफआरएल 150 फुट से ऊपर प्रभावित होने वाली भूमि एवं संपत्ति के लिए मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था है।

केन्द्र सरकार अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान करने में सहायता कर रही है। जल संसाधन मंत्री ने 26 सितम्बर, 2006 को पक्षकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है।

श्रमिक बल

2693. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरे श्रमिक बल के कौशल निर्माण हेतु सृजित नई विधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन नई विधियों से श्रमिक बल को व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने में कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या दसवीं योजना में कौशल निर्माण हेतु तैयार की गई रणनीति ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कारगर रणनीति अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कामगारों द्वारा अनौपचारिक माध्यम से प्राप्त कौशलों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु इस मंत्रालय द्वारा 'अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों के कौशलों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण' नामक एक केन्द्र प्रवर्तित योजना आरंभ की गई। वर्तमान में योजना निर्माण उद्योग विकास

परिषद (सीआईडीसी), राष्ट्रीय निर्माण अकादमी (एनएसी), हैदराबाद तथा बेंत एवं बांस प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीबीटीसी), गुवाहाटी जैसे अन्य अभिकरणों के अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब तथा तमिलनाडु राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 8000 निर्माण कामगारों का परीक्षण एवं प्रमाणी करण किया गया है।

(ङ) लागू नहीं।

कोस्टल रेगुलेशन जोन को छूट

2694. श्री रनेन बर्मन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ क्षेत्रों हेतु कोस्टल जोन रेगुलेशन, 1991 में छूट की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने दीघा के सेक्टर ए-1, बी-5, एफ-2 के लिए तटीय विनियम जोन III से तटीय विनियमन जोन II का पुन: वर्गीकरण चाहा है।

(ग) उपर्युक्त पुन: वर्गीकरण प्रस्ताव की जांच के बाद केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अनुसरण में तैयार विस्तृत प्रस्ताव मांगा है।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण

2695. श्री विजय कृष्ण: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार नेपाल को निकलने वाली नदियों के कारण प्रतिवर्ष भयावह बाढ़ का सामना करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए स्थायी समाधान निकालने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) नेपाल से आने वाली नदियां अर्थात सप्तकोसी, गण्डक, बागमती और कमला-बालान मानसून अवधि के दौरान अत्यधिक गाद ले जाती हैं जो कि नदी के तल में जमा हो जाती है। फलत: नदियों की वाहक क्षमता घट जाती है जिसके फलस्वरूप जल का स्तर तट से ऊपर चढ़ जाता है और उत्तर बिहार में बाढ़ और जलमग्नता का रूप ले लेता है।

(ग) नेपाल से आने वाली नदियों से जुड़ी बाढ़ समस्याओं के उपशमन के लिए भारत सरकार सतत रूप से नेपाल के साथ बातचीत में प्रवृत्त है। सप्तकोसी उच्च बांध बहुद्देश्यीय परियोजना और सन कोसी भण्डारण एवं विपथन योजना के लिए सर्वेक्षण और जांच तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के प्रयोजन से, भारत सरकार ने नेपाल के साथ समझौता किया है, जिसके लिए एक संयुक्त परियोजना कार्यालय अगस्त, 2004 में नेपाल में पहले ही खोला जा चुका है। बाढ़ नियंत्रण इस परियोजना के प्रमुख लाभों में से एक है।

कमला का एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन और बागमती बहुदेद्श्यीय परियोजना का प्रारम्भिक अध्ययन करने के संबंध में नेपाल सरकार के साथ एक सहमति कर ली गई है।

(घ) और (ङ) बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार गंभीर कटावरोधी/बाढ़ नियंत्रण कार्य करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बिहार को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। गंगा बेसिन राज्यों के लिए दसवीं योजना के दौरान 195.96 करोड़ रुपए (केन्द्रीय हिस्सा) की राशि मंजूर की गई जिसमें बिहार राज्य का हिस्सा 53.96 करोड़ रुपए था। बिहार को इन कार्यों के लिए ही केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है (1) लालबकिया, कमला, बागमती और खांडो नदियों के तटबंध को ऊंचा उठाना, उनका सुदृढ़ीकरण और विस्तार करना तथा (2) मोकामा ताल क्षेत्र सहित देश के गंभीर क्षेत्रों में जल निकासी का सुधार।

इसके अलावा बिहार सरकार को कोसी तटबंधी के रखरखाव के लिए भी केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

वनस्पति तेल का उत्पादन

2696. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वनस्पति तेल के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त बीजों की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) तिलहन और वनस्पति तेल के उत्पादन ने देश में हाल के वर्षों में सकारात्मक विकास दर्शाया है। तथापि, चूंकि, वनस्पति तेल की प्रतिव्यक्ति खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है इसलिए वनस्पति तेल की मांग भी उच्च दर पर बढ़ी है जिससे घरेलू उत्पादन और खपत के बीच अंतर आया है।

(ग) किसानों को तिलहनी फसलों के गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उदेद्श्य से भारत सरकार अवसंरचना विकास, प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के वितरण तथा गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए बीज उत्पादन तथा बीज प्रौद्योगिकी के पहलुओं पर किसानों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, किसानों को नई निर्मुक्त की गई किस्मों और तिलहन के संकरों से परिचित कराने तथा इनको लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से राज्य कृषि विभागों के जरिए किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित किए जाते हैं।

अण्डमान और निकोबार में रेत का निकाला जाना

2697. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासन द्वारा अण्डमान और निकोबार में समुद्री रेत के निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार का विचार मुख्य भूमि से लाए जाने वाले नदी रेत की लागत को किस तरह विनियमित करने और उस पर कितनी ढुलाई राजसहायता देने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री बालू खनन पर समग्र प्रतिबंध नहीं है।

(ख) अण्डमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त सुचना के अनुसार बालू की मांग और पूर्ति के अंतर को पुलवरजाइड बालू की सप्लाई और मेनलैण्ड से नदी बालू के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ने सभी संबंधित विभागों को भवन निर्माण में इमारती लकड़ी के प्रयोग को बढ़ावा देने और द्वीप में बालू के प्रयोग को कम करने के लिए वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने के अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) आयातित बालू की कीमत अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा विनियमित नहीं की जा रही है।

डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण और विस्तार

2698. श्री ए. साई प्रताप: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत का दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में कौन-सा स्थान है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में डेयरी उद्योग के उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है

(ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग देश में डेयरी उद्योग के उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है-

(1) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(2) गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उदत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

(3) सहकारिताओं को सहायता

(4) डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष

(5) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

(6) पशुरोग नियंत्रण

(7) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(8) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(9) चारा विकास योजना

ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट पालन विकास योजना

2699. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट पालन विकास योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लिफ्ट सिंचाई

2700. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को लिफ्ट सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लिफ्ट सिंचाई के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्रों को वित्त पोषित करने के लिए कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय में लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करने के लिए कोई स्कीम नहीं है। तथापि सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विशेष वर्ग के राज्यों जिनमें पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल) और उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर तथा कोरापट जिले शामिल हैं, के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लिफ्ट सिंचाई स्कीमें भी ए आई बी पी के अंतर्गत अनुमत्य हैं। सूखा संभावित और जनजातीय क्षेत्रों में भी सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर-विशेष वर्ग के राज्यों को शामिल करने के लिए ए आई बी पी के दिशानिर्देशों को शिथिल किया गया है।

[अनुवाद]

चावल/धान संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

2701. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए चावल/धान संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ताकि चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार देश में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए पहले से ही अनुसंधान एवं उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। अतएव, चावल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में धान की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उच्च उपज देने वाली नई किस्मों/संकरों और उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये अनुसंधान कार्य कर रहा है।

देश में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कृषि की वृहत प्रबंध प्रणाली के तहत चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-चांवल) संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, संकर चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, क्षेत्र प्रदर्शनों के जरिये समेकित कीट प्रबंधन, महिलाओं सहित किसानों को प्रशिक्षण, इलेक्ट्रानिक मीडिया व प्रकाशित साहित्य के जरिये प्रौद्योगिकी के अंतरण, फार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सिंचाई

प्रणाली की अधिष्ठापना, किस्म प्रतिस्थापन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के खेत पर अग्रणी प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं।

कोयला खानों में सुरक्षा

2702. श्री हेमलाल मुर्मु: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों तथा अन्य खानों में भी काम करने वाले खान कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के निष्पादन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) सरकार ने कोयला खानों तथा अन्य खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस) के निष्पादन के बारे में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। तथापि, 1982 में भारत सरकार ने खान सुरक्षा महानिदेशालय की भूमिका तथा कार्यकरण के संबंध में श्री जे.जी. कुमारमंगलम, अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड, भारतीय खान स्कूल की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की थी।

भारत सरकार ने खानों में सुरक्षा की स्थिति का अध्ययन करने तथा बेहतर सुरक्षा मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने हेतु 1995 में श्री गुरुदास दास गुप्ता की अध्यक्षता वाली श्रम मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति भी गठित की थी।

कुमारमंगलम समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) प्रवर्तन संबंधी कार्यों में खान सुरक्षा महानिदेशालय की अपरिवर्तित भूमिका।

(2) खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्राधिकार में कमी की जांच करना।

(3) खान अधिनियम से संबंधित मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष खनन न्यायधिकरणों की स्थापना करना।

(4) उल्लंघनों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खान प्रबंधन पर जुर्माना लगाया जाना।

(5) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सभी खानों का वार्षिक सामान्य निरीक्षण करवाया जाना।

(6) सुरक्षा समिति तथा कामगार निरीक्षक प्रणाली को सांविधिक बनाया जाना।

(7) व्यावसायिक स्वास्थ्य के संबंध में सलाह दिया जाना।

(8) खान सुरक्षा महानिदेशालय में तकनीकी दक्षता में सुधार लाया जाना।

(9) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अपने कार्यों को शीघ्र करने के लिए इसके आकार और ढांचे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

गुरुदास दास गुप्ता समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) खान सुरक्षा महानिदेशालय को कुमारमंगलम समिति की सिफारिशों के अनुसार पर्याप्त तथा अपेक्षित जनशक्ति प्रदान करके सुदृढ़ किया जाए।

(2) सभी अधिकारियों को अपने कौशल को अद्यतन करने के लिए परिसर के भीतर तथा बाहर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।

(3) खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दण्ड की मात्रा को बढ़ाया जाए।

(4) खान अधिनियम, 1052 के अंतर्गत सभी मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों/नामोद्दिष्ट न्यायालयों की स्थापना की जाए।

(5) शीघ्र न्याय दिलाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय में कानूनी ढांचे की सुदृढ़ किया जाए।

इनमें से कुछ सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

छात्रावासों के लिए राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न

2703. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग छात्रावासों/कल्याण संस्थाओं को राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न की आपूर्ति योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रहे खाद्यान्न पर राजसहायता बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रावासों/कल्याण संस्थाओं को खाद्यान्न पहले ही गरीबी रेखा से नीचे की दरों अर्थात गेहूं 415 रुपये प्रति क्विंटल और चावल 565 रुपये प्रति क्विंटल पर प्रदान किए जाते हैं जो गेहूं के लिए आर्थिक लागत का 37 प्रतिशत है तथा चावल के लिए आर्थिक लागत का 41 प्रतिशत है।

बायोडीजल उत्पादन के लिए पादप

2704. श्रीमती प्रतिभा सिंह:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बायोडीजल उत्पादन हेतु चिन्हित पादप कौन से हैं;

(ख) इनके पौधरोपण को लोकप्रिय बनाने/प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उनके उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पौधा-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को बायोडीजल का उत्पादन करने वाले बीजों हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जटरोफा और करंज तिलहन देने वाले दो वृक्ष हैं जिनकी बायो-डीजल उत्पादन के लिए संभावित फसलों के रूप में पहचान की गई है।

(ख) कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड दसवीं योजना के दौरान ''समेकित वृक्ष मूल के तिलहन (टीबीओ) विकास'' की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत जटरोफा और करंज सहित वृक्ष मूल के तिलहन की खेती को बढ़ावा दे रहा है। जटरोफा और करंज के मॉडल बागान 21 राज्यों में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा इनके उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) कृषि मंत्रालय को बायो-डीजल का उत्पादन करने वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बीड़ी कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

2705. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीड़ी कामगारों के बच्चों के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक छात्रवृत्ति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य के लिए शैक्षणिक वर्ष 2005 तथा 2006 के लिए आवश्यक तथा जारी निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु राज्य में अधिकतर पात्र छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति न प्राप्त होने की कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान, तमिलनाडु के बीड़ी कामगारों के पात्रता प्राप्त बच्चों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु 4.13 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। तथापि, पिछला बकाया निपटाने के लिए अभी भी 7.11 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वर्ष 2006-07 के दौरान समग्र रूप में हैदराबाद क्षेत्र के लिए 14.8 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी है। वर्ष 2006-07 के लिए तमिलनाडु हेतु निधियों की वास्तविक आवश्यकता का सितम्बर अंत तक पता चल पाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। बीड़ी कामगारों के पात्रता प्राप्त बच्चों के लिए छात्रवृत्ति/वृत्तिका प्रदान किए जाने की योजना को उदार बनाए जाने और उसका विस्तार करने से बड़ी संख्या में तमिलनाडु के छात्र छात्रवृत्ति/वृत्तिका प्रदान किए जाने के पात्र बन गए। तथापि, निधियों की कमी के कारण उन सभी को छात्रवृत्तियां/वृत्तिका वितरित नहीं की जा सकीं।

(ङ) संबंधित क्षेत्रों को वर्ष 2005-06 के लिए छात्रवृत्तियों के पिछले बकाए के भुगतान का निपटान करने के लिए कहा जा रहा है।

पंजीकृत समाचार पत्रों को सुविधाएं

2706. **श्री बंसगोपाल चौधरी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंजीकृत समाचार-पत्रों की भाषा-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) में पंजीकृत भाषा तथा प्रत्यापित पत्रकारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन अत्यंत छोटे और छोटे समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है जो भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत तो हैं पर वे पत्र सूचना कार्यालय और दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) से प्रत्यायित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) संलग्न विवरण-I में इसका ब्यौरा दिया गया है।

(ख) संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

दिनांक 11.8.2006 तक की स्थिति के अनुसार पंजीकृत समाचार पत्रों की कुल संख्या (भाषावार)

भाषा	पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या
1	2
असमिया	270
बंगला	3061
द्विभाषी	4083
अंग्रेजी	9222
गुजराती	2749
हिन्दी	25170
कन्नड़	2343
कश्मीरी	1
कोंकणी	13
मलयालम	1741
मणिपुरी	53
मराठी	3589
बहुभाषी	718
नेपाली	85
उड़िया	916
अन्य	414
पंजाबी	1033
संस्कृत	62
सिंधी	119
तमिल	2600
तेलुगू	1846
उर्दू	3141
योग	63229

विवरण II

पत्र सूचना कार्यालय के साथ प्रत्यायित पत्रकारों (संवाददाता और कैमरामैन) का भाषावार और राज्यवार ब्यौरा

राज्य	प्रत्यासित पत्रकारों की संख्या (भाषावार)		
	प्रिंट मीडिया	इलेक्ट्रानिक मीडिया	योग
1	2	3	4
असम	अंग्रेजी-1	–	6
	असमिया-5		
आंध्र प्रदेश	तेलुगु-13	तेलुगु-7	26
	हिन्दी-3		
	उर्दू-2		
	अंग्रेजी-1		
बिहार	हिन्दी-2		2
दिल्ली	हिन्दी-128	अंग्रेजी/हिन्दी-197	975
	अंग्रेजी-319	पंजाबी-3	
	उर्दू-21		
	बंगला-1		
	पंजाबी-1		
	फ्रीलैंस-305		
पश्चिम बंगाल	बंगाल-13		32
	अंग्रेजी-17		
	हिन्दी-2		
उत्तर प्रदेश	हिन्दी-25		25
केरल	मलयालम-22	मलयालम-4	26
उड़ीसा	उड़िया-6		6
मध्य प्रदेश	हिन्दी-23		23
त्रिपुरा	बंगला-2		2
कर्नाटक	अंग्रेजी-10		14
	कन्नड़-3		
	उर्दू-1		

1	2	3	4
तमिलनाडु	तमिल-4	तमिल-3	41
	अंग्रेजी-34		
महाराष्ट्र	अंग्रेजी-5		17
	गुजराती-1		
	मराठी-9		
	हिन्दी-2		
झारखंड	उर्दू-1		1
मेघालय	अंग्रेजी-1		1
चंडीगढ़	अंग्रेजी-11		12
	हिन्दी-1		
पंजाब	पंजाबी-2		2
गुजरात	गुजराती-7		9
	हिन्दी-2		
हिमाचल प्रदेश	हिन्दी-1		1
उत्तरांचल	हिन्दी-1		1
राजस्थान	हिन्दी-8		8
जम्मू एवं कश्मीर	अंग्रेजी-2		3
	उर्दू-1		
योग			1233

[हिन्दी]

डीसीआईसी का कार्यकरण

2707. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:
श्री मो. ताहिर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में क्षेत्रीय उपभोक्ता सूचना केन्द्र (डीसीआईसी) स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये केन्द्र कितने समय से परिचालन में हैं तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इससे कितने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 103 जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने की स्कीम वर्ष 2000 में शुरू की गई थी और 2004 में समाप्त कर दी गई। अब तक इस स्कीम पर कुल 3,82,75,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों के मुख्य कार्य उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सूचना का प्रसार न केवल सीधे प्रयोक्ताओं तक अपितु सभी स्थानीय निकायों और संस्थाओं तक करना, उपभोक्ताओं के लिए पहरेदार का काम करना, शिकायतें दायर करने को सुकर बनाना, जिला बाट तथा माप प्राधिकारियों के साथ संपर्क करना तथा उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना है।

(घ) और (ङ) जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों के प्रभाव का आकलन करने के लिए 2004 में इस स्कीम का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर इस स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया गया।

विवरण

क्र.सं.	जिला	संगठन का नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-3		
1.	गुंटूर	गर्थापुरी कन्ज्यूमर्स काउंसिल, त्रिपुरामल्लु वरी स्ट्रीट, ओल्ड-गुन्टूर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
2.	कुड्डया	जगजीवन बलहीनवर्ग अभिरूचि संगम, नं. 6-45, कतीब स्ट्रीट, वेमपल्ली, कुड्डापाह, आंध्र प्रदेश
3.	विशाखापत्तनम	नरसीपटनम कंज्यूमर्स अवेयरनेस सोसाइटी, बी.सी. कालोनी, नरसीपटनम विशाखापत्तन (आंध्र प्रदेश)
उत्तर प्रदेश		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-25		
2.	बस्ती	जनता सेवा समिति, गांव, पकादोआं, पोस्ट, मेहसन, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश
3.	बुलन्दशहर	नव जागृति सेवा संस्थान, 116, राधानगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
4.	संत कबीर नगर	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, विलेज गदौना, पो.ऑ. गोविन्दरपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश
5.	देवरिया	नव सृजन, 365/7, सदर बाजार लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6.	हाथरस	रावत शिक्षा समिति, चामरगेट, जलेश्वर अड्डा, हाथरथ, उत्तर प्रदेश
7.	औरैया	समता नव निर्माण समिति, निशात गंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश
8.	मेरठ	दिग्गी निरबलोत्थान समिति, औरंघापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
9.	बलिया	ग्रामीण कृषि पशुधन एवं उद्यान विकास संस्थान, 118, गणेशवाली गली, अमीनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
10.	प्रतापगढ़	जागृति, अष्टभुजनगर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश

1	2	3
11.	कन्नौज	माधव मोहन समाज कल्याण संस्थान, सूरजा देवी नेत्र चिकित्सालय, सौरीख तिराहा, छिब्रामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश
12.	गाजीपुर	निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग विकास समिति, विलेज-सकारा, पो-हुसिआनपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233226
13.	मैनपुरी	मनीष सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, विलेज व पो. भिरोर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
14.	कानपुर	स्कृति सेवा संस्थान, 118/1, शास्त्री नगर, कानपुर-208005, उत्तर प्रदेश
15.	मिर्जापुर	बिंध्य ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम भारूना, बिंध्या, कालोनी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
16.	जौनपुर	चन्द्र शिक्षा संस्थान, 629-ए, खर्क रोड, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शखा के नजदीक, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
17.	हरदोई	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, 112, न्यू सिविल लाइंस, हरदोई, उत्तर प्रदेश
18.	सिद्धार्थनगर	भारतीय समाज सुधार, कटरा, सिविल स्टेशन रोड, बस्ती उत्तर प्रदेश
19.	अलीगढ़	द्वारका ग्रामोद्योग संस्थान, 103, बृज विहार, ए डी ए कालोनी, जी टी रोड, बाना देवी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
20.	मथुरा	अखिल भारतीय बृज समाज कल्याण संस्थान, 44/7, कृष्णापुरी, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
21.	संत रविदास नगर	सोशल एजूकेशनल वैलफेयर एसोसिएशन (सेवा), नेताजी लेन, रमईपाल्ती, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)-231001
22.	हमीरपुर	देहाती ग्रामोद्योग विकास समिति, 437, पश्चिमी सरोन, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
23.	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, ई एस आई/171, सेक्टर-ए, सीतापुर रोड योजना अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
24.	रायबरेली	प्रगति सेवा निकेतन, 547, सत्य नगर, नेत्र चिकित्सालय के पीछे, डाक अधीक्षक के कार्यालय के समीप, रायबरेली-229001 (उत्तर प्रदेश)
25.	नौएडा	कंज्यूमर कोओर्डीनेशन काउंसिल, ए-20 व 21 (एन आई टी एस बिल्डिंग), सेक्टर-62, नोएडा 201301 (उत्तर प्रदेश)

मणिपुर

स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-9

1.	चन्देल	रिसोर्स सेंटर फॅर सोसियल वेल्फेयर एंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट, जाफौर बाजार, पो.ऑ. 18, जिला चंदेल, मणिपुर
2.	थोबल	रूरल वालेन्टरी सर्विसेज, वांगवाल नयाई लेखई जिला थाऊबल-795138, मणिपुर
3.	इम्फाल पश्चिम	मणिपुर वीमेन कोआर्डिनेटिंग काउंसिल, मणिपुर विश्वविद्यालय के सामने, कांचीपुर इम्फाल-795003
4.	इम्फाल पश्चिम	ग्रीनलैण्ड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, सागौलबंद, तिरसापाल, लेरक टायर्स रोड, इम्फाल, मणिपुर-795001

1	2	3
5.	बिष्णुपुर	बैकवर्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, वांगजिंग बाजार, जिला थाऊबल-795148, मणिपुर
6.	सेनापति	एस सी/एस टी/बैकवर्ड चिल्ड्रेन, औमैन आर्गनाइशन थाऊबल खुनाव, डाक और जिला थाऊबल, मणिपुर
7.	चंदेल	मणिपुर बार्डर एरिया डेवलपमेंट सोसायटी पो.ओ. चपकीकारोंग, जफू बाजार, चण्देल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर
8.	चुराचन्दपुर	डेडीकेटेड पीपुल्स आर्गनाइजेशन केसाम्पट लेमनजम, केकई, इम्फला-750001, मणिपुर
9.	इम्फाल पूर्व	मणिपुर रूरल सर्विस एसोसिएशन, ओल्ड चेकौन, आनन्द सिंह हायर सेकेण्डरी एकेडमी गेट, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर-785001

उड़ीसा

स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-10

2.	कन्धामल	उड़ीसा रूरल इन्टीग्रेटेड सर्विस एसोसिएशन फॉर वूमेन एंड रूरल डेवलपमेंट
3.	भद्रक	मदन मोहन कम्युनिटी मैनजमेंट ग्रुप, पो. नटियापाल, वाया बौदीपुर, जिला भद्रक, उड़ीसा
4.	कालाहाण्डी	सी ए आर ए डी ए (कार्डा), जनकपुर, पो. गुडिआलीपदर, जिला कालाहाण्डी
5.	बालागीर	सेंटर फॉर वीमेन एंड रूरल डेवलपमेंट, पो. सेलापल्ली, वाया जरासंग, जिला बाजागीर, उड़ीसा
6.	बालासोर	बस्ती एरिया डेवलपमेंट काउंसिल, बालासोर, उड़ीसा
7.	अंगुल	सोशल एक्शन रिसर्च सेंट, मार्फत संतोषी इंस्टीट्यूट, गुड़ियानाली, बी बी स्कूल के समीप, ढेनकनाल-759001, उड़ीसा
8.	पुरी	नारी मंगल महिला समिति, एन एम एम एस, पंचपलिया पो. गुलियापाड़ा, जिला पुरी-752016 (उड़ीसा)
9.	ढेंनकनाल	नारी चेतना महिला इंस्टीट्यूट, हाउसिंग बोर्ड, क्वार्टर न., एम/1 पो च जिला ढेंकनाल
10.	कटक	प्रोजेक्ट स्वराज्य, गणेश घाट, बाखराबाद, कटक-753002 (उड़ीसा)

महाराष्ट्र

स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-4

1.	अहमदनगर	अहमदनगर जिला मध्यवर्ती ग्राहक सेवा महासंघ, 4047 ए, शाह सदन, महाजन गली, अहमदनगर नगर, महाराष्ट्र
2.	परभनी	लोक दीप मानव विकास संस्थान, विद्या नगर, परभनी, महाराष्ट्र
3.	नांदेड़	सर्वोदय एजूकेशनल एंड वाल्यन्टरी आर्गनाइजेशन, नांदेड़ महाराष्ट्र
4.	गोन्दिया	लोक कल्याण शिक्षण संस्थान, गोन्दिया जिला, महाराष्ट्र

1	2	3
गुजरात		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-9		
1.	राजकोट	राजकोट शहर जला ग्राहक सुरक्षा मण्डल, 329, पोपटभाई सोराथिया भवन, सदर बाजार, राजकोट-360000, गुजरात
2.	साबरकांठा	कंज्यूमर प्रोटक्शन एसोसिएशन, पी एन इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस कैम्पस क्लिनिकल रिसर्च सेंटर, "जय सोमनाथ" हिम्मतनगर, गुजरात
3.	भावनगर	भावनगर ग्राहक सुरक्षा मंडल, सरदार स्मृति, क्रीसेंट सर्किल, भावनगर-364001, गुजरात
4.	सूरत	साऊथ गुजरात कंज्यूमर प्रोक्टशन एजूकेशन एंड रिसर्च सेंटर, 6/2399, दूसरा तल, सेरी कार्नर, महिधारपुरा, सूरत, गुजरात
5.	भुज	श्री सेवा भारती फाउण्डेशन, कैलाशनगर, भुज, कच्छ, गुजरात
6.	गोधरा	गुजरात स्टेट रचनात्मक कार्यकर संघ गोधिब, सतरामपुर, गोधरा, गुजरात
7.	दहोड	ग्राहक सुरक्षा मण्डल, दौलतगंज बाजार, दहोड श्री गोपाल भाई धका, गुजरात
8.	बड़ोदरा	"जागरूक ग्राहक", दीपक चैम्बर्स दूसरा तल, नवाबवाड़ा, रावपुरा, बड़ोदरा-39001, गुजरात
9.	पाटन	जागरूक ग्राहक मण्डल, मार्फत भगनी समाज, कन्सदा दरवाजा, पाटन-384265 (गुजरात)
पश्चिम बंगाल		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-9		
2.	बांकुरा	छराबेदिया रूरल इकोनोमिक एंड एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, गाव छराबेदिया, पो. लेकपाड़ा, जिला बाकुरा, पश्चिम बंगाल
3.	कोलकाता	बेटर बिजनेस ब्यूरो, 39, शेक्सपीयर सरणी "प्रेमलता", सातवां तल, कमरा नं 702, कोलकाता-700017
4.	केद्देरपुर	पोर्ट एरिया कंज्यूमर एसोसिएशन, 16, माइकल दत्ता स्ट्रीट खिद्दरपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
5.	नाडिया	नादिया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, पाडिया बिल्डिंग, आर एन टैगोर रोड (हाई स्ट्रीट), पो.ओ. कृष्णनगर, जिला नादिया, पश्चिमी बंगाल
6.	हुगली	हुगली जिला प्रसाद दास सेन रोड क्रेता सुरक्षा समिति, 8 प्रसाद दास सेन रोड, चिन्सुरा, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल
7.	24 परगना (दक्षिण)	बगरिया रिलीफ वैलफेयर एमबूलेंस सोसायटी, गांव व पो. बघरिया, जिला साऊथ 22 परगना, पश्चिम बंगाल
8.	जलपाईगुड़ी	सी ओ ए एम ओ एस (कोसमोस), 24 बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700008
9.	बीरभूम	वीमेन्स इंटरलिंक, 21/1, ओल्ड बैलीगंज दूसरी लेन, कोलकाता-700019

1	2	3
मध्य प्रदेश		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-6		
1.	भोपाल	नेशनल सेंटर, फॉर ह्यूमन सैटलमेंट एंड एन्वायरमेंट, ई-5/ए, ग्रीस कुंज एरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश
2.	भोपाल	उपभोक्ता संरक्षण सलाहकार समिति, एच-378, गौतम नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल
3.	ग्वालियर	कंज्यूमर एंड सिविक राइट्स एसोसिएशन, हनुमान चौराहा, जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर
4.	कटनी	ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटक्शन आर्गनाइजेशन, नर्मदा कालोनी, झिंझरी, कटनी-483501, मध्य प्रदेश
5.	सागर	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार समिति, 236, मधुकर शाह वार्ड, सागर
6.	ग्वालियर	श्री कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, मुख्यालय 64ए, अम्बेडकर नगर, गीतांजली काम्पलेक्स के सामने, भोपाल, मध्य प्रदेश
उत्तरांचल		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-4		
1.	देहरादून	हिमालयन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, 229, तिलक मार्किट रोड, सुभाष नगर, पो. क्लेमेनटाऊन, देहरादून, उत्तरांचल
2.	चमोली	उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति, गांव व पो. ग्वालदम, जिला चमोली, उत्तरांचल
3.	अल्मोड़ा	गंगा पर्वतीय लोक विकास संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तरांचल
4.	नैनीताल	केएएफएएल (काफल) काफल हाऊस, पिण्डारी ग्लेशियर रोड, पो. भराड़ी जिला बागेश्वर (उत्तरांचल)
दिल्ली		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	मयूर विहार	सिटीजनशिप डेवलपमेंट काउंसिल, 4 ओ सी एफ पाकेट-बी, इंस्टीट्यूटशनल एरिया (नीलम माता मन्दिर के पीछे), मयूर विहार, फेज-2 दिल्ली-91
सिक्किम		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-3		
1.	सिक्किम उत्तरी जिला	सिक्किम सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गंगटोक, सिक्किम-737101
2.	सिक्किम दक्षिणी जिला	सिक्किम सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गंगटोक, सिक्किम-737101
3.	गंगटोक (पूर्व)	सिक्किम सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गंगटोक, सिक्किम-737101

1	2	3
राजस्थान		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-3		
1.	दौसा	जिला परिषद, दौसा, राजस्थान
2.	चित्तौड़गढ़	जिला परिषद, चित्तौड़गढ़, राजस्थान
3.	अजमेर	अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान, मसूदा, अजमेर, राजस्थान
पाण्डिचेरी		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-2		
1.	अयेनकुटीपल्लयम	ऑल इंडिया कंज्यूमर काउंसिल, (वर्तमान कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाण्डिचेरी) एम आई जी-15, अयेनकुटीपल्लयम, पाण्डिचेरी
2.	कराइकल	कोट्टुचेरी नुगरवुर, पथुपप्पु कुझु, 12, वेल्लई, पिल्लईयर कोइल स्ट्रीट्, कोट्टुचेर, कराइकल, पाण्डिचेरी
तमिलनाडु		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-3		
1.	रामनाथपुरम	नुगरवोर उरीमई पदुकप्पु कजगम, परकुडी, जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु-623707
2.	सेलम	सोसायटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सिरंगपल्लयम रोड, कुमारस्वामीपटी, सेलम 636007, तमिलनाडु
3.	शिवगंगी	सोसायटी फॉर इमान्सीपेटिंग नोई सोशल एजूकेशन, मेन रोड, थिरुप्पाचेट्टी, शिवगंगी (तमिलनाडु)
दमण व दीव		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	मोती दमण	जिला पंचायत, दमण व दीव, मोती दमण
चण्डीगढ़		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	चण्डीगढ़	कंज्यूमर फोरम चंडीगढ़ कमरा नं. 3, तीसरा तल, करुना सदन, सेक्टर-11-बी, चण्डीगढ़
हरियाणा		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	झज्जर	न्यू ग्राम विकास समिति, गांव व पो. टण्डा हेरी, बहादुरगढ़ ब्लाक, जिला झज्जर, हरियाणा

1	2	3
मिजोरम		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	आइजौल	मिजोरम कंज्यूमर्स यूनियन, आइजौल, ट्रेजर स्क्वेयर, आइजौल-796001, मिजोरम
केरल		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	तिरुवनन्तपुरम	कोइनपुर, मुडावनमुगल, पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम, केरल
कर्नाटक		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-3		
1.	गुलबर्गा	श्री बसा बशेश्वर रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, मकान सं. 1, 8 एल एल/ए-7, अनुश्रीनिले भगवती नगर, गुलबर्गा, कर्नाटक
2.	उदूपी	बालकेदर, वैदिके, कल्पना सिनेमा के पास, उदूपी, कर्नाटक
3.	हुबली	कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिसर्च फाण्डेशन, सवाई गंधर्व हाल के पास, हुबली, कर्नाटक
असम		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता केन्द्रों की संख्या-1		
1.	नौगांव	ग्राम विकास परिषद, रेंगलू पोस्ट जुमइमर के पास, वाया काथीटोली, जिला नौगांव (असम)
नागालैण्ड		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	दीमापुर	नागालैण्ड ट्राइबल रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ओल्ड डेयरी फार्म रोड, पोस्ट बाक्स नं. 196, पुराना बाजार, दीमापुर-797112, नागालैण्ड
बिहार		
स्वीकृत जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	मुजफ्फरपुर	हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति, जिला मुज्जफरपुर, बिहार
झारखण्ड		
स्वीकृति जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या-1		
1.	धनबाद	श्री नरसिंह मेमोरियल, विकास नगर, कटरास रोड, मटकुरिया, धनबाद, झारखण्ड

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालयों हेतु धनराशि

2708. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि विश्वविद्यालयों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने धनराशि का आवंटन बढ़ाने के लिए केन्द्र को कोई प्रस्ताव भेजा हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2006-2007 के दौरान इस विश्वविद्यालय को कितना धन आबंटन किया गया था; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई नई प्रजातियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सूचना विवरण-I में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, राजस्थान कृषि, विश्वविद्यालय को वर्ष 2006-07 के दौरान "कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास" स्कीम के तहत 306.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

(घ) सूचना विवरण-II में संलग्न है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को राज्य-वार आंबटित निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	असम	1278.34	1419.00	2086.19
2.	आंध्र प्रदेश	2207.11	2097.66	2595.32
3.	बिहार	1069.84	1393.21	1830.39
4.	छत्तीसगढ़	827.38	907.10	1520.26
5.	गुजरात	1598.81	2660.25	3574.92
6.	हरियाणा	1664.88	2867.71	2368.62
7.	हिमाचल प्रदेश	1833.47	1859.47	8288.62
8.	जम्मू व कश्मीर	969.45	2424.88	4334.68
9.	झारखण्ड	597.42	802.66	1806.98
10.	कर्नाटक	2698.48	3084.53	3957.96
11.	केरल	997.34	2543.32	1674.27
12.	मध्य प्रदेश	1802.12	2339.55	1152.12
13.	महाराष्ट्र	3459.84	3241.94	5512.39

1	2	3	4	5
14.	उड़ीसा	1405.27	1655.73	2479.28
15.	पंजाब	2024.36	3517.73	2776.26
16.	राजस्थान	2635.16	2955.05	3590.75
17.	तमिलनाडु	2242.11	2407.84	3138.71
18.	उत्तर प्रदेश	2688.94	2836.43	4881.67
19.	उत्तरांचल	1262.75	1451.55	2817.57
20.	पश्चिम बंगाल	1273.60	1235.15	2336.53
21.	नागालैण्ड			50.00
22.	दिल्ली	83.78	95.95	209.98
23.	त्रिपुरा	3.00	28.83	13.85
24.	मणिपुर	116.79	53.99	63.63
25.	मेघालय		8.55	34.42
	कुल	34740.24	43888.08	63095.37

विवरण II

वर्ष 2003-06 के दौरान राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रजनको द्वारा विकसित फसलों की किस्में

फसल	किस्म
1	2
गेहूं	राज 3777, राज 4037, राज 6560 (ड्यूरम)
जौ	आर डी 2592, आर डी 2624
सरसों	आर जी एन 13, आर एन 505, आर जी एन 48
राजमा	आर एस जे 178
मूंग	गंगा 1, आर एम जी 492
मोठ	आर एम ओ 423, आर एम बी 25
लोबिया	आर सी पी 27
धनिया	आर सी आर 27
सौंफ	आर एफ 101

1	2
प्याज	आर ओ 1, आर ओ 59
कपास (देसी)	आर ए जे डी एच-9
मूंगफली	आर जी 382
ग्वार	आर जी सी-1013, आर जी एम 112
चना	जी एन जी 1292 (काबुली), सी एस जे डी 884, आर एस जी 888, आर एस जी 945, आर एस जी 895, आर एस जी 963, आर एस जी 807, आर एस जी 973
मिर्च	आर सी एच-1

[हिन्दी]

घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट

2709. **श्री रशीद मसूद:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट जो भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं है, का निर्माण और विक्रय किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे हेलमेटों की बिक्री को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने "मोटरसाइकिल सवारों के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट्स" हेतु एक भारतीय मानक आई.एस. 4151: 1993 प्रतिपादित किया है जो फिलहाल स्वैच्छिक है। इन हेलमेटों के विनिर्माताओं को इनके विनिर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन चिह्न लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। बिना आई.एस.आई चिह्न वाले हेलमेटों की गुणवत्ता की निगरानी करना भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तथापि, सरकार ने सुरक्षा के लिए हेलमेटों सहित आई.एस.आई. चिह्न वाले उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 में भी एक उपबंध किया गया है कि दोपहिए वाहन खरीदते समय दोपहिए वाहनों के विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देशनों के अनुरूप हेलमेट सप्लाई करेंगे।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मछुआरों के लिए आवासों का निर्माण

2710. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से मत्स्य आश्रय योजना चरण-2 के अंतर्गत 5000 आवासों के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने मत्स्य आश्रय योजना चरण-2 के तहत प्रति घर 30,000 रुपए की अधिकतम लागत के साथ 750.00 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी मांगते हुए 5000 घरों के निर्माण के लिए 2004-05 के दौरान योजना के तहत केन्द्रीय सहायता मांगी थी। प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया था तथा 2004-05 में प्रथम किश्त के रूप में 100.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी और 200.00 लाख रुपए तथा 150.00 लाख रुपए की दो किश्तें 2005-06 में जारी की गई थीं। राज्य सरकार से शेष राशि जारी करने के संबंध में और कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

हॉलमार्क वाली ज्वैलरी

2711. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) से प्रमाणन प्राप्त ज्वैलरों का ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा बी.आई.एस. हालमार्किंग योजना के तहत अब तक कितनी ज्वैलरी-वस्तुओं का हालमार्क किया गया;

(ख) उन ज्वैलरों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्द एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग में मामले दर्ज किये गये हैं जिनके नमूने बी.आई.एस. द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे; और

(ग) बी.आई.एस. ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए हैं कि उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध सोने के आभूषण उपलब्ध हो सकें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) अब तक 1969 सोने के आभूषण निर्माताओं और 77 चांदी के आभूषण निर्माताओं ने हाल मार्किंग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लिए हैं। अब तक लगभग 1.38 करोड़ सोने के आभूषण और 871 चांदी के आभूषणों की हाल मार्किंग की जा चुकी है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में जिन 107 जौहरियों के नमूनों को घोषित शुद्धता के बराबर खरा नहीं पाया गया उनके खिलाफ एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग में मामले दायर किये गये हैं।

(ग) उपभोक्ताओं को शुद्ध सोने के आभूषणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2006-07 के दौरान कार्यान्वयन हेतु भारत के 35 चुनिंदा जिलों में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हालमार्किंग/एसेइंग केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम शुरू की गई है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए कच्चा माल

2712. श्री जुएल ओराम: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) में इस्तेमाल के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) से कुल कितना कच्चा माल उठाया गया;

(ख) इसमें से कितने कच्चे माल की ब्रांच ट्रांसफर के माध्यम से उड़ीसा से अन्य राज्यों को ढुलाई की गई:

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) लि. प्रति वर्ष ब्रांच ट्रांसफर के मामले में वृद्धि कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल, कच्चा माल प्रभाग (आरएमडी) की विभिन्न खानों से राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) को प्रेषित प्रमुख कच्चा माल अर्थात लौह अयस्क और चूना पत्थर नीचे दिया गया है:

लौह अयस्क

क्र.सं.	खान	राज्य	2006-07 (जुलाई 06 तक)	2005-06	2004-05	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	किरीबुरू	झारखंड	144	313	137	240
2.	मेघाहातुबुरू	झारखंड	160	202	153	284
3.	बोलानी	उड़ीसा	7	32	-	-
4.	बरसुआ	उड़ीसा	485	1298	1248	1202
5.	काल्टा	उड़ीसा	389	990	1030	1113
6.	गुआ	झारखंड	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
7.	मनोहरपुर	झारखंड	12	29	62	66
	योग		1197	2864	2630	2905
चूना-पत्थर						
1.	पूर्णापानी	उड़ीसा	–	–	–	55
2.	कूटेश्वर	मध्य प्रदेश	22	47	108	64
	योग		22	47	108	119

(ख) से (घ) कच्चे माल के लिए "ब्रांच ट्रांसफर" की कोई अवधारणा नहीं है। सेल के विभिन्न संयंत्रों को निजी खानों से कच्चे माल की सप्लाई हेतु लिंकेज उत्पादन क्षमता तथा विभिन्न खानों के निक्षेपों की गुणवत्ता के साथ-साथ उपलब्ध रेल अवसंरचना और माल भाड़े की तुलना में इस्पात संयंत्रों की मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक आवश्यकता पर निर्भर करता है। तथापि, उड़ीसा में सेल की खानों से अन्य राज्यों में सेल के संयंत्रों को प्रेषित लौह अयस्क और चूना-पत्थर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा में सेल की खानों से अन्य राज्यों में सेल के संयंत्रों को प्रेषित लौह अयस्क और चूना पत्थर

लौह अयस्क

इकाई हजार टन

वर्ष	बोलानी					बासुआ					काल्टा					सकल योग
	बीएसएल	डीएसपी	बीएसपी	आईएसपी	एएसपी	बीएसएल	डीएसपी	बीएसपी	आईएसपी	एएसपी	बीएसएल	डीएसपी	बीएसपी	आईएसपी	एसएपी	
2006-07 (जुलाई, 06 तक)	66	887	-	25	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
2005-06	187	3126	3	-	19	-	7	-	3	-	4	19	-	-	-	3368
2004-05	48	2961	-	-	-	-	16	-	-	-	-	17	-	-	-	3042
2003-04	125	2971	-	-	-	18	-	3	-	-	18	27	-	-	-	3162

चूना पत्थर

वर्ष	पूर्णापानी					योग
	बीएसएल	डीएसपी	बीएसपी	आईएसपी	एएसपी	
2006-07 (जुलाई, 06 तक)	–	–	–	–	–	
2005-06	–	–	–	–	–	–
2004-05	–	–	–	–	–	–
2003-04	10	23	–	–	–	33

विज्ञापन पर प्रतिबंध

2713. श्री रविन्दर कुमार राणा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी खर्च से जारी किये गये विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत निधि

2714. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि गत दो वर्षों के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि, 1976 के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि का सृजन और उपयोग किया गया?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): सरकार ने बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के तहत बीड़ी कामगार कल्याण निधि स्थापित की है। अधिनियम में प्रति हजार विनिर्मित बीड़ियों पर उपकर के रूप में 1 रु. से 5 रु. तक उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। उपकर की मौजूदा दर 1.4.2006 से, प्रति हजार बीड़ी 5 रु. है। अधिनियम में व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार द्वारा निधि का उपयोग ऐसे कामगारों के कल्याणार्थ किया जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रचालन में हैं। बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान संग्रहीत उपकर और किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये में)

	2003-04	2004-05	2005-06
उपकर संग्रहण	85.83	72.39	125.79
व्यय	81.30	89.15	132.58

महानदी बेसिन के लिए विश्व बैंक ऋण

2715. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानदी बेसिन के विकास के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) इस परियोजना की वास्तविक लागत क्या है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) वर्तमान में, महानदी बेसिन के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता का लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में समुद्र कटाव

2716. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को समुद्र कटाव से तटरेखा को बचाने की परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना (एनसीपीपी) में शामिल करने के लिए जुलाई, 2020 में 195.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में मुंबई, मुंबई उपनगर, थाणे, रायगड, रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग जिलों के 72.36 कि.मी. क्षेत्र में कटावरोधी कार्य शामिल है। चूंकि एनसीपीपी की योजना बाह्य वित्तपोषण के लिए बनाई गई है इसलिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया तट सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण पत्र आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को भेजा गया था। एडीबी ने "एकीकृत तट प्रबंधन और संबंधित निवेश विकास" संबंधी तकनीकी अध्ययन के लिए भारत सरकार को तकनीकी सहायता देने का अनुमोदन कर दिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से अग्रिम राशि

2717. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि में गैर-सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अपने खाते से अग्रिम राशि/स्थानांतरण/निपटान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दावों/अग्रिम राशि/भविष्य निधि मामलों के शीघ्र निपटान के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पूरी प्रणाली को सुचारू बनाकर स्थिति को आरामदायक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, नहीं। हर प्रकार से पूर्ण प्राप्त किये गये दावों का 30 दिनों के अंदर निपटान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, कतिपय मामलों में नियोक्ता द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने/देयों को जमा न कराने, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा फार्मों का साक्ष्यांकन न होने आदि के कारण विलम्ब हो जाता है।

(ग) और (घ) संगठन के कुछ कार्यकलापों जैसे लेखा स्लिप जारी किया जाना, रोकड़ बही का रखरखाव, मासिक पेंशन प्रदान किया जाना इत्यादि का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। तथापि, "री-इन्वेंटिंग ई पी एफ इंडिया" परियोजना में अन्य कार्यों को भी कम्प्यूटरीकृत करने पर विचार किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2-3 दिनों में दावों का निपटान करने का प्रावधान है।

कृषि विश्वविद्यालयों में डिप्लोमाधारी

2718. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालयों से डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों के पक्ष में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संकाय वाले मानद विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को कृषि शिक्षा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा देश में उच्च कृषि शिक्षा के समन्वय का काम किया जाता है। इन कृषि विश्वविद्यालयों से लगभग 15,000 स्नातक तथा 7,000 स्नातकोत्तर प्रत्येक वर्ष तैयार किये जाते हैं। संबद्ध मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) द्वारा वर्ष 2000 में किये गये अध्ययन के अनुसार 43 प्रतिशत पूर्व स्नातक तथा 23 प्रतिशत स्नातकोत्तर छात्र डिग्री पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद एकवर्ष तक बेरोजगार रहे। कृषि एवं संबद्ध विषयों में 18 विश्वविद्यालय/संस्थान डिप्लोमा प्रदान करते हैं। डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष लगभग 13,400 छात्र प्रवेश प्राप्त करते हैं। डिप्लोमा कार्यक्रम नए उम्मीदवारों सहित सेवारत प्रतिभागियों की कुशलता वृद्धि या स्व-रोजगार हेतु दक्षता वृद्धि के लिए रखे गये हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किये हैं जैसे प्रायोगिक शिक्षण, हैंड्स-आन प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संशोधन आदि, ताकि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों में अपनी रोजगार योग्यता सहित स्व-रोजगार दक्षता वृद्धि के लिए उद्यमशीलता और विश्वास पैदा हो सके।

बांस वनों का सुधार

2719. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बांस वनों में सुधार के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित परियोजना में वन तथा निजी भूमि प्रत्येक में एक लाख हेक्टेयर में बांस लगाना परिकल्पित है। पांच वर्ष की अवधि के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 580.00 करोड़ रुपये थी। चूंकि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसके अंतर्गत केरल सरकार के परियोजना प्रस्ताव को प्रारंभ किया जाता अतः उसे योजना आयोग को अग्रेषित कर दिया गया था।

अरावली वन क्षेत्र के विकास हेतु धनराशि

2720. श्री हितेन बर्मन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अरावली वन क्षेत्र के विस्तार और विकास के लिए कोई धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त क्षेत्र में वन रोपण में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) अरावली वन क्षेत्र के विस्तार और विकास के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा दो कार्यक्रमों नामशः, "राजस्थान वानिकी और जैव-विविधता परियोजना" जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कारपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा प्रदत्त सहायता से और "केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के अंतर्गत धनराशि प्रदान कर रही है। गत तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय और वनीकरण कार्य में प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियों सहित चालू वर्ष में रखे गये वित्तीय प्रावधान निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	जेबीआईसी से सहायता प्राप्त परियोजना		राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	
		किया गया व्यय (लाख रुपये में)	वनीकरण (हेक्टेयर में)	किया गया व्यय (लाख रुपये में)	वनीकरण (हेक्टेयर में)
1.	2003-04	3142.89	-	384.97	गत तीन वर्षों के दौरान एनएपी के अंतर्गत 6875 हेक्टेयर क्षेत्र पर रोपण कार्य किया गया है।
2.	2004-05	7341.51	17250	294.51	
3.	2005-06	9650.42	20850	338.26	
4.	2006-07	9000.00 (प्रस्तावित)	36700 (प्रस्तावित)	61.45	

[हिन्दी]

झुडपी वन

2721. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विकास परियोजनाएं झुडपी वनों के कारण लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने झुडपी वन की समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में इस मंत्रालय को कोई स्पष्टीकरण दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) झुडपी वन के रूप में वर्गीकृत वन भूमि के वनेतर उपयोग के लिए किसी विकास परियोजना का कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

(ख) जी, नहीं। झुडपी वन की समस्या एवं इनके भावी प्रबंधन की देखरेख करने के लिए 1998 में एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया था।

(ग) समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि वन (संरक्षण) अधिनियम के 1980 में अधिनियम से क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्य क्षेत्र से झुडपी वन को निकाल देना संभव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोटैनिक गार्डन के लिए परियोजना

2722. श्री बालेश्वर यादव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नोएडा में बोटैनिक गार्डन आफ इंडिया रिपब्लिक आफ इंडिया रिपब्लिक को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार मामला किस स्थिति में है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी नहीं। नोएडा में भारतीय वनस्पति उद्यान (बोटैनिक गार्डेन आफ द इंडियन रिपब्लिक) को स्थापित करने के प्रस्ताव को वापस लेने का कोई निर्णय नहीं है।

(ग) परामर्श भूदृश्य वास्तुकार (सीएलए) द्वारा इस अवधारणा के विकास के लिए गठित बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति के पर्यवेक्षण में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उद्यान हेतु एक मास्टर योजना तैयार की गई है। सीएलए द्वारा नालों, अवसंरचना-इंजीनियरिंग, ऊर्जा संरक्षण, विद्युत इंजीनियरिंग, जल आपूर्ति इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। कार्य के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों की एक अन्य बहु-विषयक समिति का गठन किया जा रहा है।

एच.एफ.सी. कर्मचारियों को क्वार्टर सौंपना

2723. श्री सुनील खां: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) के माध्यम से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसी), दुर्गापुर इकाई के कर्मचारियों को क्वार्टर सौंपने के लिए कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं। आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) के माध्यम से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एचएफसीएल), दुर्गापुर इकाई के कर्मचारियों को क्वार्टर सौंपने के मामले में कोई बैठक नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर में उपग्रह चैनल

2724. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में दूरदर्शन के लिए एक अन्य उपग्रह चैनल शुरू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चैनलों के लिए अपलिंकिंग सुविधा की स्थापना करने की संभावना है। तथापि, ये पर्याप्त संख्या में उपयुक्त कार्यक्रमों के तैयार होने पर ही चालू होंगे। मई 2006 में अनुमोदित पूर्वोत्तर विशेष पैकेज चरण-II के अंतर्गत इन चैनलों को शुरू करने तथा कू बैंड में उनको शामिल करने के लिए क्रमशः 2.79 करोड़ रुपए और 0.71 करोड़ रुपए उद्दिष्ट किये गये हैं।

कश्मीर फिल्मोत्सव

2725. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कश्मीर फिल्मोत्सव आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कश्मीर फिल्मोत्सव की तर्ज पर अन्य भाषाओं में भी ऐसे और फिल्मोत्सव आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) वर्ष 2004 के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सहयोग से निम्नलिखित दो समारोहों का आयोजन किया था:

(1) दिनांक 12-14 अक्तूबर, 2004 को श्रीनगर में एक बाल फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रदर्शित फिल्म ''जियो और

जीने दो" थी जिसने 51वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2004 में सर्वश्रेष्ठ एनीमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया था। कुल छह फिल्में दिखायी गयी थीं और लगभग 2000 बच्चों ने इन फिल्मों को देखा।

(2) श्रीनगर में दिनांक 19 से 27 नवम्बर, 2004 तक एक अन्य फिल्म समारोह का भी आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के बाद भारत की सर्वश्रेष्ठ पुरानी फिल्म मुगल-ए-आजम के डिजिटल रूप से आवर्धित एवं रंगीन प्रिंट का फिल्मांकन किया गया। फिल्म प्रेमी जनता ने अधिकाधिक संख्या में अत्यधिक उत्साह दिखाते हुए इस फिल्म को देखा और अधिकांश शो हाउसफुल रहे। 19-27 नवम्बर, 2004 के दौरान फिल्म को देखने वाले दर्शकों की अनुमानित संख्या 20,000 थी। कुल मिलाकर घाटी में इस समारोह को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बालचित्र समिति, भारत जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान बच्चों के लिए जिला स्तरीय फिल्म समारोहों का आयोजन किया था। इन दो वर्षों के दौरान आयोजित कुल 60 प्रदर्शनों को लगभग 19,000 दर्शकों ने देखा।

अभी तक वर्ष 2005 और 2006 में ऐसे किसी समारोह का आयोजन नहीं किया गया।

सेलम इस्पात संयंत्र का उन्नयन

2726. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सेलम इस्पात संयंत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) से (ग) 1553 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सेल बोर्ड द्वारा सेलम इस्पात संयंत्र के विस्तार को सिद्धांततः मंजूरी दे दी गई है। विस्तार योजना में प्रतिवर्ष 1,80,000 टन बेदाग इस्पात स्लेबों का उत्पादन करने के लिए स्टील मैल्टिंग शाप स्थापित करने तथा शीत बेल्लित बेदाग इस्पात की 65,000 टन प्रतिवर्ष की अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1,46,000 टन करने के लिए शीत बेलन मिल की क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

सेलम इस्पात संयंत्र के विस्तार के पश्चात संयंत्र बेदाग इस्पात स्लैबों की खरीद के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर नहीं रहेगा। संयंत्र अपनी इस्पात गलनशाला में बेदाग इस्पात स्लैबों का उत्पादन करेगा जिससे यह और अधिक लागत प्रभावी होगा।

प्रतिनियुक्ति पर मीडिया स्टाफ के चयन संबंधी मानदण्ड

2727. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मीडिया कवरेज के लिए विशेष कार्य हेतु विदेश भेजे गये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन स्टाफ का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रतिनियुक्ति पर कुल कितना व्यय किया गया तथा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए मीडिया स्टाफ के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं कि ऐसे खेल आयोजनों के लिए बार-बार उन्हीं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है और अन्य पात्र स्टाफ को नजरअंदाज कर दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध में ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आकाशवाणी	4,71,43,360 रु.
दूरदर्शन	1,77,53,263 रु. जिसमें ओलंपिक खेल, 2004, 74,35,059 रु. तथा राष्ट्रमंडल खेल, मेलबोर्न 1,03,18,204 रुपये

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम स्टाफ संघ ने खेल आयोजनों के लिए कवरेज टीम के सदस्यों के चयन में पक्षपात और स्वेच्छाचारिता का आरोप लगाते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी (सी) 2040/2002 में एक सिविल विविध याचिका संख्या 8755/04 दायर की है।

उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध याचिका को खारिज कर दिया गया था। तथापि, माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका की एक नियमित मामले के रूप में अभी सुनवाई की जानी है।

विवरण I

आकाशवाणी

क्र.सं.	दिनांक	आयोजन
1	2	3
(1)	16 जलाई से 1 अगस्त, 2004	श्री लंका में एशिया कप क्रिकेट
	1. श्री मिहिर मेहता, पेक्स, आकाशवाणी, निर्माता के रूप में	
	2. श्री के.एस. कंग, पेक्स, विपणन प्रभाग, हिन्दी कमेंटेटर के रूप में	
	3. डा. मिलिंद टिपनिस, गैर-सरकारी, मुम्बई से अंग्रेजी कमेंटेटर	
	4. श्री ए. संधूर पांडियन, ए.ई., आकाशवाणी, चेन्नई	
(2)	21 से 28 अगस्त, 2004	हालैंड में विडियोकान कप क्रिकेट सीरीज
	1. श्री डी.पी. बैनर्जी, पेक्स, आकाशवाणी महानिदेशालय, निर्माता के रूप में	
	2. श्री प्रेम कुमार, गैर-सरकारी, दिल्ली से अंग्रेजी कमेंटेटर के रूप में	
	3. श्री विनीत गर्ग, गैर-सरकारी, भीलवाड़ा से हिन्दी कमेंटेटर	
	4. श्री आशीष राय चौधरी, ए.ई., आकाशवाणी, कोलकाता	
(3)	1 से 5 सितम्बर, 2004	इंग्लैंड में नैटवैस्ट क्रिकेट 2004
	1. श्री डी.पी. बनर्जी, पेक्स, आकाशवाणी महानिदेशालय, निर्माता के रूप में	
	2. श्री प्रेम कुमार, गैर-सरकारी, दिल्ली से अंग्रेजी कमेंटेटर	
	3. श्री विनीत गर्ग, गैर-सरकारी, भीलवाड़ा से हिन्दी कमेंटेटर	
	4. श्री आशीष राय चौधरी, ए.ई. आकाशवाणी, कोलकाता।	
(4)	13 से 29 अगस्त, 2004	एथेंस, यूनान में 28वीं ग्रीष्म ओलंपिक
	1. श्री एस. सी. नायक, एडीपी, डीटीपीईएस, निर्माता के रूप में	
	2. श्री संजय बनर्जी, एनआरटी, एनएसडी, दिल्ली से हिन्दी कमेंटेटर के रूप में	
	3. श्री राजीव सक्सेना, हिन्दी उद्घोषक, आकाशवाणी, दिल्ली	
	4. श्री मुकुल गोस्वामी, पेक्स, आकाशवाणी, जोधपुर	
	5. श्री अनिल कुमार, दवास, ए.ई. आकाशवाणी, दिल्ली	
	6. श्री शंकर प्रकाश, बंगलौर से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर	
	7. श्री मिलिंद वागले, मुम्बई से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर	

1	2	3
(5) 11 से 25 सितम्बर, 2004		इंग्लैंड में चौथी आईसीसी चैंपियन्स ट्राफी
	1. श्री आर.सी. साहू, पेक्स, आकाशवाणी महानिदेशालय, निर्माता के रूप में	
	2. श्री प्रकाश वकांकर, गैर-सरकारी, गुड़गांव से अंग्रेजी कमेंटेटर	
	3. श्री संजय बनर्जी, एनआरटी, दिल्ली से हिन्दी कमेंटेटर के रूप में	
	3. श्री एस.वाई. सोलंकी, ए.ई. आकाशवाणी, कोलकाता	
(6) अगस्त-सितंबर 2004		जिम्बाबे में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला 2005
	1. श्री आर.टी. कुलकर्णी, पेक्स विपणन, बंगलौर, निर्माता के रूप में	
	2. श्री शंकर प्रकाश, बंगलौर से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर के रूप में	
	3. श्री विनीत गर्ग, भीलवाड़ा से गैर सरकारी हिन्दी कमेंटेटर के रूप में	
	4. श्री एस. क्षीरसागर, ए.ई. आकाशवाणी, मुम्बई	
(7) 30 अगस्त से 9 सितंबर,2 005 श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला 2005		
	1. श्री विनोद मेहता, एडीपी (खेलकूद), आकाशवाणी महानिदेशालय, निर्माता के रूप में	
	2. श्री प्रकाश वकांकर, गुड़गांव से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर	
	3. श्री प्रभात गोस्वामी, जयपुर से गैर-सरकारी हिन्दी कमेंटेटर	
	4. श्री ओम प्रकाश, ए.ई., आकाशवाणी, दिल्ली	
(8) 21 जनवरी से 19 फरवरी, 2006		पाकिस्तान में भारत-पाक क्रिकेट श्रृंखला-2006
	1. श्री आर.सी. साहू, पेक्स (खेलकूद), आकाशवाणी महानिदेशालय, निर्माता के रूप में	
	2. श्री शंकर प्रकाश, बंगलौर से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर	
	3. श्री संजय बनर्जी, दिल्ली से गैर-सरकारी हिन्दी कमेंटेटर	
	4. श्री रोबिन दासगुप्ता, ए.ई. आकाशवाणी, दिल्ली	
(9) 18 से 26 मार्च, 2006		मेलबार्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेल 2006
	1. श्री ब्रिजेश्वर सिंह, महानिदेशक, आकाशवाणी, पर्यवेक्षण अधिकारी	
	2. श्री रजत भार्गव, एडीजी (एफ), आकाशवाणी महानिदेशालय, पर्यवेक्षण अधिकारी	
	3. श्री ए.के. पाढ़ी, डीडीजी (खेलकूद), आकाशवाणी महानिदेशाय, पर्यवेक्षण अधिकारी	
	4. श्री एस.सी. नायक (खेलकूद), आकाशवाणी महानिदेशालय, निर्माता के रूप में	
	5. श्री नोवी कपाड़िया, दिल्ली से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर	
	6. श्री शंकर प्रकाश, बंगलौर से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर	

1	2	3

7. श्री मुकुल गोस्वामी, पेक्स, आकाशवाणी जोधपुर
8. श्री आर.टी. कुलकर्णी, पेक्स, विपणन, आकाशवाणी, बंगलौर
9. श्री प्रवीण चांद, पेक्स, आकाशवाणी, दिल्ली
10. श्री राजेश दल्वी, ट्रेक्स, आकाशवाणी, मुम्बई
11. श्री रजत सेनगुप्ता, पेक्स, आकाशवाणी, बिलासपुर
12. श्री आशीष कुमार, चरंगु, पेक्स, आकाशवाणी, दिल्ली
13. श्री के.एस. कंग, पेक्स, विपणन, आकाशवाणी महानिदेशालय
14. श्री वी.एन. शिवकुमार पेक्स, आकाशवाणी, पणजी
15. श्री एस.पी. सिंह, पेक्स, आकाशवाणी, भोपाल
16. श्री अनुपम पाठक, पेक्स, आकाशवाणी, लखनऊ
17. श्री अनिल देसाई, पेक्स, आकाशवाणी, धारवाड़
18. श्री बी. वेंकटराम, ट्रेक्स, आकाशवाणी, हैदराबाद
19. श्री राकेश सिंह, गोरखपुर से गैर सरकारी हिन्दी कमेंटेटर
20. श्री अनुभा रोहतगी, समाचार संपादक, एनएसडी, दिल्ली
21. श्री मदन कुमार, समाचार संपादक, एनएसडी, दिल्ली
22. श्री टी.वी.डब्ल्यू. पुरुषोत्तमन, एस.ई.ए., आकाशवाणी, दिल्ली, प्रसारण अभियंता के रूप में।
23. श्री एन.ए. खान, एस.ई., आकाशवाणी, दिल्ली, पर्यवेक्षण अभियंता
24. श्रीमती असलेशा मेहता, ट्रेक्स, आकाशवाणी, अहमदाबाद
25. श्री अरूप के. सेनगुप्ता, एसओ, तर्कगणित में मदद करने हेतु

(10) 18 और 19 अप्रैल, 2006 — अबूधाबी में भारत-पाक एक दिवसीय क्रिकेट 2006

1. श्री के.एस. कंग, पेक्स (खेलकूद), विपणन, दिल्ली निर्माता के रूप में
2. डा. मिलिन्द टिपनिस, मुम्बई से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर
3. श्री विनीत गर्ग, भीलवाड़ा से गैर-सरकारी हिन्दी कमेंटेटर
4. श्री लोकेन्द्र कुमार, ए.ई. आकाशवाणी महानिदेशालय, प्रसारण अभियंता के रूप में

(11) 18 मई से 4 जुलाई, 2006 — वेस्टइंडीज में भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला-2006

1. श्री सुहास मोहंती, एएसडी, सीबीसी, कटक, निर्माता के रूप में
2. श्री प्रेम कुमार, दिल्ली से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर
3. श्री विनीत गर्ग, भीलवाड़ा से गैर-सरकारी हिन्दी कमेंटेटर

1	2	3
	4. श्री विजय मेहरा, दिल्ली से विशेषज्ञ कमेंटेटर	
	5. श्री एस.एस. रमन, ए.ई., आकाशवाणी, मुंबई, प्रसारण अभियंता के रूप में	
(12) 5 से 9 जुलाई, 2006		जर्मनी में फीफा वर्ल्ड कप 2006
	1. श्री डी.पी. बनर्जी, पेक्स आकाशवाणी, कटुआ, निर्माता के रूप में	
	2. श्री आर.के. नेगी, एस.ई.ए., आकाशवाणी, दिल्ली, प्रसारण अभियंता	
	3. श्री संजय बनर्जी, दिल्ली से गैर सरकारी हिन्दी कमेंटेटर	
	4. श्री संजीव कुमार बासु, कोलकाता से गैर-सरकारी अंग्रेजी कमेंटेटर	

विवरण II

मेलबोर्न 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दूरदर्शन का दल

क्र.सं.	नाम	पद तथा केन्द्र
1	2	3
1.	वी.के. अग्रवाल	अधीक्षक इंजीनियर, गुवाहाटी
2.	देबजनी भट्टाचार्य	सांख्यिकीविद
3.	शुभांकर मुकर्जी	सांख्यिकीविद
4.	बी. कुमार	कैमरामैन, सीपीसी, दिल्ली
5.	घौस मोहम्मद	कमेंटेटर
6.	गोपालकृष्णन नायर	ईए, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर
7.	इशरत शफी	एसईए, दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर
8.	रूद्रेश बाबू बीपी	ईए, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर
9.	टी सुजाता	एसईए, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर
10.	बी. पानीग्रही	निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर
11.	ए. कासमास	कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, चेन्नई
12.	एपीएस रंधावा	पेक्स, दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर
13.	अजय भाकुनी	कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर
14.	अमित त्यागी	निर्माण सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल
15.	आनंद स्याल	निदेशक, सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, चंडीगढ़
16.	अनुपम गुलाटी	कमेंटेटर

1	2	3
17.	अनुपम के बनठिया	ईए, दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर
18.	अविनाश आचार्य	एएसडी, दूरदर्शन महानिदेशालय
19.	बी.के. हेमंत कुमार	कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, सिल्चर
20.	सी.एस. जोनाथन एंड्रूज	कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, मदुरै
21.	चंद्र दुधरेजिया	पेक्स, दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद
22.	देशमुख आर.एम.	एस ई ए, दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई
23.	ई. डेनियल	कैमरामन, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर
24.	गोपाल मंडलोई	निर्माण सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल
25.	हरिंदर सिंह	कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी
26.	के. ईश्वर राव	पैक्स, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर
27.	लोलाक्षा एल. अंचन	कैमरामन, दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद
28.	मनोज कुमार तिवारी	निर्माण सहायक, दूरदर्शन केन्द्र जयपुर
29.	मिलन नस्कर	पेक्स, दूरदर्शन केन्द्र कोलकाता
30.	एन.एम. सतपथी	पेक्स, दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर
31.	एन. त्यागराजन	एसई, दूरदर्शन केन्द्र, चेन्नई
32.	नानू भसीन	समाचार संपादक, डीडी न्यूज, दिल्ली
33.	पी.के. मोहापात्रा	एएसई, दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर
34.	प्रबोध कुमार पटनायक	पेक्स, दूरदर्शन महानिदेशालय
35.	आर.के. दीक्षित	पेक्स, दूरदर्शन महानिदेशालय
36.	आर.पी. लूथरा	अनुभाग अधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय
37.	राजेश श्रीवास्तव	ए.ई., सीपीसी, दिल्ली
38.	एस. गुरूमनिकम	एई, दूरदर्शन केन्द्र, चेन्नई
39.	एस.के. निम	एसईए, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली
40.	एस.के. श्रीवास्तव	सी, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ
41.	एस. श्रीराज	कैमरामैन, दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल
42.	संजय कुार	निर्माण सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली
43.	संजीव सोनी	निर्माण सहायक, सीपीसी, दिल्ली
44.	शबीर मुजाहिद	कार्यकारी निर्माता, दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर

1	2	3
45.	शैलेन्द्र वर्मा	पीईएक्स, डीडी न्यूज, दिल्ली
46.	पनमुकम वेंकटेशन	कैमरामैन, डीडीके दिल्ली
47.	सुनील जौहरी	वीडियो एडीटर, डीडीके इंदौर
48.	सुनील वैद्य	कमेंटेटर
49.	सुशील शर्मा	कैमरामैन, डीडीके दिल्ली
50.	वी. वेंकटेशुलु	एएसई, डीडीके हैदराबाद
51.	वी. विद्यासागर	ग्राफिक आर्टिस्ट, डीडीके हैदराबाद
52.	विनोदिनी वीणा	एएसडी, डीडीके हैदराबाद
53.	जाकिर एच पठान	प्राड असिस्टेंट, नागपुर
54.	ए. अंजानीयुलू	सीईए, डीडीके हैदराबाद
55.	ए.के. धनराज	प्राड असिस्टेंट, डीडीके चेन्नई
56.	अजय गुप्ता	डीई एचक्यू, डीजी: डीडी
57.	अनुराग दर्शन	प्राड. असि. सीपीसी दिल्ली
58.	अनुराग कुलश्रेष्ठ	डीडीई, डीजी:डीडी
59.	ब्रिज बक्शी	डायरेक्टर, सीपीसी, दिल्ली
60.	सीएस मोहन	एएएसई, डीडीके, दिल्ली
61.	देवगिरी एम.एम.	एसईए, डीडीके, दिल्ली
62.	देवेन्द्र गिरी	प्राड असि., डीडीके, दिल्ली
63.	ई.एस. इजाक	डीपी, डीजी: डीडी
64.	जगजीवन राम	एई डीडीके, श्रीनगर
65.	जोसलिन मार्टिन	कमेंटेटर
66.	कपिल भटनागर	ग्राफिक्स आर्टिस्ट, डीडीके भोपाल
67.	ई कृष्णा राव	फोरसपोंडट, डीडीके, हैदराबाद
68.	एम.के. अग्रवाल	एसईए, डीडीके, जयपुर
69.	एम.एम. मोहन	ईए, डीडीके, हैदराबाद
70.	महेश चन्द्रा पालीवाल	एएसई, डीडीके, जयपुर
71.	महेश जोशी	डायरेक्टर, डीडीके, बंगलौर
72.	एन.एस. मन्हास	पीईएक्स, डीडीके, चंडीगढ़

1	2	3
73.	एन.एस. मंजुनाथ	कैमरामैन, डीडीके, दिल्ली
74.	नरेश चावला	वीडियो एडीटर, सीपीसी दिल्ली
75.	पी.एस. परमेश्वरमन	पीईएक्स, डीडीके, चेन्नई
76.	पी.एस. श्रीवास्तव	एसई, डीडीके दिल्ली
77.	पंकज चौहान	प्राड, असिं, अहमदाबाद
78.	प्रदीप माथुर	पीईएक्स, डीडीके दिल्ली
79.	राजेश तिवारी	कमेंटेटर
80.	रणजीत चटर्जी	डीडीपी, डीजी: डीडी
81.	एस. प्रसाद	सीनियर टैक्निशियन, डीडीके, हैदराबाद
82.	एस.एस. चन्द्रशेखर	सीनियर टैक्निशियन, डीडीके, बंगलौर
83.	साजन वेन्नयूर	पीईएक्स, डीजी:डीडी
84.	टीडी कृष्ण कुमार	एसईए, डीडीके, चेन्नई
85.	टी.एस. रामकृष्ण	एस.ई., डीडीके, हैदराबाद

एथेंस ओलंपिक खेल-2004 हेतु दूरदर्शन का दल

क्र.सं.	नाम	पद और केन्द्र
1	2	3
1.	श्री एल.डी. मंडलोई	डीडीजी, डीजी: डीडी
2.	श्री एस. रामास्वामी	एसजीई, डीडीके, चेन्नई
3.	श्री बी.एम. बक्शी	डीपी, डीजी: डीडी
4.	श्री रजत निगम	एसई, सीपीसी, नई दिल्ली
5.	श्री एम. जगन नाथन	कैमरामैन, डीडीके, कोलकाता
6.	श्री नरेश चावला	एडीटर, डीडीके, दिल्ली
7.	श्री जोसलिन मार्टिन	कमेंटेटर
8.	श्री पी.एस. परमेश्वरन	पीईएक्स, डीडीके, चेन्नई
9.	श्री एस.एस. भाकू	पीईएक्स, डीडीके, दिल्ली
10.	श्री जी. वेंकटेशवरन	एई, सीपीसी, नई दिल्ली
11.	श्री जेएल नरसिंहन	एई, डीडीके, चेन्नई

1	2	3
12.	श्री बी.के. श्रीकांत	कैमरामैन, डीडीके, पटना
13.	श्री बीजू एंड्रूज	सीनियर, ईए, डीडीके, मुम्बई
14.	श्री पी. सेल्वेम	एडीटर, डीडीके, पांडिचेरी
15.	श्री राजेश तिवारी	हिन्दी कमेंटेटर

जांच के लिए प्रौद्योगिकी

2728. श्री सुबोध मोहिते: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खोजी प्रयोजनों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए व्यक्ति की निजी गोपनीयता की सुरक्षा करने के लिए कतिपय दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व्यक्ति की निजी गोपनीयता की सुरक्षा करने के लिए कार्यक्रम संहिता में संशोधन करने की फिलहाल आवश्यकता महसूस नहीं की गई है क्योंकि अतिक्रमण और मानहानि से संबंधित अन्य कानून इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हैं।

नकली उत्पादों की बिक्री

2729. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारी मात्रा में नकली कम्प्यूटर उपकरण, आटोमोबाइल पार्ट्स तथा उपकरण और तेजी से बढ़ रहे उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नकली चीजों के चलते सरकार को हुए राजस्व के घाटे का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या अपराधियों को पकड़ने के लिए अधिक सख्त कानून तथा प्रतिबंध अधिनियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस अवधि में इस संकट को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं। सरकार को भारी मात्रा में नकली कम्प्यूटर उपकरणों, आटोमोबाइल पार्टस तथा कलपुर्जों और तेजी से बढ़ रहे उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के बारे में किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पादों पर इस विभाग द्वारा गठित कार्यदल ने अनेक सिफारिशें की हैं जिन्हें उपयुक्त कार्यवाही के लिए संबंधित सरकारी विभागों को परिचालित किया गया है।

(छ) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999; कापीराइट अधिनियम, 1957; पेटेन्ट अधिनियम, 1970; सीमा शुल्क अधिनियम, 1962;

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992; औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940; खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954; भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; भारतीय दंड संहिता, 1860 आदि जैसे कानूनों में ऐसे उपबंध हैं जिन्हें नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पादों के बावत अभियोजन/प्रतितोष के लिए लागू किया जा सकता है।

जलचर पालन का विकास

2730. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जलचर पालन के विकास हेतु राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्यवार कितने मछुआरों को लाभ हुआ; और

(ग) देश में जलचर पालन के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई सहायता एवं लाभान्वित मत्स्य कृषकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) भारत सरकार अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जलकृषि के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। मैक्रो-प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत इस योजना के 6 घटक हैं नामत:, ताजा जल जलकृषि का विकास, खारा जल जलकृषि का विकास, शीतल जल मात्स्यिकी का विकास, जलभराव क्षेत्रों का विकास, जलकृषि के लिए लवणीय/क्षारीय भूमि की उत्पादक उपयोगिता और अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (जलाशय/नदियां इत्यादि)। उक्त योजना को राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत, भारत सरकार एवं राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विकासात्मक क्रियाकलापों के खर्च को 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। तालाबों, टैंकों और जलाशयों में जलकृषि का और आगे विकास करना हाल ही में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वितों की संख्या और जलकृषि के विकास के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)		2003-06 के दौरान लाभान्वित मत्स्य कृषकों की संख्या
		2003-06	2006-07	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	60.00		120
2.	अरुणाचल प्रदेश	76.19		1074
3.	असम	86.00		3908
4.	बिहार	25.00		6841
5.	छत्तीसगढ़	256.28	80	8274
6.	गोवा	20.27		00
7.	गुजरात	87.34		2481
8.	हरियाणा	365.73		4369
9.	हिमाचल प्रदेश	159.62		505
10.	जम्मू-कश्मीर	414.13		697
11.	झारखंड	171.05		18593
12.	कर्नाटक	152.78		737
13.	केरल	319.08		4259
14.	मध्य प्रदेश	450.00	100	10716
15.	महाराष्ट्र	00.00		882
16.	मणिपुर	83.85		20515
17.	मेघालय	50.00		00
18.	मिजोरम	176.50		2726
19.	नागालैंड	369.31		2862
20.	उड़ीसा	357.97		5807
21.	पांडिचेरी	00.00		1056
22.	पंजाब	00.00		111

1	2	3	4	5
23.	राजस्थान	10.50	40	5400
24.	सिक्किम	9.00		163
25.	तमिलनाडु	20.00		235
26.	त्रिपुरा	126.44		3705
27.	उत्तर प्रदेश	870.995		10101
28.	उत्तरांचल	108.275		895
29.	पश्चिम बंगाल	856.45		13975
	कुल	5682.76	220	1,31,007

[हिन्दी]

स्टाफ की कमी

2731. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन पर कई कार्यक्रमों का स्टाफ की कमी के कारण प्रसारण नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बाढ़ नियंत्रण

2732. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से 1997 से 2003 तक जन भागीदारी योजना के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ के पानी के पथ परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वर्ल्ड वाटर फोरम

2733. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व जल दिवस पर मैक्सिको में हुई चतुर्थ वर्ल्ड वाटर फोरम की बैठक के दौरान भारत में जल की पर्याप्तता की समीक्षा और मूल्यांकन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार स्वतंत्र अध्ययन वर्ल्ड वाटर फोरम के रहस्योद्घाटनों के साथ कहां तक सहमत है; और

(ग) जल तक पहुंच बनाने के लिए क्या कार्य योजना, यदि कोई हो तो, बनाई गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) मैक्सिको में मार्च, 2006 में आयोजित चौथे विश्व जल मंच (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के दौरान भारत में जल की पर्याप्तता तथा अपर्याप्तता के लिए कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की गई। तथापि, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के दौरान यूनेस्को द्वारा 22 मार्च, 2006 को जारी की गई दूसरी विश्व जल विकास रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों के बारे में एक समग्र परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत के लिए जल उपलब्धता आदि से संबंधित जानकारी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध जल 1897 बिलियन घन मीटर प्रति वर्ष है। केन्द्रीय जल आयोग ने भारत में जल की उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर प्रति वर्ष के रूप में आकलित की है। इसलिए कोई बड़ा अंतर नहीं है।

(ग) उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के विकास और प्रबंध के लिए अनेक उपाय किये जाते हैं जिनमें भंडारणों का निर्माण, जल निकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबंध परिपाटियां अपनाना आदि शामिल हैं। राज्य सरकारें जल संसाधनों के उपयोग के लिए सतही तथा भू-जल दोनों स्तरों पर वृहद, मध्यम और लघु योजनाओं की योजना सोचती और कार्यान्वित करती है।

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंध (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम; सीधे कृषि से संबंधित जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना आदि के माध्यम से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है।

जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है जिसमें अधिशेष बेसिनों से कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अंतः बेसिन अंतरण की व्यवस्था की गई है।

तटीय विनियमन जोन

2734. श्री मोहन रावले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीयक विनियमन जोन के संबंध में निर्णय के लिए मुद्दे लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तटीय जोन प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) के अंतर्गत नवी मुम्बई को आवश्यक मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सुकथनकर समिति की सिफारिशों पर निर्णय ले लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्राधिकृत एजेंसी से 1:4000 के स्केल पर ग्रेटर मुम्बई के लिए सीजेडएमपी तैयार करने हेतु आवश्यक अनुमति दे दी गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय ने महाराष्ट्र की तटीय जोन प्रबंधन योजना को कुछ शर्तों और संशोधनों के साथ 27 सितम्बर, 1996 को अनुमोदित कर दिया था। जिसमें नवीं मुम्बई के क्षेत्र भी शामिल हैं। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से 25 नवम्बर, 1998 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें नवी मुम्बई की संशोधित तटीय जोन प्रबंधन योजना का तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत अनुमोदन मांगा गया था। प्रस्ताव में नवी मुम्बई के कतिपय क्षेत्रों को सी आर जेड-III से सी आर जेड-II में पुनर्वर्गीकरण के लिए कहा गया है। मुम्बई शहरी क्षेत्र में तटीय जोन प्रबंधन से संबंधित मामले की जांच के लिए सुकथांकर समिति गठित की गई थी। समिति ने नवी मुम्बई की संशोधित तटीय जोन प्रबंधन योजना की भी जांच की थी।

(घ) और (ङ) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया कि नवी मुम्बई की संशोधित तटीय जोन प्रबंधन योजना, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के अनुरूप नहीं है और इस मामले में अधिसूचना में संशोधन की सिफारिश की है। सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था।

(च) और (छ) केन्द्र सरकार ने उच्च ज्वारभाटा रेखा के सीमांकन के लिए 6 मई, 1999 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिसमें तटीय राज्यों को तटीय जोन प्रबंधन योजना 1:25000 स्केल में और स्थानीय स्तर पर योजना को निकटतम स्केल के 1:3960 में तैयार करने का परामर्श दिया गया है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

जट्रोफा के बीज

2735. श्री एल. राजगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में किसानों का जट्रोफा के बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में जट्रोफा की खेती के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी इस प्रयोजन हेतु कोई सहायता प्रदान कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (नावोड) बोर्ड ने आंध्र प्रदेश सहित बहुत से राज्यों में 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में जटरोफा व करंज का आदर्श रोपण किया है, जिसके गुणवत्ताप्रद बीज आगे बहुलीकरण के लिए

4-5 वर्षों के पश्चात ही उपलब्ध हो सकेंगे। किसानों को जटरोफा व करंज के गुणवत्ताप्रद पौधों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2005-06 के दौरान जटरोफा व करंज पौध लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सहित 9 राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी है।

(ख) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (नावोड) बोर्ड ने "समेकित वृक्ष मूल तिलहन विकास" स्कीम के तहत 2004 से 2006 तक के दौरान देश में जटरोफा सहित वृक्ष मूल के तिलहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य विभागों को 22.81 करोड़ रुपये की सहायता दी है। इसमें आंध्र प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सेमी-एरिड ट्रापिक्स अनुसंधान संस्थान को 75.00 लाख रुपए की सहायता शामिल है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जटरोफा की खेती को वित्तपोषित करने के लिए सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है। इसके अलावा, नाबार्ड ने वित्तीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश देने के लिए तीन विभिन्न प्रकार की रोपण सामग्री के साथ जटरोफा के संबंध में आदर्श लाभप्रद परियोजना का निरूपण और परिचालन किया है। नाबार्ड जैव डीजल उद्देश्यों के लिए जटरोफा की खेती से संबंधित क्रियाकलापों वाली परियोजनाओं को भी बढ़ावा दे रहा है।

नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 15 जिलों में फैली हुई 15,000 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमियों में जटरोफा व करंज के रोपण के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष से 30.52 करोड़ रुपये के ऋण की राशि मंजूर की है।

घरेलू बाल श्रमिक

2736. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू बाल श्रमिकों को 'बाल श्रम अधिनियम, 1986' में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब इसमें घरेलू बाल श्रमिकों को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक संशोधित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने बाल श्रम के बदतरीन रूपों (सं. 182) के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचना जारी कर 10 अक्तूबर, 2006 से घरेलू मजदूरों या नौकरों के रूप में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया है।

(घ) और (ङ) भारत में बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत स्वरूप संबंधी आईएलओ अभिसमय संख्या 182 को अंगीकार करते समय इसका समर्थन किया था क्योंकि हम अभिसमय के सिद्धांतों से सहमत हैं। तथापि, अभिसमय के एक महत्वपूर्ण खंड में बच्चे को 18 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि अधिकतर भारतीय कानूनों में, जिनमें बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 भी शामिल है, बाल श्रमिक को 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। अभिसमय का समर्थन करने पर सरकार को अनुसमर्थन के 12 माह के भीतर इन सभी अधिनियमों को संशोधित करना होगा और इसी कारण उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया गया है। इस मामले पर आम सहमति बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयीन तथा त्रिपक्षीय परामर्श किये जा रहे हैं।

जल में से क्लोरीन तथा आर्सेनिक को दूर करना

2737. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने जल में से क्लोरीन तथा आर्सेनिक की विषाक्तता को दूर करने के लिए विशेष धनराशि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार किस प्रकार से धनराशि के उचित उपयोग की निगरानी कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) चूंकि 'जल' एक राज्य विषय है इसलिए जल में से फ्लोराइड और संखिया विष का उन्मूलन करने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों पर है। जल संसाधन मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष निधि आवंटित नहीं की हैं। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल आपूर्ति विभाग) निर्धारित मानदंडों के अनुसार पेयजल की आपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना के

माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जल की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एआरडब्ल्यूएसपी के अधीन उप-मिशन मार्गदर्शी सिद्धांत फरवरी, 2006 में संशोधित कर दिए गए हैं जिसमें एआरडब्ल्यूएसपी निधियों का 20% हिस्सा केन्द्र में रख लिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा उसकी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा मंजूर की गई बस्ती-वार परियोजनाओं की सूची सहित औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किये जाने के बाद जरूरत के आधार पर राज्यों को प्रदान किया जाता है। उन्होंने उपर्युक्त योजना के अधीन भौतिक और वित्तीय प्रगति की मानीटरी के लिए मासिक रिपोर्टें निर्धारित की हैं।

जल संचयन परियोजनाएं

2738. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए संचित तथा उपयोग किये जा रहे वर्षा जल की मात्रा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) ने राज्यों में शहरी आवासीय इकाइयों की छत पर गिरने वाले वर्षा-जल का अनिवार्य रूप से संचयन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को जारी किये गये इन निर्देशों के प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों ने वर्षा-जल संचयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) वर्षा जल का संचयन सतही भंडारणों का निर्माण करके तथा कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं द्वारा भूजल के पुनर्भरण द्वारा किया जाता है। भूजल का पुनर्भरण करने वाली वर्षा की प्रतिशतता प्रत्येक राज्य में स्थानीय जल भू-वैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती है। कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं के जरिये प्रत्येक राज्य में संचित वर्षा जल का परिमाणन नहीं किया जा सकता। विभिन्न कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं द्वारा भूजल के पुनर्भरण से भूजल भण्डार की वृद्धि होती है। भूजल की उपयोगिता का जायजा लेने के लिए प्राकृतिक दृष्टि से पुनर्भरित और कृत्रिम रूप से पुनर्भरित भूजल को अलग-अलग करना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि शहरी क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संचयन को अपनाना अनिवार्य कर दिया जाए। तदनुसार भारत सरकार के शहरी विकास और गरीबी उपशन मंत्रालय ने भवन निर्माण उपनियम 1983 संशोधित कर दिए हैं जिसके अधीन दिल्ली में 100 वर्ग मीटर तथा इसके अधिक बड़े भूखण्डों पर सभी नई इमारतों में वर्षा-जल सहित जल-अपवाह के माध्यम से वर्षा-जल संचयन का प्रावधान अनिवार्य बना दिया है। इसी प्रकार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल की राज्य सरकारों ने विशिष्ट क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है।

सीजीडब्ल्यूए ने हाल ही में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दमन तथा दीव और पांडिचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को इस आशय के निदेश जारी किये हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अति-दोहित और गंभीर क्षेत्रों में भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण अपनाने/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भवन निर्माण उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के निमित्त सभी उपाय करें। इसके अलावा सीजीडब्ल्यूए ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद के अधिसूचित क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां भू-जल स्तर भू-स्तर से 8 मीटर से नीचे है, में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, संस्थानों, होटलों, उद्योगों, फार्महाउसों आदि को वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के लिए भी निदेश जारी किये हैं।

(च) और (छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेयजल आपूर्ति विभाग निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पेयजल की आपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के जरिए राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पेयजल स्रोतों जिनमें वर्षा जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं की संधारणीयता संबंधी परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए राज्यों को प्रदान की गई एआरडब्ल्यूएसपी निधि का 5% विशेष रूप से आबंटित किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान वर्षा जल संचयन के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सीजीडब्ल्यूबी/जल संसाधन मंत्रालय में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

2739. श्री अर्जुन सेठी: क्या जल संसाधन मंत्री 24 जुलाई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा की उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या आनन्दपुर बैराज परियोजना उन परियोजनाओं में से एक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) उड़ीसा की ऐसी सिंचाई परियोजनाओं के नाम, जिन्होंने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त की है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान उड़ीसा को आज तक कोई भी केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) जारी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) एकीकृत आनन्दपुर बैराज परियोजना को एआईबीपी के तहत वर्ष 2005-06 के दौरान 1.4400 करोड़ रुपये का अनुमोदन मुहैया कराया गया है। आनन्दपुर बैराज परियोजना वर्ष 1996-97 से एआईबीपी में है लेकिन वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान इस परियोजना को कोई भी सीएलए जारी नहीं की गई है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के नाम	वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के नाम
1. ऊपरी इन्द्रावती	1. ऊपरी इन्द्रावती
2. ऊपरी कोलाब	2. सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय
	3. रेंगाली
	4. एकीकृत आनन्दपुर बैराज
	5. ऊपरी कोलाब
	6. तितलागढ़
	7. निचली इंदिरा
	8. निचली सुकतेल
	9. तेलनगिरि सिंचाई परियोजना
	10. रेत सिंचाई परियोजना
	11. 13 निर्माणाधीन सतही लघु सिंचाई स्कीमें (केबीके)*

*कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके)

एच.एफ.सी. तथा एफ.सी.आई. के कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान न किया जाना

2740. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम (एफ.सी.आई.) तथा हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड (एच.एफ.सी.) के पूर्व कर्मचारियों, जिन्होंने 30 वर्षों की सेवा की है, को अब तक उनके बकाया वी.एस.एस. मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भुगतान करने के लिए पहले ही निर्णय ले लिया है लेकिन अब तक धनराशि जारी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसी) के जिन कर्मचारियों ने 30 वर्षों की सेवा की है, वे लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुग्रह मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं। विभाग ने अतिरिक्त निधियों की मांग की है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हकदारी के अनुसार मुआवजा दे सकें।

गो वंश का विकास

2741. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गो वंश के विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप अब तक कितनी सफलता हासिल हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में बोवाईन संख्या के आनुवंशिक उन्नयन के लिए अक्टूबर, 2000 में राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के तहत मार्च, 2006 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 194.83 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	गतिविधि घटक	2003-04	2004-05	2005-06
1.	मोबाइल प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को बदलना/स्थापित करना	5457	6751	7221
2.	वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/कृत्रिम गर्भाधान सांडों की खरीद	5	15	13
3.	वीर्य बैंकों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना	31	47	56
4.	प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना	17	23	27

[हिन्दी]

जल का उपयोग

2742. श्री राकेश सिंह:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादन को किस सीमा तक क्षति पहुंची है;

(ख) कुल उपलब्ध जल में से कितने प्रतिशत जल का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया गया;

(ग) क्या कृषि के लिए जल की उपलब्धता में निरन्तर गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या न्यूनतम जल के उपयोग से अधिकतम उत्पादन पाने हेतु तकनीक की जानकारी किसानों को देने हेतु कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में कृषि उत्पादन वर्षा के सामयिक वितरण से व्यापक रूप से प्रभावित होता है। वर्ष 2003-04 के दौरान

खाद्यान्नों के 213.19 मिलियन मी. टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है जो बहुत से राज्यों (उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के भाग) में सूखे के कारण वर्ष 2004-05 में घटकर 198.36 मिलियन मी. टन हो गया है। खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन वर्ष 2004-05 के लिए 208.30 मिलियन मी. टन है। (चौथा अग्रिम अनुमान)

(ख) यह अनुमान है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल का मौजूदा उपयोग लगभग 629 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है जिसमें से लगभग 524 बीसीएम सिंचाई के लिए है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, कृषि मंत्रालय ने जल के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए स्प्रिंकलर तथा ड्रिप प्रणालियों जैसी जल की बचत करने वाली पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2006 में सूक्ष्म सिंचाई संबंधी एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत लाभानुभोगी किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की लागत के 50 प्रतिशत की सब्सिडी के लिए प्रावधान किये गये हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के सम्भलाई के संबंध में राष्ट्रीय नीति

2743. डा. के. धनराजू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों का भंडारण तथा पारगमन नुकसान न्यूनतम करने के लिए खाद्यान्नों की सम्भलाई, भंडारण तथा ढुलाई के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पारगमन/भंडारण नुकसान को न्यूनतम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोग करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्यान्नों का पारगमन/भंडारण नुकसान न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। भंडारण और मार्गस्थ हानियां न्यूनतम करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करने की दृष्टि से सरकार ने जून, 2000 में खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी।

(ख) इस नीति में खाद्यान्नों की एकीकृत बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने हेतु प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने 'बनाओ और चलाओ' आधार पर एकीकृत हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की सुविधाओं का विकास करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिभागिता के जरिए एक 'पायलट' परियोजना शुरू की है।

(ङ) खाद्यान्नों की मार्गस्थ/भंडारण हानियों को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

(1) खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की पैकिंग करने के लिए अच्छी किस्म की नई बोरियों का उपयोग किया जाता है।

(2) बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई को प्रोत्साहित किया जाता है।

(3) चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की बोरियों का इस्तेमाल करना ताकि खाद्यान्नों की बोरियों को उठाने के लिए हुकों का प्रयोग न करना पड़े।

(4) ट्रक/रेलवे वैगनों में लदान और उतरान करने के दौरान बिखरे हुए अनाज को एकत्र करने के लिए तारपोलिन/पालीथिन की चद्दरों का उपयोग किया जाता है।

(5) भंडारण हानियों को न्यूनतम करने के लिए खाद्यान्नों के भंडारण के दौरा कीट जन्तुबाधाओं को नियंत्रित करने हेतु रोग निरोधी और रोगहर उपचारों सहित वैज्ञानिक आचार पद्धति अपनाई जाती है।

(6) तोल सेतुओं के 'केलीबरेशन' का निरीक्षण और मानीटरिंग की जाती है।

(7) प्रथम आमद प्रथम निर्गम सिद्धांत को अपनाकर स्टाक जारी करने की प्राथमिकता सूची बनाई जाती है।

(8) खाद्यान्नों का संचलन ढके हुए वैगनों में किया जाता है।

(9) उत्तर भारत से अन्य जोनों में खाद्यान्नों की ढुलाई करने से उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए 20.9.2002 से (एक वर्ष के लिए) मैसर्स ओरियंटल इंश्योरेंस के साथ एक मार्गस्थ बीमा करार दिया गया है।

बाघों की गणना करने की पद्धति

2744. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाघों की संख्या रिकार्ड करने के लिए एक नई पद्धति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है और बाघों की संख्या निर्धारित करने में यह कितनी परिशुद्ध है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाघों के आकलन के लिए रेडियो कालर मार्किंग पद्धति शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) जी हां। बाघ आकलनों की संशोधित पद्धति में विभिन्न स्थानों पर स्कैट्स के डीएनए वर्गीकरण के अलावा कैमरा ट्रैप, मार्क कैपचर आंकड़ा फ्रेमवर्क पर आधारित कम्प्यूटर आधारति पहचान तकनीक द्वारा पहचान निर्धारित करने के लिए पगमार्क की डिजीटल फोटोग्राफी और अन्य डाटा के साथ संबंध जैसे कि बाघ की उपस्थिति के वास्तविक चिह्न, बेस जैसी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके विभिन्न स्तरों पर बाघ के नमूने लेना और आकलन करना शामिल है। यह पद्धति राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित है। नई पद्धति से देश में बाघों की संख्या का 95% अनुमान सही लगाया जा सकेगा। बाघों की संख्या और उनके होने के स्थान की निगरानी के लिए रेडियो टेलीमीटरी का उपयोग किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खरीद केन्द्रों को खोलना

2745. श्री ब्रजेश पाठक: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने धान खरीद केन्द्र खोले गये हैं और तत्संबंधी स्थान कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों द्वारा धनाभाव के कारण अपनी फसल को सस्ते भाव बेचने से रोकने के लिए आगामी खरीफ विपणन मौसम के दौरान देश में अतिरिक्त धान खरीद केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गए राज्यवार धान वसूली केन्द्रों को बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियां स्थानीय राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन क्षेत्रों के निकट न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की खरीदारी करने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2006-07 में पर्याप्त संख्या में वसूली केन्द्र खोलेगी।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 2003-04 से 2005-06 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गए धान वसूली केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

	राज्य	खरीफ विपणन मौसम 2003-04	खरीफ विपणन मौसम 2004-05	खरीफ विपणन मौसम 2005-06
	1	2	3	4
1.	पंजाब	292+156*	162+192*	159+174*
2.	हरियाणा	22+40*	26+38*	12+31*
3.	राजस्थान	12	12	13

	1	2	3	4
4.	दिल्ली	2	2	2
5.	आंध्र प्रदेश	194	. 194	182
6.	मध्य प्रदेश	199	226	236
7.	बिहार	98	105	119
8.	उड़ीसा	20	96	245#
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	5
10.	असम	22	23	11
11.	झारखंड	8	10	5
	जोड़	1069	1090	1193

*भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा मिलकर खोला गया।
#भारतीय खाद्य निगम द्वारा एम.सी.एम.एस.एल. के माध्यम से खोले गए 113 खरीद केन्द्र शामिल हैं।

निजी चैनलों द्वारा गलत जानकारी

2746. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने निजी चैनल हैं;

(ख) क्या गलत जानकारी/समाचार देने की स्थिति में इन चैनलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस संबंध में कितने चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) दिनांक 30.6.2006 तक मंत्रालय ने अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत से अपलिंक करने के लिए 185 निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 11.5.2006 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282 (ई) के अनुसार भारत में डाउनलिंक करने के लिए 65 चैनलों को अस्थायी रूप से अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता एवं इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर 83 निजी टीवी चैनलों के खिलाफ 195 कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वे चैनल जिन्हें चेतावनी दी गई और सतर्क रहने के लिए कहा गया	वे चैनल जिन्हें केवल चेतावनी दी गई	वे चैनल जिनका प्रसारण बंद कर दिया गया	वे चैनल जिन्हें [illegible] किया गया	कुल
56	23	1	2	82

[अनुवाद]

भू-जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आयोग

2747. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में भू-जल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि मजदूरों को अन्य कार्यों में लगाना

2748. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत कुल श्रम बल की तुलना में कृषि क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों का अनुपात कितना है;

(ख) क्या बेरोजगार और योग्यता के अनुरुप रोजगार प्राप्त श्रमबल को विशुद्ध कृषि क्षेत्र से हटाकर अन्य क्षेत्रों में लगाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) रोजगार और बेरोजगारी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 1999-2000 में किया गया था जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 1999-2000 के दौरान देश के कुल श्रम बल की तुलना में कृषि क्षेत्र में श्रम बल 60 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) 10वीं योजना के दौरान सरकार की रणनीति 8 प्रतिशत के आसपास की वार्षिक विकास दर रखना था। इसे तुलनात्मक रूप से कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में अधिक आर्थिक विकास कर हासिल किया जाना था। इससे अतिरिक्त कृषि श्रम बल का गैर-कृषि क्षेत्रों में आमेलन हो सकता है।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 में संशोधन

2749. डा. के.एस. मनोज: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को टी.वी. चैनलों और दृश्य समाचार एजेंसियों में कार्यरत पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के संघ से उन्हें श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1995 के दायरे में लाने हेतु अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई प्रत्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) दूरदर्शन चैनलों में कार्यरत पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के दायरे में लाने का अनुरोध करते हुए श्रमजीवी पत्रकारों के केरल संघ के साथ-साथ श्रमजीवी पत्रकारों के केरल संघ एवं केरल समाचार-पत्र कर्मचारी परिसंघ की ओर से संयुक्त रूप से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) फिलहाल इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम के कामगारों को श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में शामिल करने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

निगरानी स्टेशनों का निजीकरण

2750. श्री रशीद मसूद: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हर समय वायु प्रदूषण का आकलन करने में लगे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निगरानी स्टेशनों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे अन्य स्टेशनों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) वर्तमान परिस्थितियों में तकनीकी और कुशल मानवशक्ति की अनुपलब्धता के कारण वायु गुणवत्ता मानीटरी नेटवर्क के प्रबंधन में बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, समय की खपत वाली खरीद प्रक्रियाओं, विनिर्माताओं आदि से अतिरिक्त कलपुर्जा की खरीद और प्रणाली की बेहतर कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने हेतु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने "आपरेशन कान्ट्रेक्ट" और "बिल्ड आन एंड आपरेट कान्ट्रेक्ट" (बीओओ) जैसे माडलों को अंगीकार करके सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से सतत उत्सर्जन वायु गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशन (सीएक्यूएमएस) के प्रचालन प्रस्तावित किये हैं।

(ग) और (घ) प्रारंभ में दोनों प्रकार के माडलों की उस प्रत्येक अभिज्ञात शहर में निष्पादित किये जाने की परिकल्पना है जिसके पास तीन सीएक्यूएम स्टेशनों के शीर्ष नेटवर्क हों। आपरेशन कान्ट्रेक्ट माडल को दिल्ली, लखनऊ बंगलौर और चेन्नई में और बीओओ माडल अन्य चार शहरों में निष्पादित किये जाने का विचार है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में कुक्कुट फार्मों के लिए धनराशि

2751. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में कुक्कुट फार्मों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना सहायता के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सहायता कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने चालू वित्त वर्ष में केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता'' के तहत गंगावथी तथा हैस्सरघट्टा स्थित फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। दोनों प्रस्तावों को स्वीकृत कर लिया गया है।

मृदा परीक्षण पार्क

2752. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश में मृदा परीक्षण पार्कों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मृदा परीक्षण पार्कों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए समूचे देश में मृदा परीक्षण पार्कों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंध को बढ़ावा दे रही है जिसमें जैविक खादों, फार्म यार्ड खाद, हरी खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, जैव-उर्वरकों आदि के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरक का मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित और युक्तिसंगत उपयोग शामिल है।

इस समय वर्ष 2004-05 के दौरान देश में 551 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जिनमें 426 अचल तथा 125 चल प्रयोगशालाएं शामिल हैं जिनकी वार्षिक विश्लेषण क्षमता 6.75 मिलियन मृदा नमूनों की है। सरकार वृहत प्रबंध स्कीम के तहत राज्य सरकारों की वार्षिक कार्य योजनाओं के जरिये मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण

2753. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने गन्ने के आगामी मौसम के लिए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के संबंध में रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार आगामी मौसम के दौरान गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के लिए उक्त सिफारिशों पर विचार कर रही है; और

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सिफारिश की है कि चीनी मौसम 2006-07 के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 9 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर के लिए इस शर्त के अध्यधीन 80.25 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए कि इस स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट वृद्धि के लिए 0.90 रुपये का प्रीमियम देय होगा।

(ग) और (घ) गन्ने के उपर्युक्त संस्तुत सांविधिक न्यूनतम मूल्य को मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा अनुमोदत कर दिया गया है और 14.8.2006 को इसकी घोषणा कर दी गई है।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाएं

2754. **श्री जुएल ओराम:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) में बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दुर्घटना में हताहत श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीड़ितों के निकट परिजनों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गयी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (10 अगस्त, 2006 तक) के दौरान हुई प्रतिवेदन और घातक दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रतिवेदन घायल मामलों की संख्या		प्रतिवेदय दुर्घटनाओं में से घातक दुर्घटनाओं (मृत्यु) की संख्या	
	नियमित कर्मचारी	ठेका कर्मचारी	नियमित कर्मचारी	ठेका कर्मचारी
2003	30	2	3	1
2004	35	2	2	1
2005	37	1	2	1
2006 (10 अगस्त, 2006 तक)	20	3	2	शून्य

दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्नानुसार है:

* रेल/सड़क आवाजाही
* ऊंचाई से गिरना
* वस्तु अथवा मशीनों द्वारा हिट/दबाव/पकड़ में आना
* जलना एवं विस्फोट
* गैस से जहर फैलना
* दम घुटना
* इलैक्ट्रीक्यूशन

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित कर्मचारियों को घातक दुर्घटनाओं के मामले में दिये गये आर्थिक मुआवजे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	दुर्घटना की तारीख	नाम	मुआवजे की राशि (रुपए)
1.	4.3.2003	जी. सोरेन	407700
2.	19.5.2003	एस.पी. स्वेन	379120
3.	20.6.2003	जी. पाणीग्रही	423580
4.	4.10.2004	सुक्रूतांती	278260
5.	13.10.2004	इंद्रजीत पाल	242100
6.	16.5.2005	पी.के. पाढ़ी	379120
7.	6.7.2005	थोमस बर्ला	326140
8.	25.7.2006	जी.सी. पांडा	प्रक्रियाधीन
9.	25.7.2006	एस.के. मिश्रा	प्रक्रियाधीन

ठेका श्रमिकों के मामले में मुआवजा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) योजना के अंतर्गत शामिल है और इसका भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम द्वारा किया जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की गुणवत्ता

2755. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्यों को आपूर्ति किये गये खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को आपूर्ति किये जा रहे खाद्यान्नों की खराब गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के लिए आपूर्ति किये गये चावल में से लिये गये एक नमूने में जन्तुबाधानाशी अवशिष्ट (बेन्जिन हेक्सा क्लोराइड) पाया गया था परन्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सूचित किया गया कि वह खाद्यान्नों के भंडारण के लिए इस जन्तुबाधानाशी का प्रयोग नहीं करता है।

(घ) गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकारों के साथ करीबी तालमेल रखने के लिए प्रत्येक राज्य हेतु एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक जारी करने के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से खाद्यान्नों के नमूने लिये जाते हैं और मुहरबंद किये जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	178278.25	213410.53	114099.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	5448.18	3559.68	4540.09
3.	असम	96315.78	101627.49	92125.70
4.	बिहार	245299.91	195835.20	218070.20
5.	छत्तीसगढ़	56571.64	56571.64	53019.31
6.	गोवा	1253.65	1232.80	1411.73
7.	गुजरात	60089.91	60353.38	67891.45
8.	हरियाणा	45871.00	46075.44	28672.99

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	18445.41	17527.02	11447.25
10.	जम्मू-कश्मीर	22163.31	24936.45	18757.93
11.	झारखंड	51796.21	83387.13	83103.07
12.	कर्नाटक	145853.18	117558.08	112863.57
13.	केरल	43330.20	42327.08	28223.60
14.	मध्य प्रदेश	165834.55	159974.50	191080.71
15.	महाराष्ट्र	223586.84	222303.33	207809.77
16.	मणिपुर	8886.33	9170.85	6539.33
17.	मेघालय	10279.54	10051.46	10038.92
18.	मिजोरम	1880.84	1826.32	1837.86
19.	नागालैंड	5207.94	3471.96	3762.74
20.	उड़ीसा	123424.87	135293.02	104110.32
21.	पंजाब	45490.34	43222.38	28053.43
22.	राजस्थान	168919.37	168568.22	196108.30
23.	सिक्किम	1536.56	1672.04	2126.59
24.	तमिलनाडु	110598.90	86118.64	76586.73
25.	त्रिपुरा	9077.08	9160.40	9882.13
26.	उत्तरांचल	15743.86	16224.08	14180.85
27.	उत्तर प्रदेश	491246.76	509907.48	335973.30
28.	पश्चिम बंगाल	305987.74	302571.85	205424.69
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	703.58	774.09	668.25
30.	चंडीगढ़	977.96	974.42	1007.96
31.	दादरा व नगर हवेली	678.04	603.52	610.20
32.	दमन और दीव	303.26	303.74	302.94
33.	दिल्ली	21739.06	21564.82	20165.55
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1246.98	1064.42	879.54
	जोड़	2684067.03	2669223.46	2251376.11

टिप्पणी: वर्ष 2006-07 के लिए खाद्यान्नों का आवंटन तदर्थ आधार पर किया गया है जो संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वर्ष 2005-06 के लिए किये गये आवंटन के बराबर है।

चीनी मिलों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

2756. श्री हितेन बर्मन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा सभी चीनी मिलों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना अनिवार्य बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक जिन चीनी मिलों ने उक्त उपकरण नहीं लगाया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी मिलों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न पर्यावरणीय पैरामीटरों के लिए निर्धारित अधिसूचित मानकों को पूरा करने की दृष्टि से चालू चीनी मिलों को आवश्यक प्रदूषण उपकरण लगाना और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित हैं।

(ग) और (घ) कुल 49 चीनी मिलें (कर्नाटक में 3, तमिलनाडु में 10, उत्तरांचल में 5, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक पंजाब में 4, महाराष्ट्र में 15, हरियाणा में 8, और उत्तर प्रदेश में 2) इस समय निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानदंडों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन हेतु धनराशि

2757. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों हेतु कमीशंड रायल्टी तथा स्वनिर्मित कार्यक्रमों हेतु निर्धारित धनराशि कितनी है; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रों को यह धनराशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभी तक निर्मुक्त राशि को विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में पहले ही वितरित कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों को आवंटित निधियां

(हजार रु. में)

केन्द्र	कमिशनिंग	पीपीएसएस*	पीपीएसएस (ओपीए)**	रायल्टी	कुल
1	2	3	4	5	6
अगरतला	14500	3000	800	0	18300
एजवाल	13000	3000	800	0	16800
डिब्रूगढ़	12400	2300	500	50	15250
गुवाहाटी	75000	3000	800	50	78850
इम्फाल	13000	3200	800	0	170000
ईटानगर	12200	3200	800	0	162000
कोहिमा	10100	2300	500	0	12900
शिलांग	16100	3000	800	0	199000

1	2	3	4	5	6
सिलचर	11500	2500	600	0	14600
तुरा	13300	2500	600	0	16400
गंगटोक	0	700	300	0	1000
पीपीसी, गुवाहाटी	156000	2500	500	0	159000
योग	347100	31200	7800	100	386200

*पीपीएसएस-व्यावसायिक एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान

**ओपीए-बाह्य निर्माण कार्यकलाप

विदेशी चैनलों के प्रसारण की अनुमति

2758. श्री एस.के. खारवेंथनः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केबल आपरेटरों को देश में सभी विदेशी चैनलों के प्रसारण की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने चैनलों ने भारत में अपलिंकिंग की अनुमति प्राप्त की है;

(घ) क्या उन चैनलों को कोई रियायत दी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) सरकार ने भारत में विदेशी टी.वी. चैनलों की डाउनलिंकिंग को विनियमित करने के लिए दिनांक 11.11.2005 को टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किये थे। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी था कि कोई भी केबल आपरेटर या डी.टी.एच. सेवा प्रदाता, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 180 दिन समाप्त होने के पश्चात् अपने केबल/डी.टी.एच. नेटवर्क में किसी ऐसे टेलीविजन चैनल को प्रसारित या शामिल नहीं करेगा जिसका इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंजीयन न हुआ हो। तदनंतर, दिनांक 11.5.2006 को राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 282 (ई) को जारी की गयी जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी केबल आपरेटर अपनी केबल सेवा में ऐसे किसी टेलीविजन प्रसारण या चैनल को ऐसी अधिसूचना के लागू होने की तारीख से छः माह की अवधि के लिए या ऐसे पंजीयन को मंजूरी देने या उसको अस्वीकृत करने तक, जो भी पहले हो, प्रसारित या शामिल करना जारी रख सकता है जिसने इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख को या उससे पहले केन्द्र सरकार के पास पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया हो।

(ख) इस अधिसूचना के अनुसार, विदेशों से अपलिंक किये जा रहे 65 टी.वी. चैनलों को भारत में अपलिंक करने की अस्थायी रूप से अनुमति दे दी गयी है। ऐसे टी.वी. चैनलों के नाम और ब्यौरे, पूर्वोल्लिखित राजपत्र अधिसूचना और डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) दिनांक 30.6.2006 तक मंत्रालय ने अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार 185 निजी उपग्रह टी.वी. चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दे दी है।

(घ) मौजूदा डाउनलिंकिंग या अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किसी भी रियायत/छूट या विचलन का कोई प्रावधान नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पाम आयल की खरीद

2759. श्री जी. करुणाकर रेड्डीः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने कर्नाटक से पाम आयल खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त खरीद के लिए बकाया पूरी राशि अब तक जारी नहीं की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अधिशेष राशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कावेरी अधिकरण की रिपोर्ट

2760. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी अधिकरण ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिनांक 27 जुलाई, 2006 के सीडब्ल्यूडीटी के आदेश के अनुसार अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) की रिपोर्ट और इसके निर्णय को सुरक्षित रखा गया है।

आंध्र प्रदेश में धान व मक्के की प्रचुर मात्रा में फसल

2761. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने धान व मक्के की प्रचुर मात्रा में फसल के मद्देनजर केन्द्र सरकार से इसकी कतिपय मात्रा के निपटान हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने धान/मोटे अनाज आदि के नए आवकों के लिए गोदाम खाली कराने हेतु मक्का के स्टॉक का शीघ्र निपटान करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया है। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार से धान के निपटान के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा मूल्य समर्थन प्रचालन के तहत कुल 5.87 लाख मी. टन मक्का की खरीद की गई। आंध्र प्रदेश में मोटे अनाजों की कुल अधिप्राप्त मात्रा में से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2005 से नवंबर, 2006 की अवधि के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों को 75,452 मि. टन मक्का की मात्रा आबंटित की गई है। भारतीय खाद्य निगम को भी आंध्र प्रदेश में निविदा के जरिये अधिप्राप्त 2.5 लाख मी. टन मक्का का निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कुक्कुट उद्योगों में उपयोग हेतु राज्य पशुपालन विभाग को 50,000 मी. टन मक्का की निर्मुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। जहां तक मक्का की शेष मात्रा का संबंध है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसे राजसहायता प्राप्त दर पर कुक्कुट आहार के लिए निर्मुक्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

[हिन्दी]

भोपाल स्थित आपदा प्रबंधन संस्थान का विकास

2762. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2001 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से भोपाल स्थित आपदा प्रबंधन संस्थान को औद्योगिक आपदा प्रबंधन और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित करने के संबंध में 35.57 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) इसे लम्बित रखने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से आपदा प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), भोपाल को सुदृढ़ बनाने संबंधी प्रस्ताव रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में 11.6.2001 को प्राप्त हुआ था। विभाग में प्रस्ताव की जांच की गई थी और इसे भोपाल गैस रिसाव हादसे से संबंधित मामलों के लिए गठित मंत्रियों के समूह की बैठक के लिए कार्यसूची मद के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था। मंत्रियों के समूह की 7 जून 2002 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि चूंकि सूखे को छोड़कर आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामले गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत लाए गए हैं और प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन संबंधी एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है, अतः आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल के विकास से संबंधित मामला गृह मंत्रालय को संदर्भित किया जा सकता है। तदनुसार, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को मामला, आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित करने की सलाह दी गई।

[अनुवाद]

जल संसाधन परियोजनाएं

2763. श्री प्रहलाद जोशी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को राज्यों द्वारा प्रस्तुत मुख्य रूप से पेयजल संबंधी जल संसाधन परियोजनाओं को अनुमोदन देने में विलम्ब न करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के ऐसे निदेशों को ध्यान में रखते हुए पिछले दो वर्षों से उसके समक्ष लम्बित परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) इस संबंध में जल संसाधन मंत्रालय को उच्चतम न्यायालय के विशेष निदेश नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु धनराशि

2764. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु धनराशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा मधुमक्खी-पालन के संवर्धन के लिए निधियों का राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान मधुमक्खी पालन के संवर्धन के लिए निधियों का राज्यवार आबंटन

क्र.सं.	राज्य	निधि का आबंटन (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.00
3.	असम	7.44
4.	बिहार	32.00
5.	गोवा	0.00
6.	छत्तीसगढ़	-
7.	दिल्ली	2.40
8.	गुजरात	8.00

1	2	3
9.	हरियाणा	60.50
10.	हिमाचल प्रदेश	–
11.	झारखंड	300.00
12.	जम्मू व कश्मीर	6.40
13.	कर्नाटक	1.94
14.	केरल	120.00
15.	मध्य प्रदेश	4.00
16.	महाराष्ट्र	0.00
17.	मणिपुर	9.00
18.	मेघालय	16.80
19.	मिजोरम	16.80
20.	नागालैण्ड	11.40
21.	उड़ीसा	8.00
22.	पंजाब	–
23.	राजस्थान	34.98
24.	सिक्किम	11.80
25.	तमिलनाडु	11.20
26.	त्रिपुरा	9.00
27.	उत्तर प्रदेश	113.20
28.	उत्तरांचल	
29.	पश्चिम बंगाल	800.00
	कुल योग	1593.86

[अनुवाद]

रेनबो प्रोडक्शन द्वारा कोलकाता दूरदर्शन को भुगतान

2765. श्री सुनील खां: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता दूरदर्शन ने 30 करोड़ रुपए की बकाया राशि को जमा न किए जाने के संबंध में रेनबो प्रोडक्शन के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता ने मार्च 2006 के ब्याज सहित 23,12,95,750 रुपए की वसूली के लिए मै. रेनबो प्रोडक्शन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था।

(ग) और (घ) चूंकि यह मामला न्यायाधीन है इसलिए उक्त राशि और उस पर ब्याज की वसूली तथा जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे के परिणाम पर निर्भर करेगी।

अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 में संशोधन

2766. श्री एल. राजगोपाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फारवार्ड मार्किट कमीशन के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिक्योरिटी अपीलैट ट्रिब्यूनल की तर्ज पर फारवार्ड मार्किट अपीलैट ट्रिब्यूनल के गठन का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 को दिनांक 21.3.2006 को लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया है। विधेयक में प्रस्तावित संशोधन मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं: (1) वायदा बाजार आयोग के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 9 करना जिनमें 3 पूर्णकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष होगा (2) वायदा बाजार आयोग की शक्तियों में वृद्धि करना (3) वायदा बाजार आयोग को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति प्रदान करना (4) वायदा बाजार आयोग सामान्य निधि का सृजन करना जिसमें सभी प्राप्तियों

को जमा किया जाएगा और (5) मध्यस्थों का वायदा बाजार आयोग में पंजीकरण करना।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के प्रयोजन हेतु प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है।

(च) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 को खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

उपभोक्ता सुरक्षा में अनुसंधान हेतु आबंटन

2767. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता सुरक्षा मुद्दों पर अनुसंधान हेतु कोई आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वायदा कारोबार में भारतीय खाद्य निगम की भागीदारी

2768. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए वायदा कारोबार में भारतीय खाद्य निगम की भागीदारी से संबंधित कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसदीय स्थायी समिति ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) मूल्यों को स्थिर रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम के नेशनल कामॉडिटी एक्सचेंजों में फ्यूचर व्यापार में भाग लेने के बारे में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सभा में दिनांक 20.12.2005 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2005 रखा गया है। बाद में इसे खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने अपनी 11वीं रिपोर्ट में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2005 के उद्देश्यों को सामान्यत: स्वीकार कर लिया है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि संशोधित अधिनियम के अधीन कवर की जाने वाली प्रस्तावित 7 वस्तुओं की सूची की पुन: जांच की जाए और सूची में केवल उन्हीं वस्तुओं को रखा जाए जिनमें जमाखोरी, कालाबाजारी और कमी होती है जिसे सामान्य व्यापार माध्यमों के जरिए हल नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गेहूं के आयात में रिश्वत

2769. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री अवतार सिंह भडाना:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998 में आस्टेलियाई गेहूं बोर्ड (ए.डब्ल्यू.बी.) से भारी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा उक्त आयात की मात्रा और उसका मूल्य कितना था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त सौदे में अनियमितताओं तथा कमीशन के भुगतान की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(च) क्या इस कथित रिश्वत के बारे में हाल ही में आस्टेलियाई पुलिस की कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त मामले की और जांच कराने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 26.2.1998 को आस्ट्रेलिया से पोत पर्यन्त निशुल्क (एफ.ओ.बी.) आधार पर 142.50 अमरीकी डॉलर प्रति टन की दर पर 150.00 लाख टन गेहूं आयात करने का ठेका किया गया था। इस के प्रति वर्ष 1998-99 के दौरान आस्ट्रेलिया से 14.15 लाख टन गेहूं प्राप्त हुआ था।

सरकार ने मूल्यों को नियंत्रणाधीन रखने के लिए देश में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने हेतु इसका आयात करने का निर्णय किया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन आरोपों पर एक प्राथमिक जांच दर्ज की थी कि भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने 'आस्टेलियन व्हीट बोर्ड' से 2 मिलियन टन गेहूं की खरीदारी में भूल-चूक (ओमिशन एंड कमीशन) की थी। चूंकि आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड के अधिकारियों ने इस संबंध में सूचना देने से मना कर दिया था इसलिए यह जांच बहुत आगे नहीं बढ़ पाई थी। प्राथमिक जांच को एक नियमित आपराधिक मामले में बदल दिया गया था। आस्टेलिया सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका पत्र भेजा गया था कि क्या भारत में किसी सरकारी सेवक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार का कमीशन या अन्य अवैध पारितोषण का भुगतान किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद भी आस्ट्रेलिया के प्राधिकारियों ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी थी। अतः निष्कर्षी साक्ष्यों की कमी के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने एक 'क्लोजर रिपोर्ट' दायर की थी जिसे 17.1.04 को स्वीकार कर लिया गया था।

(च) और (छ) आस्ट्रेलिया और भारत में इस प्रकार की मीडिया रिपोर्टें सामने आई हैं कि 'आस्ट्रेलियान व्हीट बोर्ड' के पास अक्टूबर, 2001 में इस डील के संबंध में केमैन द्वीप समूह में बेनामी खाते में 2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करने से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य थे। यह सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दिनांक 28.2.2002 के याचिका पत्र में पहले ही मांगी जा चुकी थी लेकिन आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर कोई उत्तर नहीं दिया था।

(ज) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग को दिनांक 5.6.2006 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि यदि आस्ट्रेलिया के प्राधिकारी इतना विलंब होने पर भी सहयोग करते हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संगत दस्तावेजों की प्रामाणिक प्रतियों सहित आवश्यक साक्ष्य भेजते हैं तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस जांच को फिर से करने के बारे में तत्परता से गौर करेगी और इस मामले का युक्तियुक्त हल निकालेगी।

[अनुवाद]

आम का उत्पादन

2770. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में आम का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान आमों की अधिक पैदावार वाली नई किस्म का उपयोग करने के कारण आम की दोगुनी पैदावार हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आम की इस किस्म को पूरे देश में उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में उत्पादित आम की कुल मात्रा का कर्नाटक सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में आम के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

उत्पादन (000' एमटी में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
आंध्र प्रदेश	2962	3217	3135
उत्तर प्रदेश	4031	2100	2588
कर्नाटक	1098	1111	1106
बिहार	1256	1540	866
महाराष्ट्र	618	630	634
गुजरात	495	495	729
तमिलनाडु	757	615	539
पश्चिम बंगाल	229	406	461
उड़ीसा	403	405	416
केरल	306	384	384
अन्य	581	586	749
कुल	12733	11490	11605

स्रोतः राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 में संशोधन

2771. श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री सुग्रीव सिंहः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न टी.वी. चैनलों पर दिखाए जाने वाले अभद्र कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने के लिए केबल टेजीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों के अनुपालन को कढ़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 के उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 2 अगस्त 2006 को एक अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 459 (ई) जारी की थी जिसमें ये प्रावधान है कि नियम 6 के उपनियम (1) खंड (ण) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः

> "बशर्ते कि भारत या विदेश में निर्मित किसी फिल्म या फिल्मी गीत या फिल्म प्रोमों या फिल्म ट्रेलर या म्यूजिक वीडियो या म्यूजिक एलबम अथवा उनके प्रोमो को केबल सेवा के जरिए तब तक प्रसारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे भारत में अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त मानते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित न कर दिया गया हो।"

(ग) सभी टेलीविजन चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता तथा उनके तहत बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्रों का विकास

2772. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि के विकास हेतु प्रत्येक राज्य ने कितनी सहायता मांगी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग विभिन्न राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। उनके अनुसार डीपीएपी केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम है तथा अभिज्ञात ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जाता है और इन ब्लाकों में परियोजनाएं कुछ मानदण्डों के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। दिनांक 1.4.1999 से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तपोषण प्रतिमान 75:25 के अनुपात में है तथा यह दिनांक 1.4.1999 से स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं पर लागू होता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल हैं (1) भूमि की क्षमता, स्थान की दशाओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पनधारा आधार पर सूखा प्रवण क्षेत्रों का विकास तथा (2) फसलों, मनुष्य और पशुओं पर सूखा जैसी गंभीर जलवायुवीय स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना ताकि उनका समग्र सुधार किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है तथा राज्यों द्वारा कोई मांग प्रक्षेपित नहीं की जाती है। वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (अब तक) इस कार्यक्रम के तहत निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	के दौरान निर्मुक्त राशि (लाख रुपये में)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4937.40	4008.315	5381.843	1738.755
2.	बिहार	323.06	311.205	379.175	-
3.	छत्तीसगढ़	1329.11	1793.525	1675.184	-
4.	गुजरात	3363.14	2537.18	2911.103	738.68
5.	हिमाचल प्रदेश	529.66	424.975	659.665	-
6.	जम्मू व कश्मीर	422.19	222.75	259.875	-
7.	झारखंड	1212.34	1065.02	1555.76	-
8.	कर्नाटक	3215.77	2503.363	2736.05	709.60
9.	मध्य प्रदेश	5021.66	5287.907	5327.917	811.025
10.	महाराष्ट्र	1484.30	3486.26	4449.39	214.87
11.	उड़ीसा	1045.92	1141.62	2090.76	182.825

1	2	3	4	5	6
12.	राजस्थान	1979.36	1573.775	1712.385	730.59
13.	तमिलनाडु	2401.60	2816.935	1659.958	995.535
14.	उत्तरांचल	473.36	1126.485	1467.42	-
15.	उत्तर प्रदेश	1498.13	1456.685	2643.835	169.33
16.	पश्चिम बंगाल	243.00	243.00	387.68	-

[अनुवाद]

व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति

2773. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक प्रशक्षिण के संचालन की मौजूदा प्रणाली लगभग चार दशक पुरानी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यों को केन्द्र सरकार ने क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो वास्तविक एवं वित्तीय रूप से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ङ) भारत सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमुख रूप से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) नामक दो योजनाओं पर आधारित है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) तथा केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (सीएसी) नामक दो त्रिपक्षीय निकायों द्वारा नीति, प्रशिक्षण मानक, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या इत्यादि के निर्धारण हेतु परामर्श दिया जाता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् का गठन 1956 में तथा केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् का गठन शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किया गया था। इन निकायों को प्रत्येक तीन वर्षों के उपरांत पुनर्गठित किया जाता है।

पाठ्यक्रमों की संख्या, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, संबंधन हेतु मानदण्डों इत्यादि की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। हाल ही में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बहु-प्रवेश व बहु-बहिर्गमन वाले बहुत-कौशलीय पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 7.82 लाख तथा शिक्षुता प्रशिक्षण के अंतर्गत 2.54 लाख की प्रशिक्षण क्षमता (1.1.2006 की स्थिति के अनुसार) है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु निधियां राज्य/संघ शासित सरकारों तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

जम्मू और कश्मीर में कमिशन्ड कार्यक्रमों हेतु सेवा कर की अदायगी

2774. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के लिए जम्मू और कश्मीर में कमिशन्ड कार्यक्रम बनाने वाले निर्माताओं को सेवा कर अदा नहीं करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि समय-समय पर यथा संशोधित वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में अंतर्विष्ट सेवा-कर संबंधी प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होते हैं।

आरआईएनएल का विस्तार/पण्यावर्त

2775. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा किये गये उत्पादन/पण्यावर्त की वास्तविक मात्रा और कीमत कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास आरआईएनएल की क्षमता में विस्तार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि का निवेश किया जाना प्रस्तावित है; और

(घ) विस्तार योजना कब तक आरंभ होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) के उत्पादन/कारोबार की वास्तविक मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है–

वर्ष	विक्रेय इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन)	कारोबार (करोड़ रुपए)
2003-04	3.169	6169.08
2004-05	3.173	8181.34
2005-06	3.237	8482.44
2006-07 (प्रथम तिमाही)	0.791	1774.22

(ख) से (घ) दिनांक 28 अक्टूबार, 2005 को सरकार ने, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल), विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) की 8692 करोड़ रुपए (आधार जून, 2005 के मूल्य) की संशोधित अनुमानित लागत से इसकी द्रव इस्पात क्षमता को 3 मिलियन टन वार्षिक से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए विस्तार संबंधी योजना को अनुमोदित कर दिया है। विस्तार योजना की समग्र पूंजीगत लागत के लिए धन की व्यवस्था इसके आंतरिक संसाधनों तथा आंशिक रूप से वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण लेकर किये जाने का प्रस्ताव है। पूरी विस्तार योजना के अक्टूबर, 2009 तक पूरा होने की संभावना है।

पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक सम्पदाएं

2776. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक सम्पदाओं के विकास के लिए कतिपय स्थलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कब तक कार्य आरम्भ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक सम्पदा परियोजना के प्रमुख चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में तीन स्थलों की पहचान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की है:

(1) सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल औद्योगिक विकास

(2) उद्योगों का उन्नत आर्थिक निष्पादन और निवेश सुरक्षा।

(3) सम्पदा के आस-पास सुव्यवस्थित विकास।

इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्थल पहचाने गए है:

(1) अपकमिंग विशेष आर्थिक जोन, विशाखापट्टनम।

(2) हैदराबाद के समीप नाचाराम में मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र।

(3) हैदराबाद के समीप मालापुर में मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र।

(ग) परियोजना पर पहले ही कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(1) सी.पी.सी.बी., आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ए.पी.पी.सी.बी.) आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना सहकारिता लि. (ए.पी.आई.आई.सी.) और जर्मन को-ओपरेशन फॉर डेवलपमेंट (जी टी जैड) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

(2) नाचाराम और मालापुर के मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ए.पी.आई.आई.सी. द्वारा तैयार की गई पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट।

(3) रोडमैप और रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए स्टेकहोल्डरों की कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(4) ए.पी.आई.आई.सी. द्वारा विशेष आर्थिक जोन, विशाखापट्नम के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई।

ए.ए.वाई. के अंतर्गत राज्यों का वर्गीकरण

2777. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के दायरे में आने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न वर्गों में रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेहूं घोटाला

2778. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री सूरज सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को गेहूं के आयात हेतु चुने गए आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड पर तत्कालीन इराक सरकार को भारी रिश्वत देने का आरोप लगा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनी को ठेका देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कंपनी ने इससे पहले देश से विशेषकर उत्तर प्रदेश से भारतीय मात्रा में गेहूं खरीदकर निर्यात किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) इराक में 'ऑयल फॉर फूड' कार्यक्रम में आस्ट्रेलियाई व्हीट बोर्ड पर कदाचार के आरोप लगे हैं।

(ख) मैसर्स ए.डब्ल्यू.बी, जेनेवा को ठेका प्रदान किया गया है क्योंकि यह राज्य व्यापार निगम द्वारा आमंत्रित की गई वैश्विक निविदा में सफल रहा था। मैसर्स ए.डब्ल्यू.बी, जेनेवा द्वारा ए.डब्ल्यू.बी, आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा जाएगा।

(ग) और (घ) मैसर्स ए.डब्लयू.बी, भारत ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश से 41,268 टन गेहूं घरेलू मिल मालिकों को बिक्री करने के लिए खरीदा है। उन्होंने देश से गेहूं का निर्यात नहीं किया है।

निजी चैनलों द्वारा सामाजिक संदेश

2779. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी चैनलों के लिए सामाजिक संदेशों के प्रसारण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में निजी चैनलों के लिए एक आचार संहिता बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित फिल्म-प्रमाणन संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति को प्रसारण संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए शासनादेश दिया गया है जिसमें सामाजिक संदेश प्रसारित करने का मुद्दा शामिल है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों पर राजसहायता

2780. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य राजसहायता को केवल खाद्यान्नों तक सीमित रखे जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजसहायता प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के दायरे से कौन-कौन सी मदें बाहर रखी जानी हैं एवं इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए मोटे अनाजों को शामिल करने का है; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले मोटे अनाजों की किस्म के लिए मानदण्डों को किस प्रकार निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) खाद्य राजसहायता उन खाद्यान्नों के लिए प्रदान की जाती है जो गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को जारी किए जाते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जा रही मौजूदा वस्तुओं में से किसी को भी इसके दायरे से बाहर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं/चावल के स्थान पर मोटे अनाजों की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मोटे अनाजों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मामले में आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के मामले में आर्थिक लागत के 70 प्रतिशत पर और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के मामले में 200 रुपये प्रति क्विंटल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उपलब्ध करा रही है।

वीडियो कार्यक्रमों की दरों में संशोधन

2781. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन एवं दृश्य-प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वीडियो कार्यक्रमों के निर्माण की दरों की समीक्षा का कोई प्रस्ताव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिक भाण्डागारों का विकास

2782. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में आधुनिक भाण्डागार अवसंरचना का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) नई भाण्डागार अवसंरचना का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) आधुनिक भंडारण 'इंफ्रास्ट्रक्चर' विकसित करना सरकार की एक सतत् नीति है। यह नीति उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक रूप से ऐसे विहित मानकों के अनुसार भांडागारों का निर्माण, स्थापना और रखरखाव करने के संबंध में है, जिन्हें विशिष्ट भंडारण अपेक्षाओं और स्थान विशेष की जलवायु को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस संबंध में सरकार ने जून, 2000 में खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया है, जिसके अधीन पहचान किए गए स्थानों पर एकीकृत बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की सुविधाओं का सृजन 'बनाओ और चलाओ' आधार पर प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिभागिता के जरिए किया जाना है।

(ख) 'बनाओं और चलाओ' स्कीम के अधीन जिन स्थानों को अंतिम रूप दिया गया है, वे निम्नानुसार है

मोगा और कैथल में बेस डिपु बनाए जाएंगे और इनके लिए फील्ड डिपु क्रमशः चेन्नै, कोयम्बतूर/बंगलौर और नवी मुम्बई/हुगली में होंगे। चूंकि यह परियोजना प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिभागिता के जरिए क्रियान्वित की जानी है, इसलिए राज्य-वार कोई राशि निश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) 'बनाओ और चलाओ' परियोजना को 28 जून, 2005 को सेवा करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 36 माह में क्रियान्वित किया जाना है।

लहसुन का उत्पादन और उपभोग

2783. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में लहसुन की अच्छी पैदावार होने के बावजूद इसका आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में लहसुन के उत्पादन और उपभोग के बीच कितना अंतर है; और

(घ) लहसुन की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2005-06 (अप्रैल 2005 से फरवरी 2006) के दौरान हाल में 2821 एम टी लहसुन का आयात किया है ताकि निर्यात, खपत, वृद्धि और विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान लहसुन का उत्पादन लगभग 5.62 लाख एम टी था जो पिछले वर्ष के लगभग 6.19 लाख एम टी उत्पादन की तुलना में लगभग 9-10% कम था। कम उत्पादन मुख्यतया मध्य प्रदेश, जो प्रमुख लहसुन उत्पादक राज्यों में एक है, में सूखा/कम वर्षा के कारण था। 35% लोगों द्वारा 3.0 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से लहसुन की खपत की धारणा के अनुसार तथा 15% भण्डारण हनियों, और बीज तथा निर्जलीकरण के प्रयोजनों के लिए लगभग 0.90 लाख एम टी पर विचार करते हुए उत्पादन और खपत के बीच अंतर लगभग 15,000 एम टी होने का अनुमान है।

(घ) देश में लहसुन सहित बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमें विस्तार कार्यक्रमों के जरिए लहसुन उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन के साथ किसानों को लहसुन के गुणवत्ताप्रद बीज प्रदान किए जाते हैं जो लहसुन की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं।

[हिन्दी]

तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी

2784. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नियमित आधार पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में कामगारों के कौशल स्तर पर उन्नयन की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अनेक संस्थान नियमित आधार पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर पर श्रम बल में नए प्रवेशार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

वन्यजीव अनुसंधान

2785. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य विकास योजना के वन्यजीव अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण संघटक को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं योजनावधि के आरंभिक चरण में इस योजना की समीक्षा की थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन में क्या खामी पाई गई है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस खामी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है/कदम उठाए गए है और इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी नहीं। इसके विपरीत, वन्यजीव अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण संघटकों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" के तहत पर्याप्त महत्व दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रचालन की वार्षिक योजना के रूप में भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वन्यजीव अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) आठवीं योजना के अन्त में, "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" स्कीम का निम्नलिखित पांच संगठनों द्वारा मूल्यांकन किया गया

1. एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
2. भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल
3. डेवलपमेंट आलटरनेटिव्स, नई दिल्ली
4. भारतीय वन्यजीव अनुसंधान सोसायटी, कोलकाता
5. जी.ई.ई.आर. फाउण्डेशन, गुजरात

(घ) उक्त स्कीम के क्रियान्वयन में कोई प्रमुख खामी नहीं पाई गई थी। इसके बजाय, मूल्यांकनकर्ता टीमों ने इस स्कीम को और अधिक धन के साथ जारी रखने की सिफारिश की है।

(ङ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर इस स्कीम के अंतर्गत सहायता का आधुनिक संचार उपकरणों की खरीद, कर्मचारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, केन्द्रित वन्यजीव अनुसंधान और निगरानी, उन्नत अवसंरचना आदि जैसी गतिविधियों के लिए विस्तार किया गया है। इससे जैव विविधता और सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के बारे में बेहतर समक्ष विकसित हुई है।

इलैक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र

2786. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास टेलीविजन चैनलों की निगरानी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत कितनी है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) यह कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। सरकार ने निजी टेजीविजन चैनलों की विषय-वस्तु की मॉनीटरिंग करने और केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघनों की जांच करने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ई एम एम सी) का गठन करने का निर्णय लिया है।

(ख) इस परियोजना की कुल लागत 11.65 करोड़ रुपये है जिसमें से 2.90 करोड़ रुपये की राशि पहले ही निर्मुक्त कर दी गयी है।

(ग) निधियों और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की उपलब्धता के अधीन ई.एम.एम.सी. परियोजना के वर्ष 2007 में प्रारंभ होने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 22 अगस्त 2006 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 22 अगस्त, 2006/31 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री सुनील खां श्री असादूद्दीन ओवेसी	341
2.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री रामदास आठवले	342
3.	श्री एल. राजगोपाल श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	343
4.	श्री पी.सी. थामस	344
5.	श्री बी. विनोद कुमार	345
6.	श्री दलपत सिंह परस्ते श्री हितेन बर्मन	346
7.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	347
8.	श्री अब्दुल्ला कुट्टी श्री पी. करुणाकरन	348
9.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे श्री जी. करुणाकर रेड्डी	349
10.	श्री राजनरायन बुधौलिया श्री बृज किशोर त्रिपाठी	350
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	351
12.	श्री लक्ष्मण सिंह	352
13.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	353
14.	श्री उदय सिंह	354
15.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	355
16.	श्री बसुदेव आचार्य	356
17.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	357
18.	डा. के धनराजू	358
19.	श्री सुबोध मोहिते	359
20.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2671, 2769
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2740
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2729, 2773, 2780, 2785
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2686
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2657, 2721, 2764, 2779, 2784
6.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	2675
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2747
8.	बर्मन, श्री हितेन	2720, 2756
9.	बर्मन, श्री रनेन	2694
10.	बखला, श्री जोवाकिम	2663
11.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2705
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2671, 2769
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	2697
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2685, 2746
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2655
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2664, 2724, 2757, 2774, 2781
17.	बोस, श्री सुब्रत	2661
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2714
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2677, 2691
20.	चिन्ता मोहन, डा.	2687
21.	चौधरी, श्री बंसगोपाल	2706
22.	चौधरी, श्री अधीर	2689, 2737

1	2	3
23.	धनराजू, डा. के.	2743
24.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2678, 2744
25.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2665
26.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2716, 2755
27.	जगन्नाथ, डा. एम.	2696, 2738, 2741
28.	झा, श्री रघुनाथ	2711
29.	जोशी, श्री प्रहलाद	2666, 2727, 2763
30.	खां, श्री सुनील	2723, 2765
31.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2732, 2762
32.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2669
33.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2725, 2758, 2775, 2782, 2786
34.	कृष्ण, श्री विजय	2695
35.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2687
36.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2674
37.	महताब, श्री भर्तृहरि	2715
38.	माने, श्रीमती निवेदिता	2716, 2755
39.	मनोज, डा. के.एस.	2668, 2749
40.	मसूद, श्री रशीद	2709, 2750
41.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	2688
42.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2778
43.	मिश्रा, डा. राजेश	2769
44.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2732, 2762
45.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2704
46.	मो. ताहिर, श्री	2682, 2707
47.	मोहिते, श्री सुबोध	2667, 2728

1	2	3
48.	मुन्शी राम, श्री	2707
49.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2702
50.	निखिल कुमार, श्री	2689, 2737
51.	ओराम, श्री जुएल	2712, 2754
52.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2717, 2761
53.	पल्लानी शर्मा, श्री के.सी.	2659, 2667, 2730, 2760, 2777
54.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2683
55.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2718, 2738
56.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2691
57.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2738, 2771, 2773
58.	पाठक, श्री ब्रजेश	2700, 2742, 2745, 2769, 2772
59.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2703
60.	पाटिल, श्री डी. बी.	2680
61.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2682, 2707, 2753
62.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2736, 2767
63.	राजगोपाल, श्री एल.	2735, 2766
64.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2681
65.	रामदास, प्रो. एम.	2673
66.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2699
67.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	2713
68.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2738
69.	रावले, श्री मोहन	2660, 2734
70.	रावत, श्री अशोक कुमार	2682, 2707

1	2	3
71.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2719, 2759, 2776, 2783
72.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2656
73.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2690
74.	साई प्रताप, श्री ए.	2698
75.	सज्जन कुमार, श्री	2769
76.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2672
77.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2733, 2748
78.	सेठी, श्री अर्जुन	2692, 2739
79.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2679, 2731
80.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2755
81.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2693, 2729, 2752, 2773, 2780
82.	शिवन्ना, श्री एम.	2710, 2751, 2770
83.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2676, 2682, 2707, 2753
84.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	2701
85.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2690
86.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2769
87.	सिंह, श्री दुष्यंत	2708
88.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2704
89.	सिंह, श्री राकेश	2684, 2742
90.	सिंह, श्री सुग्रीव	2738, 2771, 2785
91.	सिंह, श्री सूरज	2778
92.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	2654, 2726, 2768
93.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2670
94.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2658
95.	तुम्मर, श्री वी.के.	2677
96.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2780
97.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2653
98.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2693, 2729, 2752, 2773
99.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	2653
100.	यादव, श्री कैलाशनाथ सिंह	2682, 2707
101.	यादव, श्री बालेश्वर	2662, 2682, 2722
102.	यादव, श्री गिरिधारी	2686

अनुबंध *II*

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	343, 344, 348, 351, 352
रसायन और उर्वरक	:	342, 350, 356, 359, 360
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	345, 358
पर्यावरण और वन	:	346, 347, 353, 357
सूचना और प्रसारण	:	354
श्रम और रोजगार	:	
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	355
जल संसाधन	:	341, 349

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2654, 2660, 2665, 2667, 2672, 2674, 2675, 2679, 2680, 2681, 2682, 2684, 2685, 2687, 2696, 2698, 2699, 2700, 2701, 2704, 2708, 2710, 2718, 2730, 2735, 2741, 2742, 2751, 2752, 2761, 2764, 2770, 2772, 2783
रसायन और उर्वरक	:	2656, 2673, 2690, 2723, 2740, 2762
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2688, 2691, 2703, 2707, 2709, 2711, 2729, 2743, 2745, 2753, 2755, 2759, 2766, 2/67, 2768, 2769, 2777, 2778, 2780, 2782
पर्यावरण और वन	:	2661, 2663, 2689, 2694, 2697, 2719, 2720, 2721, 2722, 2734, 2744, 2750, 2756, 2776, 2785
सूचना और प्रसारण	:	2653, 2655, 2659, 2662, 2664, 2666, 2671, 2683, 2706, 2713, 2724, 2725, 2727, 2728, 2731, 2746, 2757, 2758, 2765, 2771, 2774, 2779, 2781, 2786
श्रम और रोजगार	:	2668, 2676, 2678, 2693, 2702, 2705, 2714, 2717, 2736, 2748, 2749, 2773, 2784
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	2658, 2712, 2726, 2754, 2775
जल संसाधन	:	2657, 2669, 2670, 2677, 2686, 2692, 2695, 2715, 2716, 2732, 2733, 2737, 2738, 2739, 2747, 2760, 2763.

1	2	3
71.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2719, 2759, 2776, 2783
72.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2656
73.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2690
74.	साई प्रताप, श्री ए.	2698
75.	सज्जन कुमार, श्री	2769
76.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2672
77.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2733, 2748
78.	सेठी, श्री अर्जुन	2692, 2739
79.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2679, 2731
80.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2755
81.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2693, 2729, 2752, 2773, 2780
82.	शिवन्ना, श्री एम.	2710, 2751, 2770
83.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2676, 2682, 2707, 2753
84.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	2701
85.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2690
86.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2769

1	2	3
87.	सिंह, श्री दुष्यंत	2708
88.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2704
89.	सिंह, श्री राकेश	2684, 2742
90.	सिंह, श्री सुग्रीव	2738, 2771, 2785
91.	सिंह, श्री सूरज	2778
92.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	2654, 2726, 2768
93.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2670
94.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2658
95.	तुम्मर, श्री वी.के.	2677
96.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2780
97.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2653
98.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2693, 2729, 2752, 2773
99.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	2653
100.	यादव, श्री कैलाशनाथ सिंह	2682, 2707
101.	यादव, श्री बालेश्वर	2662, 2682, 2722
102.	यादव, श्री गिरिधारी	2686

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	343, 344, 348, 351, 352
रसायन और उर्वरक	:	342, 350, 356, 359, 360
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	345, 358
पर्यावरण और वन	:	346, 347, 353, 357
सूचना और प्रसारण	:	354
श्रम और रोजगार	:	
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	355
जल संसाधन	:	341, 349

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2654, 2660, 2665, 2667, 2672, 2674, 2675, 2679, 2680, 2681, 2682, 2684, 2685, 2687, 2696, 2698, 2699, 2700, 2701, 2704, 2708, 2710, 2718, 2730, 2735, 2741, 2742, 2751, 2752, 2761, 2764, 2770, 2772, 2783
रसायन और उर्वरक	:	2656, 2673, 2690, 2723, 2740, 2762
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2688, 2691, 2703, 2707, 2709, 2711, 2729, 2743, 2745, 2753, 2755, 2759, 2766, 2767, 2768, 2769, 2777, 2778, 2780, 2782
पर्यावरण और वन	:	2661, 2663, 2689, 2694, 2697, 2719, 2720, 2721, 2722, 2734, 2744, 2750, 2756, 2776, 2785
सूचना और प्रसारण	:	2653, 2655, 2659, 2662, 2664, 2666, 2671, 2683, 2706, 2713, 2724, 2725, 2727, 2728, 2731, 2746, 2757, 2758, 2765, 2771, 2774, 2779, 2781, 2786
श्रम और रोजगार	:	2668, 2676, 2678, 2693, 2702, 2705, 2714, 2717, 2736, 2748, 2749, 2773, 2784
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	2658, 2712, 2726, 2754, 2775
जल संसाधन	:	2657, 2669, 2670, 2677, 2686, 2692, 2695, 2715, 2716, 2732, 2733, 2737, 2738, 2739, 2747, 2760, 2763.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/22/18/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।